52वां वार्षिक प्रतिवेदन
52nd Annual Report
2018-19

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited
(A Government of India Enterprise)

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका		पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल	03
2.	कार्यकारी अधिकारीगण	04
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	05
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	07
5.	निदेशकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I (ऊर्जा संरक्षण इत्यादि)	18
6.	निदेशकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक II (निगमित अभिशासन)	20
7.	लेखा विश्लेषण:	
	(i) प्रमुख विशिष्टताएँ	25
	(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	26
	(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	27
8.	पाई एक बार चार्ट	
	(i) आय का वर्गीकरण	28
	(ii) व्यय का विवरण	28
	(iii) आय में वृद्धि	29
	(iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि	29
	(v) सकल तथा शुद्ध परिसम्पति	30
	(vi) नियोजित पूंजी	30
9.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	32
10.	निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	56
11.	31 मार्च 2019 की स्थिति का तुलन-पत्र	57
12.	वित्तीय वर्ष 2019-19 के लिए लाभ एवं हानि का लेखा	58
13.	लेखे की 1 से 35	59
14.	नकदी प्रवाह विवरणी	101
15.	पच्चीस वर्ष का सार-संग्रह	102

निदेशक मंडल

श्री सी के असनानी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री देवाशीष घोष

निदेशक (वित्त)

श्री प्रणेश एसआर (19.04.2019 से)

निदेशक (तकनीकी)

श्री सुधीर त्रिपाठी, आई ए एस (30.04.2019 तक)

मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार

डॉ. डी के तिवारी, आई ए एस (01.05.2019 से)

मुख्य सचिव, सरकार झारखंड का

श्री एम् ए इनबरसु (25.03.2019 तक)

संयुक्त सचिव (आई एंड एम्)

परमाणु ऊर्जा विभाग

डॉ. मर्विन एस अलेक्जेंडर (15.04.2019 से)

संयुक्त सचिव (आई एंड एम्)

परमाणु ऊर्जा विभाग

श्री एम बी वर्मा

निदेशक, एएमडी

डॉ. दिनेश श्रीवास्तव

मुख्य कार्यकारी, एनएफसी

श्री आर.बी.चक्रवर्ती (31.08.2019 तक)

पूर्व उप. खान सुरक्षा महानिदेशक (पूर्व-डी.डी.जी.एम.एस)

डॉ. के. महामहेश्वर राव, (31.08.2019 तक)

निदेशक, एनआईटीके, सूरतकल

श्री बी.सी.गुप्ता

कंपनी सचिव

ऑडिटर्स

अग्रवाल रमेश के एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

14, आर.जे.एस. बिल्डिंग,

पहली मंजिल, डायगोनल रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर-831001

कार्यकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	श्री सी के असनानी
निदेशक (वित्त)	:	श्री देवाशीष घोष
निदेशक (तकनीकी)	:	श्री प्राणेश एस.आर
कार्यकारी निदेशक (परियोजना-उत्तर)	:	डॉ. ए के सारंगी
महाप्रबंधक (परियोजनाएं)	:	श्री राजेश कुमार
महाप्रबंधक (इंजी. सेवाएं, एपी)	:	श्री एम.एस.राव
महाप्रबंधक (माइंस , एपी)	:	श्री पी.के.परि
कंपनी सचिव	:	श्री बी.सी.गुप्ता

"अध्यक्ष का संदेश"

प्रिय सदस्यगण ,

आपकी कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वर्ष 2018-19 के कंपनी के खातों का लेखा-परीक्षित विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत है और आपकी सहमति से मैं इन्हें पाठ्य रूप में स्वीकार करता हूं।

सज्जनों, मुझे इस अवधि के दौरान कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को साझा करने में प्रसन्नता हो रही है। आपकी कंपनी भारत में यूरेनियम अयस्क के वाणिज्यिक पैमाने पर खनन और प्रसंस्करण के लिए समर्पित एकमात्र इकाई है और यह देश के परमाणु ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने तथा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

सबसे पहले, मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि आपकी कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग हासिल की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कंपनी को 7 साल के अंतराल के बाद यह "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ष 2018-19 में भी आपकी कंपनी को डीपीई से "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त होगी।

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि जादूगोड़ा खनन गतिविधि, जिसे पट्टा नवीकरण और वन भूमि मार्ग परिवर्तन (डाइवर्शन) के मुद्दे को लेकर सितंबर, 2014 के बाद से बंद कर दिया गया था, उसे 6 अक्टूबर, 2018 को ग्रामसभा के पुनर्गठन और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एमओइएफसीसी) के स्तर- II की मंजूरी के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी की सभी परिचालन इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। वर्ष 2018-19 के लिए यूरेनियम का उत्पादन एमओयू लक्ष्यसे3% अधिक रहा है।

संस्थागत अनुसंधान के माध्यम से तुम्मलापल्ली के यूरेनियम निष्कर्षण में क्षार (अलकली) लीचिंग की स्थिति में एक सफलता प्राप्त हुई है, जिससे समग्र निष्कर्षण में वृद्धि (लगभग 4%) हुई है और काफी हद तक सोडियम कार्बोनेट की खपत को कम किया गया है और तदनुसार सोडियम हाइड्रोक्साइड की खपत कम हुई है।

आपकी कंपनी ने मैसर्स मेकॉन लिमिटेड के साथ एक "समझौते" पर हस्ताक्षर किया हैं, जिसमें मैसर्स मेकॉन यूसीआईएल के सभी खरीद एवं अनुबंध सेवाओं और परियोजना संबंधी कार्य का निष्पादन करेगा। इससे कंपनी को बेहतर संसाधन प्रबंधन में मदद मिलेगी।

झारखंड और देश के अन्य हिस्सों में कंपनी की चालू परियोजनाओं ने अच्छी प्रगति की है। किंतु जादूगोड़ा में टेलिंग पॉन्ड के चौथे चरण का निर्माण और तुरामडीह में टेलिंग पॉन्ड को ऊंचा करने का कार्य स्थानीय आबादी के व्यवधान के कारण रुका हुआ था, जो अब शुरू हो चुका है। तुरामडीह में मैग्नेटाइट रिकवरी संयंत्र परियोजना और यूरेनियम पेरोक्साइड सुविधा परियोजना भी पूरी हो चुकी हैं। सिंहभूम एवं तुम्मलापल्ली में डिबॉटलनेकिंग परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। अप्रैल, 2018 में झारखंड के मोसाबनी में कॉपर टेलिंग से यूरेनियम रिकवरी प्लांट स्थापित करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के बाद, विभागीय परियोजना मूल्यांकन समिति ने विभागीय अनुमोदन के लिए सिफारिश कर दी है।

'यूरेनियम उत्पादन में आत्मनिर्भरता विजन 2031-32' हासिल करने और देश को स्थायी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए गति-विधियाँ जारी हैं। यूरेनियम उत्पादन में वृद्धि के लिए 13 नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए "परमाणु ऊर्जा आयोग" से मुख्य अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जिनमें से 10 परियोजनाओं की गतिविधियों को शुरू करने का कार्य "समझौते" के अनुसार मैसर्स मेकॉन लिमिटेड को प्रदान किया गया है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंधों की स्थिति संतोषजनक रही और कर्मचारियों के साथ आपसी संबंध बेहतर बना रहा। कर्मचारी कल्याण, पदोन्नति, प्रशासनिक उपाय, आवास आवंटन आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का निष्पादन श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच आयोजित चर्चा के माध्यम से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। दिनांक 01.04.2018 से श्रमिकों से संबंधित वेतन संशोधन का मामला लंबित था, जिसका निपटान दिनांक 14.08.2019 को 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया और इसके अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। यह पहली बार है जब श्रमिकों से संबंधित वेतन संशोधन की आवधिकता 10 वर्ष के लिए होगी।

आपकी कंपनी ने गुणवत्ता आश्वासन के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 प्रमाणन और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए IS-18001:2007 प्रमाणन को नियमित रूप से बनाए रखा है। जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन भी IS-18001:2007 प्रमाणन के अंतर्गत ही आते हैं। आपकी कंपनी ने आईएसओ 14001:2015 के अनुसार नरवा पहाड़ टाउनशिप की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को भी नियमित रूप से बनाए रखा है, इसके लिए मैसर्स वेसिल बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्रा. लिमिटेड द्वारा पुन: प्रमाणन ऑडिट किया गया है। देश के किसी भी खनन उद्योग टाउनशिप के लिए टाउनशिप प्रमाणन प्राप्त करना अपने आप में एक नई उपलब्धि है।

इस अवसर पर मैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा आयोग के सचिव को उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से हमने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के समर्थन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत एवं समर्पण के लिए सराहना करता हूं। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके विभिन्न घटकों, विशेषकर बीएआरसी, एएमडी, एनएफसी और एनपीसीआइएल के समर्थन, उनके उदार सहयोग, मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूं। विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान संगठनों, विशेष रूप से आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, सीआईएमएफआर धनबाद, एनआईटीके. सुरथक्कल और एनआईआरएम कोलार से प्राप्त तकनीकी सहयोग के लिए आभारी हूं। मैं कंपनी के निदेश मंडल में शामिल अपने सहयोगियों को उनके मूल्यवान सहयोग के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं।

वर्ष 2018-19 का तुलन-पत्र कंपनी के उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कंपनी में अपने लक्ष्य से कहीं अधिक प्राप्त करने की क्षमता मौजूद है। आपकी कंपनी कॉरपोरेट प्रशासन के मानदंडों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी को वर्ष 2018-19 के लिए डीपीई से निगमित अभिशासन में "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त हुई है।

धन्यवाद,

सी. के. असनानी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रांची

14 सितंबर, 2019

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखा और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, आपकी कंपनी की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

1.0 उल्लेखनीय प्रदर्शन:

1.1 वित्तीय प्रदर्शन:

(₹ लाख में)

	वर्तमान वर्ष 2018-19	गत वर्ष 2017-18
आय	203479.28	179397.69
मूल्यहास से पहले लाभ	60867.38	34575.11
घटाएं: (क) मूल्यहास	21084.81	21962.66
कर पूर्व लाभ	39782.57	12612.45
घटाएं: (क) कर प्रावधान	8171.94	2548.20
(ख) पहले वर्ष के लिए	शून्य	396.91
(ग) स्थगित कर प्रावधान	10190.49	(1208.10)
कर अदायगी के बाद लाभ	21420.14	10875.44
अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	(1995.64)	(425.30)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	19424.50	10450.14

वर्ष के दौरान कंपनी ने कॉरपोरेट आयकर, लाभांश, जीएसटी, केंद्रीय बिक्री कर, वैट, उत्पाद शुल्क, राजस्व, सीमा शुल्क आदि के रूप में सरकारी खजाने से ₹ 8576.34 लाख (गत वर्ष में ₹ 12044.83 लाख) का योगदान किया है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत इस वर्ष के वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट और इस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को इस बोर्ड रिपोर्ट की अनुलग्नक- III के साथ पढ़ा जाय।

1.2 संचालित इकाइयों का प्रदर्शन:

वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी की सभी संचालन इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। वर्तमान में, सात खानें और दो प्रसंस्करण संयंत्र झारखंड में चल रही हैं और एक खान तथा एक प्रसंस्करण संयंत्र आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं। इन सभी खानों का प्रदर्शन संतोषजनक है।

प्रसंस्करण संयंत्रों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 में यूरेनियम उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन के निर्धारित लक्ष्य से 3% अधिक उत्पादन हुआ है।

1.3 चालू एवं नई परियोजनाएँ:

चालू परियोजनाएं:

- **जादूगोड़ा में चतुर्थ स्तरीय टेलिंग पॉन्ड:**

आपकी कंपनी ने अगले 10 वर्षों के लिए जादूगोड़ा संयंत्र के टेलिंग्स के प्रबंधन हेतु क्षमता विकास की दिशा में प्रथम स्तर टेलिंग पॉन्ड (चार स्तरीय टेलिंग पॉन्ड) के दूसरे चरण का निर्माण किया है, जिसके लिए कार्यस्थल-गतिविधियाँ जारी है। क्षैतिज फिल्टर (पूर्व और पश्चिम की ओर) बिछाने और

आरएल 133 मीटर से आरएल 135 मीटर (बांध विस्तार का हिस्सा) तक टेलिंग बांध बढ़ाने से संबंधित निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नाले के मार्ग में परिवर्तन (डायवर्जन) और रिटेनिंग वॉल/नाले का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जाहिरा और स्पिलवे के चारों ओर काठी (सैडल) बांध, रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अंतिम स्तर 143 मीटर तक के शेष कार्य के लिए एक समेकित अनुबंध किया गया है। यह कार्य शुरू हो चुका है और प्रगति पर है।

- **कॉपर टेलिंग्स से यूरेनियम प्राप्ति संयंत्र:**

आपकी कंपनी ने मोसानी खानों में मैसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के संचालन की कॉपर की टेलिंगसे यूरेनियम की प्राप्ति के लिए दो यूरेनियम रिकवरी संयंत्रों (दो चरणों में) का निर्माण कार्य किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो चुकी है । इस परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) ने भी अपनी अंतिम मंजूरी के लिए सिफारिश कर दी है।

- **सिंहभूम एवं तुम्मलापल्ली परिचालन की डिबॉटलनेकिंग:**

सिंहभूम और तुम्मलापल्ली में खानों एवं संयंत्रों की विभिन्न डिबॉटलनेकिंग परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तुम्मलापल्ली की हाईवाल लोड परियोजना का ट्रायल स्टॉपिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अन्य शेष परियोजनाओं के डिजाइन एवं सेवाओं के लिए सलाहकार एजेंसी को नियुक्त किया गया हैं। प्रमुख अनुबंधों की निविदा तथा कार्यस्थल गतिविधियां जारी हैं। मार्च, 2020 तक सभी गतिविधियों को पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

- **रोहिल यूरेनियम भंडार, राजस्थान:**

आपकी कंपनी ने परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) की ओर से रोहिल में खोजपूर्ण खनन गतिविधियों की शुरुआत की है। नगर पालिका परिषद, सीकर (राजस्थान) के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, जलापूर्ति से संबंधित कार्य प्रगति पर है। रोहिल यूरेनियम भंडार के अयस्क ढ़ांचे का 3डी मॉडल तैयार कर लिय गया है। परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। कार्यस्थल आरसीसी एप्रोच रोड एवं डिक्लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 80 डिक्लाईन का निर्माण 105 मीटर (15 मीटर ऊर्ध्वाधर) तक हो गया है। परियोजना से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार एजेंसी को नियुक्त कर दिया गया है।

- **गोगी यूरेनियम परियोजना, कर्नाटक:**

जुलाई, 2012 से खोजपूर्ण खनन बंद है। ईआईए/ ईएमपी अध्ययन के लिए नए सिरे से पहल की गई है और परियोजना-पूर्व गतिविधियाँ जारी हैं। टीओआर (ToR) आवेदन के लिए, डीजीपीएस सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा भूमि विवरण को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पूर्व-व्यवहार्यता से संबंधित अंतिम मसौदा रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है और इसे पुनरीक्षण के लिए सलाहकार एजेंसी को भेज दिया गया है। हाल ही में, एएमडी द्वारा गोगी से 5 किलोमीटर दूर कंचनकायी में एक नये भंडार का पता लगाया गया है, जो अन्वेषण के अंतिमचरण में है। यूसीआईएल ने एएमडी द्वारा खोजपूर्ण खनन के साथ इस कार्यस्थल पर पूर्व-परियोजना गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाई है। परियोजना से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार एजेंसी को नियुक्त कर दिया गया है।

नई परियोजनाएं:

परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) ने 16 फरवरी, 2019 को आयोजित अपनी 234वीं बैठक में 13 परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें नई खानों एवं संयंत्रों के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों के लिए विस्तार परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन 13 परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹10571.21 करोड़ है। परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित है:

1. मोसाबनी, झारखंड में कॉपर टेलिंग्स से यूरेनियम प्रति प्राप्ति संयंत्र
2. नरवापहाड़ खान, झारखंड की उत्पादन क्षमता का विस्तार
3. तुरामडीह खान, झारखंड की उत्पादन क्षमता का विस्तार
4. बंदुहुरांग ओपन कास्ट माइन, झारखंड की उत्पादन क्षमता का विस्तार
5. बानाडुंगरी यूरेनियम खनन एवं अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र परियोजना, झारखंड
6. बंदुहुरंग अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र परियोजना, झारखंड
7. गाराडीह भूमिगत यूरेनियम खनन परियोजना, झारखंड
8. रोहिल यूरेनियम परियोजना, राजस्थान
9. कंचनकायी यूरेनियम परियोजना, कर्नाटक
10. जाजवल यूरेनियम परियोजना, छत्तीसगढ़
11. चित्रीयल यूरेनियम परियोजना, तेलंगाना
12. तुम्मालपल्ले यूरेनियम परियोजना, आंध्र प्रदेश का विस्तार
13. झारखंड में भूमिगत खानों का आधुनिकीकरण

उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए प्रयोगशाला एवं भू-तकनीकी अध्ययन, प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन, व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, मंजूरी एवं अनुमोदन हेतु आवेदन, भूमि अधिग्रहण आदि जैसी परियोजना पूर्व गतिविधियां चल रही हैं।

1.4 समझौता-ज्ञापन प्रदर्शन:

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के संदर्भ में आपकी कंपनी का प्रदर्शन, वर्ष 2018-19 के लिए "उत्कृष्ट" रूप में मूल्यांकित किये जाने की उम्मीद है।

2.0 लाभांश एवं लाभांश पर कर

आपके निदेशकों ने ₹ 2,06,961.78 लाख की प्रदत्त पूंजी पर ₹ 6426 लाख के लाभांश (पिछले वर्ष ₹ 3202 लाख) की सहर्ष अनुशंसा की है और वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश पर कर ₹ 1308.14 लाख (पिछले वर्ष ₹ 651.83 लाख) होगा।

3.0 शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, दिनांक 31.03.2019 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 3,500 करोड़ और अभिदत्त शेयर पूंजी ₹ 2069.62 करोड़ थी।

4.0 ऊर्जा संरक्षण / प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन, नवाचार और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं उपयोग

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जानी वाली आवश्यक सूचना, ऊर्जा-संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित नियम 8 इस रिपोर्ट के अनुलग्नक- I में दिए गए हैं।

5.0 औद्योगिक संबंध:

रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान औद्योगिक संबंधों की स्थिति संतोषजनक रही और औद्योगिक शांति बनी रही है। यूसीआईएल के प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में जादूगोड़ा लेबर यूनियन, यूरेनियम कामगार यूनियन, यूरेनियम मजदूर संघ और सिंहभूम यूरेनियम मजदूर यूनियन के महासचिवों के बीच कल्याण, पदोन्नति, प्रशासन, आवास आवंटन आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएँ सौहार्दपूर्ण माहौल में नियमितरूप से होती रहीं तथा सभी शिकायतों को आपसी चर्चा के माध्यम से सुलझाया गया। बेहतर औद्योगिक संबंधों के परिणामस्वरूप, कंपनी का समग्र प्रदर्शन संतोषजनक रहा और वर्ष के दौरान औद्योगिक शांति बनी रही।

दिनांक 01.04.2018 से यूसीआईएल के श्रमिकों का वेतन संशोधन मामला लंबित था, जिसका निपटान दिनांक 14 अगस्त, 2018 को 10 वर्षों की अवधि के लिए कर दिया गया है तथा इसके अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। यूसीआईएल के इतिहास में यह पहली बार है जब श्रमिकों के वेतन संशोधन की आवधिकता 5 वर्ष के बजाय दस वर्षों के लिए होगी।

6.0 श्रमशक्ति:

31 मार्च, 2019 को आपकी कंपनी की कुल श्रमशक्ति 4629 थी। आपकी कंपनी में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कुल प्रतिनिधित्व कुल श्रमशक्ति का लगभग 54.22% है। दिनांक 31.03.2019 को कंपनी में कुल 09 दिव्यांग कर्मचारी हैं। सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के कोटा को भरने के लिए नियमित रूप से प्रयास किए गए हैं।

7.0 प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी:

आपकी कंपनी ने सभी स्तरों पर बहुत ही स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध को बनाये रखा है। जादूगोड़ा मिल, जादूगोड़ा खान, नरवापहाड़ खान और तुरामडीह खान में शॉप काउंसिल्स की बैठकें नियमित रूप से हुई। कर्मचारियों को कंपनी की भविष्य निधि न्यास, ग्रेच्युटी निधि न्यास, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजनाओं, कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी आदि न्यासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है। कर्मचारियों को सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंध समिति, खेल परिषद आदि मंचों का भी सदस्य बनाया गया हैं।

इसके अलावा, यह उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि केंद्र सरकार भी समय-समय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत यूरेनियम उद्योग को "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" घोषित कर रही है।

8.0 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण:

आपकी कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से अपने मानव संसाधन को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कर्मचारियों को आकर्षित करने, बनाए रखने एवं प्रेरित करने तथा उनके विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है, ताकि वे कंपनी को अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें।

वर्ष के दौरान देश में प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आपकी कंपनी के 60 अधिकारियों को भेजा गया था। कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने और विभिन्न विषयों में उनके कौशल को विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकता को नियमित रूप से चिह्नित किया जाता है और कंपनी के मानव संसाधन की समग्र दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2018-19

के दौरान, 322 अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों ने नरवापहाड़ के प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में आंतरिक (इन-हाउस) प्रशिक्षण प्राप्त किया।

9.0 सुरक्षा:

खान एवं संयंत्र सुरक्षा के साथ-साथ रेडियोलॉजिकल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खानों एवं प्रसंस्करण संयंत्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष जोर दिया जाता है। नव-नियुक्त बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञों, रेडियोलॉजिकल सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) एवं मुख्य आईएसओ के दिशानिर्देश के तहत प्रत्येक खान एवं प्रसंस्करण संयंत्र लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी), रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोसीजर मैनुअल (आरपीपीएम) आदि के रूप में सक्रिय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (प्रोएक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम) तैयार किया गया है। जोखिम मूल्यांकन तथा सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को 2016 के परिपत्र संख्या 05 द्वारा डी जी एम एस (तकनीकी) (एस एंड टी), 2011 के परिपत्र संख्या 02 द्वारा डी जी एम एस (तकनीकी) (एस एंड टी) एवं 2002 के परिपत्र संख्या 2011 एवं संख्या 13 के माध्यम से निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। रेडियोलॉजिकल सुरक्षा और प्रक्रियाओं को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया गया। एईआरबी द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों को लागू करने में पर्याप्तता और निरंतरता सुनिश्चित करने तथा सभी सुरक्षा प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए एक कॉर्पोरेट स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति का गठन किया गया है। एसएमपी के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रमुख कार्मिकों की जिम्मेदारी, अधिकार और अंतर-संबंध के साथ एक सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना संचालित है और यह डीजीएमएस के दिशानिर्देशों तथा आईएस-18001:2007 मानक के अनुसार काम कर रही है। सुरक्षा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एईआरबी के दिशानिर्देशों, खान नियम, 1955 और धातुत्पादक खान विनियम, 1961 तथा एसएमपी में निर्धारित मानदंडों के अनुसार किए गए हैं। सभी खानों की यूसीआईएल खान सुरक्षा समिति ने नियमित मासिक बैठकें आयोजित हुई हैं, जिनमें समिति के सदस्यों ने भाग लिया है। इस समिति का गठन विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों से किया गया है, जिसमें यूनियन प्रतिनिधि, श्रमिक निरीक्षक, पर्यावरण अभियंता एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं, जो दुर्घटना, असुरक्षित गतिविधियों, कार्यप्रणाली और समीक्षाधीन अवधि में हुई दुर्घटनाओं पर चर्चा करते हैं। वर्ष2018-19 के दौरान, समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में विभागीय और संविदात्मक कर्मचारियों सहित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को विभिन्न गतिविधियों के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा वर्ष भर अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। योग्य व्यावसायिक स्वास्थ्य चिकित्सकों द्वारा यूसीआईएल के चिकित्सा जांच केंद्रों में संविदात्मक कर्मचारियों सहित नियमित कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार नियोजन-पूर्व और आवधिक चिकित्सा जांच (पीएमई), की गयी।

10.0 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

आपकी कंपनी सामाजिक जिम्मेदीरी, नैतिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने परिचालन क्षेत्रों के आसपास के सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन, हितधारकों के हितों की रक्षा करने, स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय जुड़ाव और समावेशी विकास की दिशा में प्रयास करने जैसे प्रमुख-मूल्यों के अनुसार किया

जाता है। सीएसआर गतिविधियां कंपनी के संचालन-क्षेत्र की समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ-साथ निम्नलिखित व्यापक विषयों पर भी केंद्रित हैं।

शिक्षा- आपकी कंपनी 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम के तहत अपने परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों में आसपास के गांवों के वंचित विद्यार्थियों का नामांकन करके उनको शिक्षा प्रदान कर रही है। इन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति के साथ पोशाक, जूते, पाठ्य-सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, बैग आदि प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, आसपास के स्कूलों के विद्यार्थियों को नोटबुक, विद्यार्थियों के लिए हत्थों वाली कुर्सियाँ और स्कूल-बैग भी वितरित किए गए। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि अच्छे वातावरण और परिवेश के विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पेयजल के लिए प्रावधान- आपकी कंपनी स्थानीय समुदाय को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। खासतौर पर गर्मी के मौसम में आसपास के गांवों में पानी के संकट से निपटने के लिए अनुबंध पर रखे गए पानी के टैंकरों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। आसपास के गांवों और आस-पास के क्षेत्रों में नई जल मीनारों का निर्माण, नलकूपों की मरम्मत एवं रखरखाव तथा जल-संरक्षण आदि पर विचार किया जाता है। मौजूदा आरओ प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए नंदी फाउंडेशन को लगाया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य के तुम्मलापल्ली में आसपास के चार गाँवों में पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है। गोगी एवं कंचनकायी की इकाइयों के आसपास के क्षेत्रों में आरओ प्लांट एवं पेयजलकी सुविधा भी प्रदान की गई है।

कौशल विकास - आपकी कंपनी का मानना है कि राष्ट्र के युवाओं को रोजगार के योग्य बनाया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल कोचिंग से आसपास के गांवों के वंचित और आकांक्षी युवाओं को लाभ मिल रहा है। झारखंड के तुरामडीह में स्वयं के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) के माध्यम से विद्युत, फिटर और वेल्डिंग ट्रेड में तकनीकी कौशल भी प्रदान किया जा रहा है। यूसीआईएल द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को लाइट मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

कृषि एवं सिंचाई- कंपनी उच्च कृषि उपज वाले कृषि क्षेत्रों को पानी की नियमित आपूर्ति करने के लिए पंप हाउस लगाने और उनके रखरखाव के कार्य की सुविधा प्रदान करती है।

आधारभूत संरचना विकास - आपकी कंपनी द्वारा विविध आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जैसे बंदुहुरांग के पास पीसीसी सड़क का निर्माण, कदमा एवं मुर्गाघुटु गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण, डोमजुरी गांव में फुटबॉल गैलरी का निर्माण और तुम्मलापल्ली में पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य किया गया है।

स्वास्थ्य- आपकी कंपनी द्वारा आसपास के गांवों में साप्ताहिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया, जहां रोगियों की जांच की गई और उन्हें मुफ्त दवाइयां प्रदान की गई। यूसीआईएल ने चाईबासा के जिला प्रशासन के अनुरोध पर पश्चिमी सिंहभूम स्वास्थ्य केंद्र में केंद्रीकृत मॉड्यूलर आईसीयू के विकास के लिए महत्वकांक्षी जिला सीएसआर फंड, चाईबासा, झारखंड में योगदान दिया है। यूसीआईएल द्वारा कुल ₹150 लाख की राशि का योगदान दिया गया था, जिनमें से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹50 लाख पहले ही व्यय हो चुका है और शेष ₹100 लाख का योगदान वित्त वर्ष 2019-20 में किया जाएगा।

खेलकूद एवं संस्कृति- हर वर्ष की तरह, आपकी कंपनी ने जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन (जेएसए) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आसपास के गांवों के युवाओं को मुफ्त फुटबॉल कोचिंग प्रदान की

है। आपकी कंपनी द्वारा स्थानीय स्तर पर अन्य फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के अपने प्रयास के तहत, आपकी कंपनी ने मेचुआ में जाहेरस्थान की चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू कियाहै। इसके अलावा, यूसीआईएल द्वारा स्थानीय स्तर पर भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

स्वच्छ भारत - आपकी कंपनी स्वच्छ भारत की पहल को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए, यूसीआईएल की आवासीय कॉलोनी में तथा कॉलोनी के बाहर के क्षेत्रों में समय-समय पर सफाई अभियान चलाया गया और यूसीआईएल की सभी इकाइयों के आवासीय क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। आपकी कंपनी ने झारखंड के आस-पास के क्षेत्रों में दस बायो-टॉयलेट्स का निर्माण किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान स्वच्छ भारत कोष में लगभग ₹ 80.85 लाख की कुल राशि खर्च की गई है।

सीएसआर का कुल व्यय ₹ 328.58 लाख है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वैधानिक रूप से सीएसआर मद व्यय के लिए में ₹ 327 लाख की राशि की आवश्यकता है। (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंकेक्षित लेखा की टिप्पणी 27-ग)।

दिनांक 31.03.2019 को गठित सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. डॉ. के. उमामहेश्वर राव, निदेशक, एनआईटीके, सूरतकल - अध्यक्ष

ii. डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी - सदस्य

iii. श्री डी. घोष- निदेशक (वित्त), यूसीआईएल - सदस्य

iv. निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 04.04.2018, 30.05.2018, 07.07.2018, 11.08.2018, 08.12.2018 और 25.02.2019 को सीएसआर समिति की छह बैठकें संपन्न हुईं।

11.0 कॉर्पोरेट प्रशासन:

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक रिपोर्ट अनुबंध- II में दी गई है।

12.0 सार्वजनिक जमा:

आपकी कंपनी जनता से "जमा" स्वीकार नहीं करती है।

13.0 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण:

आपकी कंपनी तकनीकी उत्कृष्टता सहित सतत विकास के लिए पर्यावरणीय दायित्वों एवं प्रतिबद्धताओं के प्रति वचनबद्ध है। आपकी कंपनी अपनी सभी इकाइयों के आसपास पारिस्थितिक संतुलन एवं पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देती है। जादूगोड़ा , नरवापहाड़, तुरामडीह और तुम्मलापल्ली के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की स्वास्थ्य भौतिकी इकाई में सभी परिचालनों और इसके आसपास के क्षेत्रों की नियमित अवधि पर रेडियोलॉजिकल एवं पर्यावरणीय निगरानी की जाती है। बाहरी गामा विकिरण, रेडॉन सांद्रता, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, हवा में लंबे समय तक रहने वाली अल्फा सक्रियता की हवा में जांच की जाती है। सतह एवं भूजल, मिट्टी, खाद्य पदार्थों और क्षेत्र की कृषि उपज में रेडियो न्यूक्लाइड की एकाग्रता की समय-समय पर जांच की जाती है। आपकी कंपनी ने अपनी सभी इकाइयों की पर्यावरणीय निगरानी और वैधानिक अनुपालन के लिए महाप्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक पर्यावरणीय अभियांत्रिकी सेल (ईईसी) की स्थापना की है। सभी संचालित खानों और अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए आसपास की वायु एवं पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और अन्य नियामक

निकायों से वैधानिक अनुमति प्रदान की गई है। सतत विकास एवं संसाधन संरक्षण हेतु, औद्योगिक प्रयोजन के लिए सभी खानों के बहिस्रावों का पुन: उपयोग एवं पुनर्चक्रण के लिए प्रयास किए गए हैं। पानी के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण से ताजे पानी की खपत काफी कम हो गई है। संबंधित खान से निकटतम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों में खान के बहिस्रावों को इकट्ठा करने के लिए कई किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। टाउनशिप से निकलने वाले सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में उपचारित किया जाता है। अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों से निकलने वाले बहिस्राव को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ईटीपी) में उपचारित किया जाता है। ट्रीटेड सीवेज को ग्रीनबेल्ट सिंचाई और बागवानी के लिए आंशिक रूप से पुनर्चक्रित किया जाता है। अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों से निकलने वाले उपचारित अपशिष्ट जल को आंशिक रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए पुन:प्रयोग किया जाता है। ईटीपी एवं एसटीपी से निकलने वाले अतिरिक्त उपचारित बहिस्राव को सार्वजनिक प्रयोग हेतु निर्गत करने से पहले विनियामक अनुपालन के लिए निर्धारित डिस्चार्ज मानकों के अनुसार इसकी जांच की जाती है। आपकी कंपनी ने बायोमेडिकल कचरे के निपटान के लिए जादूगोड़ा में एक सामान्य इंसीनेरेटर चालू किया है। आपकी कंपनी ने अपनी खानों और टेलिंग पॉन्ड के आसपास के क्षेत्रों में अपशिष्ट डंपों के ढेर को हटाने का काम किया है। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए कंपनी व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करती है। तुरामडीह में भूजल संसाधन के संवर्धन के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, आपकी कंपनी आइएसओ- 14001:2015 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव करना और उसे बनाए रखती है, जो टीयूवी- एनओआरडी द्वारा प्रमाणित है। आपकी कंपनी कर्मचारियों, निवासियों, विद्यार्थियों तथा अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में पर्यावरण संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है। कर्मचारियों एवं जनता के बीच पर्यावरण जागरूकता लाने के लिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यशाला के माध्यम से जनता और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

14.0 आईएसओ प्रमाणन:

आपकी कंपनी ने गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईएसओ 9001:2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए IS-18001:2007 प्रमाणन को बरकरार रखा है। मैसर्स वेक्सिल बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए पुन: प्रमाणन ऑडिट में कंपनी को अगले तीन वर्षों के लिए आईएसओ 14001-2015 एवं IS18001-2007 का पुन:प्रमाणन सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ था। आईएस-18001:2007 प्रमाणन के तहत जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन को भी कवर किया गया है।

15.0 लघु एवं मझौले उद्योग (एसएमई)

आपकी कंपनी समाज के समावेशी विकास की दिशा में अपने परिचालन में लघु एवं मझौले उद्योगों की भूमिका को समझती है। वर्ष 2018-19 के दौरान एसएमई के लिए लगभग ₹ 54.79 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 34.71 करोड़) के आदेश दिए गए।

16.0 विदेश यात्रा

पिछले वर्ष के ₹ 2.03 लाख की तुलना में इस वर्ष के दौरान विदेश यात्रा पर ₹ 8.60 लाख का खर्च किया गया।

17.0 विज्ञापन एवं प्रचार

पिछले वर्ष ₹ 1122.28 लाख की तुलना में इस वर्ष के दौरान, विज्ञापन एवं प्रचार पर ₹337.55 लाख की राशि खर्च की गयी। यह व्यय ज्यादातर नई नियुक्तियों, निविदा सूचनाओं आदि से संबंधित विज्ञापनों के लिए था। आपकी कंपनी वि_ ज्ञापन एवं प्रचार व्यय के प्रबंधन के लिए अपनी वेबसाइट के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है।

18.0 हिंदी का प्रगामी उपयोग

भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा अधिनियम एवं

नियमों को लागू करने हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यालयी कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए लगातार सभी प्रयास किए गये। उपर्युक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है। 10 से 15 सितंबर, 2018 की अवधि के दौरान "हिंदी सप्ताह" का आयोजन किया गया था। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता विजयी प्रतिभागियों को गणतंत्र दिवस, 2019 के अवसर पर पुरस्कृत किया गया। कंपनी की सभी इकाइयों में "हिंदी कार्यशाला" का भी आयोजन किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी की ओर से आयोजित उत्कृष्ट हिंदी कार्यशालाओं को देखते हुए, आपकी कंपनी को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। यूसीआईएल द्वारा यह पुरस्कार 6ठी बार लगातार प्राप्त किया गया है।

19.0 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स कदमावाला एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (SP0276), शॉप नं.115, पहली मंजिल, ब्लॉक ए, क्रिस्टल आर्केड, राजीव नगर, लोधी पाड़ा चौक के पास, रायपुर-492007 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

20.0 लागत लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत मैसर्स एस. कर्मकार एंड कंपनी, लागत लेखाकार को लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी लागत लेखा रिकॉर्ड (खनन एवं धातुकर्म) नियम 2001 के तहत यथा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा लागत लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव किया जा रहा है साथ ही वर्ष 2017-18 के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट को भी भरा गया हे।

21. सतर्कता

संगठन के निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करके कंपनी द्वारा निवारक सतर्कता के उच्च मानकों को बरकरार रखा गया है। सीवीसी के दिशानिर्देश जब भी प्राप्त होते हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाता है। सभी प्रकार की निविदा आमंत्रण सूचनाएं [एनआईटी] कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही हैं और साथ ही इन्हें केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल [सीपीपीपी] पर भी उपलब्ध करया जाता है। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार ₹2.00 लाख से अधिक अनुमानित लागत की सभी खरीद एवं सेवाओं के लिए ई-प्रोक्योरमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, आवधिक रिपोर्ट / रिटर्न केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। पारदर्शिता में सुधार के लिए "इंटीग्रिटी पैक्ट" के साथ-साथ धोखाधड़ी निवारण नीति/सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति को भी कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है और इसे लागू किया गया है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आइआरईएल) के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री संजय बांगा को यूसीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (31.08.2019 तक) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

29 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2018 तक यूसीआईएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

22.0 निदेशकों की नियुक्ति:

निदेशकों का नाम	(नियुक्त की तिथि)
डॉ. डी.के. तिवारी, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	01.05.2019
डॉ.मेरविन एस अलेक्जेंडर, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई	15.04.2019
श्री प्रणेश एस आर, निदेशक (तकनीकी), यूसी-आईएल	19.04.2019

निदेशकों की विमुक्ति:

श्री एम.ए. इनबारसू, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई	25.03.2019
श्री सुधीर त्रिपाठी, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	31.03.2019
श्रीआर .बी. चक्रवर्ती, पूर्व डीडीजीएमएस, अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र)	31.08.2019
डॉ. के. उमामहेश्वर राव, निदेशक एनआईटीके, सूरतकल , अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र)	31.08.2019

निदेशकगण श्री सुधीर त्रिपाठी, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार; श्री एम.ए.इंबरासू , संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई; श्री आर.बी. चक्रवर्ती और डॉ.के.उमामहेश्वर राव द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं।

23.0 दृष्टिकोण (आउटलुक)

आपकी कंपनी ने देश के नियोजित परमाणु कार्यक्रम हेतु ईंधन की निरंतर आपूर्ति के लिए एक विकसित रूपरेखा तैयार की है। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र के साथ-साथ तुम्मलापल्ली के दक्षिणी क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन करना हमारी प्राथमिकता है। तुम्मलापल्ली के आसपास क्षमता विस्तारण, नई खानों एवं संयंत्रों के निर्माण, उत्पाद के प्रसंस्करण आदि की भी योजना बनाई गई है।

स्थानीय आबादी की सेवा करना और उनके जीवन में परिवर्तन लाना हमेशा से ही आपकी कंपनी का मार्गदर्शी दर्शन रहा है। राजस्थान में रोहिल, कर्नाटक के गोगी-कंचनकायी में, तेलंगाना के पेद्दागट्टू और चित्रैल में कंपनी के संभावित उत्पादन केंद्रों के आसपास स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं और यूरेनियम खनन के दुष्प्रभावों के मिथकों को दूर करने की दिशा में प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है।

आपकी कंपनी ने अगले पंद्रह वर्षों के दौरान देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डीएई की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप यूरेनियम उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु नई खानों और संयंत्रों की स्थापना के लिए कई नए क्षेत्रों की पहचान की है।

24.0 निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशकों का कहना है कि: -

i) वार्षिक लेखा को तैयार करने में, माल को भेजने के संबंध मे उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

ii) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू करके निर्णय एवं आकलन किए हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपना के कामकाज और इसी अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि से संबंधित सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।

iii) आपके निदेशकों ने आपकी कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा आंकड़ों के रखरखाव का उचित एवं पर्याप्त रूप से ध्यान रखा है।

iv) आपके निदेशकों ने "सुचारू संचालित संस्थान" के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं।

v) आपके निदेशकों ने सभी प्रभावी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह प्रणाली पर्याप्त थी एवं प्रभावी ढंग काम कर रही थी।

25. आभार प्रदर्शन

आपकी कंपनी परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन परिसर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, एनपीसीआईएल, झारखंड सरकार, आंध्रप्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, राजस्थान सरकार, मेघालय सरकार, कर्नाटक सरकार, भारत सरकार , कंपनी मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य मंत्रालयों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों और मुख्य निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- IV, नई दिल्ली, बैंकर्स और अन्य सभी एजेंसियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कंपनी से जुड़ी हैं, से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी है। आपकी कंपनी

केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान, धनबाद; राष्ट्रीय रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल संस्थान, कोलार; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर; एनआईटीके सूरतकल और इंडियन स्कूल ऑफ माईंस, धनबाद से प्राप्त प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की दिशा में वैज्ञानिक एवं अभियांत्रण सहयोग के लिए भी इन संस्थानों के प्रति आभारी है और इनकी सराहना करती है। आपकी कंपनी सभी बोर्ड सदस्यों द्वारा किए गए समर्थन, मार्गदर्शन एवं योगदान के लिए भी आभारी है। आपकी कंपनी कर्मचारियों की ईमानदारी, समर्पण एवं कठोर परिश्रम, कंपनी के श्रमिक संगठनों और कंपनी के अधिकारी संघ और यूसीआईएल के परिधीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय द्वारा प्रदान किये गए समर्थन, स्थानीय मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय के विशिष्ट नागरिकों से प्राप्त सहयोग के लिए भी उनके प्रति आभार करती है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सी. के. असनानी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रांची

दिनांक: 14.09.2019

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जानी वाली आवश्यक सूचना, ऊर्जा-संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा के आय एवं व्यय से संबंधित नियम-8।

क. ऊर्जा- संरक्षण:

क) ऊर्जा-संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू/ कार्यान्वित किया गया

i) सोलर पैनल और सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना

ii) पारंपरिक लाइट की जगह एलईडी लाइट की स्थापना

iii) वितरण प्रणाली में कैपिसिटर पैनल की स्थापना

ख) ऊर्जा की खपत में कमी के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को लागू किया जा रहा है।

i) सोलर प्लांट की स्थापना

ii) पारंपरिक लाइट की जगह एलईडी लाइट की स्थापना

iii) कम ऊर्जा खपत करने वाले मोटरों का उपयोग।

ग) (क) एवं (ख) उपायों को अपनाए जाने का प्रभाव

उपर्युक्त उपाय के कारण कुल 374049KWH ऊर्जा की बचत हुई।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं उपयोग

आपकी कंपनी किसी भी निर्यात व्यवसाय से नहीं जुड़ी है। हालांकि, सी.आई.एफ. आधार पर वर्ष के दौरान पुर्जों, पूंजीगत वस्तुओं आदि की खरीद के लिए ₹ 38.90 लाख (पिछले वर्ष ₹ 79.34 लाख) विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया था।

प्रपत्र - बी

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र :

अनुसंधान एवं विकास (आर ऐंड डी):

विशेष क्षेत्र जहां अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां की गईं:

क) क्षार लीचिंग परिस्थितियों में तुम्मलापल्ली में यूरेनियम निष्कर्षण में संस्थानिक (इन-हाउस) अनुसंधान के माध्यम से सफलता हासिल की गई है। यह पाया गया कि क्षार दबाव लीचिंग के दौरान अतिरिक्त सोडियम बाइकार्बोनेट यूरेनियम की निर्माण की गति को रोक रही है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड की थोड़ी सी मात्रा को जोड़कर, आवश्यक सोडियम कार्बोनेट को रीसायकल तरल पदार्थ में अतिरिक्त सोडियम बाइकार्बोनेट के रूपांतरण से हासिल किया गया है।

उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ:

क) उपर्युक्त कार्यान्वयन से समग्र निष्कर्षण (लगभग 4%) बढ़ाने में मदद मिली है और इससे तुम्बालापल्ले संयंत्र में सोडियम कार्बोनेट की खपत को काफी हद तक कम किया गया है। यह माना जा रहा है कि इससे निकासी की लागत में कमी आएगी, जिससे ₹ 30 करोड़ प्रति वर्ष की बचत होगी।

भावी योजना की रूपरेखा:

क) जादूगोड़ा प्रसंस्करण संयंत्र में आयन विनिमय के अपशिष्ट उत्पादन प्रवाह से यूरेनियम को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक अनुसंधान एवं विकास गतिविधि का कार्यान्वयन।

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

(क) पूंजी	शून्य
(ख) राजस्व	₹ 197.50 लाख
कुल	**₹ 197.50 लाख**

प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवोन्वेशण:

आपकी कंपनी ने टेलिंग निपटान की नई विधि के लिए बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन किया है, जैसे तुम्मलापल्ली में यूरेनियम टेलिंग की सतह के समीप ट्रेच निपटान। इससे खनन पट्टे की सीमा के अंदर खाली पड़े कब्जे वाले क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस पद्धति के निहित लाभ में भूमि का प्रभावी उपयोग, संरचना के रखरखाव और पर्यवेक्षण में आसानी, कम परिवहन लागत, बिजली की खपत में बचत और टेलिंग निपटान के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का बचाव हैं।

शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

कॉरपोरेट प्रशासन प्रणाली

आपकी कंपनी अपने कार्यों के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन में विश्वास करती है और इस दिशा में कंपनी ने अपने प्रयासों को जारी रखा है।

निदेशक मंडल:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के संदर्भ में, यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जिसमें उनके नामांकितों के 3 शेयर भी शामिल हैं।

बोर्ड में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का उचित संयोजन है। दस निदेशकों के बोर्ड में (i) तीन पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक अर्थात अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (तकनीकी) और (ii) सात अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। बोर्ड की बैठकें नियमित अंतराल पर होती रहती हैं और बोर्ड कंपनी की उचित दिशा और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की सात बैठकें दिनांक 18.04.2018, 31.07.2018, 10.08.2018, 19.09.2018, 24.10.2018, 20.11.2018 और 19.03.2019 को संपन्न हुई थीं।

निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति और वार्षिक आमसभा/ विशेष आमसभा निम्नलिखित हैं:

31.03.2019 को नाम एवं पदनाम	वर्ग	बोर्ड बैठक		19.09.2018 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री सी.के. अंसारी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	कार्यपरक	07	07	हाँ	-
श्री देबाशीष घोष निदेशक (वित्त)	कार्यपरक	07	07		-
गैर-कार्यकारी निदेशक					
श्री सुधीर त्रिपाठी, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	अंशकालिक पदेन सदस्य	07	01		-
श्री ए म.ए. इनबारासु, संयुक्त सचिव (आइ ऐंड एम), डीएई	अंशकालिक पदेन सदस्य	07	07	हाँ	-
डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी (दिनांक 27.02.2018 से)	अंशकालिक	07	07	-	-
श्री एम.बी. वर्मा, निदेशक, एएमडी (दिनांक 08.05.2018 से)	अंशकालिक	06	05		-
डॉ. के. उमामहेश्वर राव, निदेशक, एनआईटीके, सूरथकल	अंशकालिक पदेन सदस्य	07	06	-	-
श्री आर.बी. चक्रवर्ती, पूर्व खान सुरक्षा उप महानिदेशक (पूर्व-डीडीजीएमएस)	अंशकालिक गैर सरकारी	07	06	-	-

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के संदर्भ में यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है। अंशकालिक निदेशक, सरकारी अधिकारी या अन्य सार्वजलिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी बैठक पारिश्रमिक के पात्र नहीं हैं।

प्रत्येक बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केवल स्वतंत्र निदेशकों को ₹10,000/- का भुगतान किया जाता है और अधिकतम 2 दिनों के लिए ₹1,000/- प्रतिदिन की दर से आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

लेखापरीक्षा समिति:

वैधानिक आवश्यकता के अनुसार आपकी कंपनी के बोर्ड ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 30.05.2018, 10.08.2018, 08.12.2018 और 29.03.2019 को लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

दिनांक 31.03.2019 को लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार थी:

1. श्री आर. बी. चक्रवर्ती, पूर्व- डीडीजीएमएस : अध्यक्ष
2. डॉ. के.यू.एम. राव, निदेशक एनआईटीके, सुरथकल : सदस्य
3. श्री एम.बी.वर्मा, निदेशक, एएमडी : सदस्य
4. डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, सीई, एनएफसी : सदस्य

यूसीआइएल के कंपनी सचिव उपर्युक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

समिति ने वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा की समीक्षा की और आंतरिक लेखा परीक्षक एवं सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी समीक्षा की।

पारिश्रमिक समिति:

दिनांक 31.03.2019 को पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार थी:

1. श्री आर.बी. चक्रवर्ती, पूर्व- डीडीजीएमएस- अध्यक्ष
2. डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी
3. श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल
4. निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल

यूसीआइएल के कंपनी सचिव उपर्युक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

आचरण नियमावली:

कंपनी के पास अपनी आचरण नियमावली है जो बोर्ड के सदस्यों के साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन पर भी लागू होती है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

सत्यनिष्ठा समझौता के साथ-साथ धोखाधड़ी रोकथाम निवारण नीति/सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है।

सामान्य निकाय बैठकें:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2017-18 (एजीएम)	19.09.2018	12.30 घंटे	मुंबई
2016-17 (एजीएम)	23.09.2017	13.00 घंटे	शिलांग
2015-16 (एजीएम)	23.09.2016	12.30 घंटे	कोलकाता

फार्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक विवरण का सारांश

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i	सीआइएन	(CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806)
ii	पंजीकरण की तिथि	04/10/1967
iii	कंपनी का नाम	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	सरकारी कंपनी
v	"पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण"	पीओ: जादूगोड़ा खान जिला: सिंहभूमपूर्वी झारखंड- – 832 102 दूरभाष: 0657-2730122//222/353 फैक्स: 0657-2730322 ई-मेल: cs@uraniumcorp.in विजिट करें: www.uraniumcorp.in
vi	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
vii	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	लागू नहीं

II कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाना है।

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल व्यवसाय
1	U_3O_8 यूरेनियम अयस्क का खनन एवं प्रसंस्करण	लागू नहीं	100

कंपनी पूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में है।

शेयरधारण का विवरण

भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयर	20696175
सरकारी नामितों द्वारा धारित शेयर	03
शेयरों की कुल संख्या (अंकित मूल्य ₹1000/- प्रत्येक)	**20696178**

ऋणग्रस्तता

₹ लाख में

	31.03.2019	31.03.2018
सुरक्षित ऋण (फिक्स्ड डिपॉजिट पर ओवरड्राफ्ट)		
असुरक्षित ऋण:		
एसबीआई, जादूगोड़ा से लघु अवधि की नकद साख (सीसी)	शून्य	शून्य
एनपीसीआईएल से ऋण	10,000	10,000
कुल ₹	**10,000**	**10,000**

धारा 149 (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशक को दिनांक 01.09.2016 को नियुक्त किया गया और धारा 149 (6) के तहत उल्लिखित स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा का अनुपालन किया जाता है।

धारा 134 (1) के तहत बोर्ड एवं निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है इसलिए निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पारिश्रमिक आदि का निर्धारण डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। निदेशकों का कार्यकाल भी सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, यूसीआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक बोर्ड और निदेशकों के प्रदर्शन के साथ-साथ निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक सहित नीति निर्धारण, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं आदि के लिए मानदंड नहीं दिया गया है क्योंकि सरकारी कंपनी को इन प्रावधानों से छूट दी गई है।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के लिए प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:

i. श्री सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii. श्री देबाशीष घोष, निदेशक वित्त
iii. श्री प्रणेश एस. आर, निदेशक तकनीकी
iv. श्री बी. सी. गुप्ता, कंपनी सचिव

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध

कार्यस्थल पर कार्मिकों का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

संबंधित पक्षों (पार्टी) के साथ अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत प्रकट की जाने वाली आवश्यक सूचना वित्तीय वर्ष 2018-19 में शून्य है। इसलिए, कंपनी (नियम) नियम 2014 के नियम 8 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत यथा आवश्यक फॉर्म एओसी-2 बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं है। वार्षिक लेखा की टिप्पणी 32 के तहत सेवाओं को प्राप्त करने के लिए संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण का उल्लेख किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

यूसीआईएल यह स्वीकार करता है कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में जोखिम निहित है और कंपनी की वर्तमान एवं भावी सफलता के लिए जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास एक प्रणाली है जो जोखिमों की देखरेख करने, महत्वपूर्ण कारोबारी जोखिमों के प्रबंधन एवं कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में मदद करती है।

अनुलग्नक - III

दिनांक 31.03.19 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण मामले के

अनुच्छेद “च” पर टिपण्णियाँ

अनुच्छेद "छ" पर लेखा परीक्षक द्वारा यह सूचित किया गया है कि:

अनुच्छेद -छ: “कंपनी के अंकेक्षण के दौरान, यह पाया गया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा की नियुक्ति पत्र में कार्य के सांकेतिक दायरे में परिभाषित दायरे के अनुसार आंतरिक अंकेक्षण नहीं किया गया है। लेखांकन एवं वित्तीय मामलों से संबंधित क्षेत्र बिना जाँच के /अनअंकेक्षित रहे हैं।”

लेखापरीक्षा समिति ने वैधानिक लेखा परीक्षकों को कहा कि यदि कोई टिप्पणी एवं प्रभाव हो तो इसकी पुष्टि वार्षिक लेखा में करें। वैधानिक लेखा परीक्षक इस टिप्पणी को प्रमाणित एवं न्यायोचित सिद्ध करने में विफल रहे और टिप्पणी के कारण कोई लेखा पर किसी भी तथ्यात्मक प्रभाव को भी नहीं बता सके।

अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक वित्त (डीएफ) से अनुच्छेद "छ" पर उनकी टिप्पणियों और राय के लिए अनुरोध किया। उन्होंने इंटरनल ऑडिट के दायरे के बारे में भी पूछा।

निदेशक वित्त (डीएफ) ने वर्ष 2018-19 के लिए अनुच्छेद "छ" के संबंध में समिति के समक्ष आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा प्रस्तुत किया और कहा कि आंतरिक लेखा परीक्षक ने आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य के अनुसार अपना कार्य किया है। आंतरिक लेखा परीक्षक ने समिति के वर्ष 2018-19 के दौरान किये गए कार्य के विवरण के साथ-साथ कार्यक्षेत्र को भी प्रस्तुत किया। लेखापरीक्षा समिति ने इस स्पष्टीकरण पर सहमति व्यक्त की और यह निष्कर्ष निकाला कि लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं, जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और चर्चा की गई है।

जैसा कि लेखा परीक्षक ने 16 अगस्त, 2019 को मुंबई में आयोजित बैठक में बताया, लेखापरीक्षा समिति के साथ-साथ बोर्ड भी इन निष्कर्षों से सहमत नहीं था।

प्रमुख आंकड़े

अनुलग्नक - I

₹ लाख में

विवरण	2018-19	2017-18	2017-18 की तुलना में वृद्धि / (कमी) (% के रूप में)	2017-18 की तुलना में वृद्धि / (कमी) (% के रूप में)
क. परिचालन परिणाम				
कारोबार	201393.02	178273.98	23,119.04	12.97
सकल आय	203479.28	179397.69	24,081.59	13.42
सकल व्यय	163696.71	166785.24	(3,088.53)	(1.85)
सकल लाभ	39782.57	12612.45	27,170.12	215.42
कर के बाद शुद्ध लाभ	21420.14	10875.44	10,544.70	96.96
ख. वर्ष अंत में वित्तीय स्थिति				
शेयर पूंजी	206961.78	181561.78	25,400.00	13.99
अन्य इक्विटी	76431.68	84761.19	(8,329.51)	(9.83)
नियोजित पूंजी	311892.02	2,82,218.59	29,673.43	10.51
कुल मूल्य (नेटवर्थ)	283393.46	2,66,322.97	17,070.49	6.41
सकल ब्लॉक	259255.70	255072.72	4,182.98	1.64
मूल्यह्रास	65559.31	44476.01	21,083.30	47.40
शुद्ध ब्लॉक	193693.39	210596.73	(16,903.34)	(8.03)
मालसूची (इन्वेंटरी)	22452.61	33823.80	(11,371.19)	(33.62)
ग. लाभप्रदता अवं अन्य अनुपात				
(i) प्रतिशत:				
बिक्री में सकल लाभ / (हानि)	19.75%	7.07%		
बिक्री में शुद्ध लाभ / (हानि)	10.64%	6.10%		
कुल मूल्य में सकल लाभ / (हानि)	14.04%	4.74%		
कुल मूल्य में शुद्ध लाभ / (हानि)	7.56%	4.08%		
नियोजित पूंजी में सकल लाभ / (हानि)	12.76%	4.47%		
नियोजित पूंजी में शुद्ध लाभ / (हानि)	6.87%	3.85%		
इक्विटी पूंजी में सकल लाभ / (हानि)	19.22%	6.95%		
बिक्री के लिए मालसूची	11.15%	18.97%		
इक्विटी पूंजी में बिक्री	64.57%	63.17%		
(ii) अनुपात:				
वर्तमान परिसंपत्तियां एवं वर्तमान देयताएं	2.06:1	1.64 : 1		
त्वरित संपत्ति एवं वर्तमान देनदारियां	1.76:1	1.12 : 1		

कंपनी का वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2019 और 2018 को तुलन-पत्र सारांश

अनुलग्नक - II

₹ लाख में

विवरण	2018-19	2017-18	2017-18 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
क . कंपनी का स्वामित्य			
अचल परिसंपति			
सकल ब्लॉक	246472.01	242289.03	4,182.97
घटाया संचित मूल्यहास	60059.53	41366.81	18,692.72
नेट ब्लॉक	**186412.48**	200922.24	(14,509.77)
अपूर्त परिसम्पत्तियाँ	7283.91	9674.49	(2,390.58)
अन्य दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (वित्तीय एवं गौर वित्तीय) गौर मौजूदा संपत्तियों सहित	**1866.18**	1,947.72	(81.54)
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य / स्टॉक	**36953.85**	28111.46	8,842.39
उप - योग (क)	232516.42	2,40,655.91	(8,139.50)
ख. चालू परिसंपति			
(i) सम्पति सूची	22452.61	33823.80	(11,371.19)
(ii) प्राप्ति योग्य व्यापार	101918.03	63295.06	38,622.97
(iii) ऋण एवं अन्य वित्तीय सम्पतियाँ	3557.48	3451.21	106.27
(iv) नकद और बैंक अधिशोष	23367.76	2861.57	20,506.19
(v) अन्य चालू सम्पतियाँ	2821.10	2988.11	(167.01)
उप - योग (ख)	**154116.98**	106419.75	47,697.23
कुल {1 (क+ख)}	**386633.40**	347075.66	39,557.73
2. कम्पनी का स्वामित्व			
(क) गौर वित्तीय देनदारियाँ, सेवाओं,चालू देनदारियाँ तथा अन्य प्रावधानों के लिए	85307.41	72988.68	12,318.73
(ख) कम्पनी की शुद्ध मालियत			
ईक्विटी शेयर पूजीँ	206961.78	181561.78	25,400.00
अन्य ईक्विटी	76431.68	84761.19	(8,329.51)
उप - योग (ख)	283393.46	2,66,322.97	17,070.49
(ग) आस्थागित कर दायित्व (ग)	17932.53	7764.01	10,168.52
कुल {2 (क+ख+ग)}	386633.40	3,47,075.66	39,557.74

कंपनी की आय और व्यय का विवरण

31 मार्च, 2019 और 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा का सारांश

अनुलग्नक - III

₹ लाख में

विवरण	2018-19	2017-18	2017-18 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
1. कंपनी की आय			
क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अधिग्रहण से	201104.29	177991.64	23,112.65
ख) गौण उत्पादों की बिक्री से (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	288.73	282.34	6.39
ग) अन्य प्राप्तियां	2086.26	1123.71	962.55
उप - योग	**203479.28**	1,79,397.69	24,081.59
घ) अंतिम स्टॉक में (वृद्धि) / कमी	(11483.34)	(19,419.98)	7,936.64
कुल (1)	**191995.94**	1,59,977.71	32,018.23
2. कंपनी द्वारा भुगतान और व्यवस्था			
क) खपत की गई सामग्री की लागत	17984.42	17335.53	648.89
ख) कर्मचारी लाभ व्यय	47125.82	40739.45	6,386.37
ग) वित्तीय लागत (ब्याज व्यय)	869.58	3871.49	(3,001.91)
घ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	21084.81	21962.66	(877.85)
ङ) अन्य व्यय	65148.74	63456.13	1,692.61
कुल (2)	**152213.37**	1,47,365.26	4,848.11
3. कंपनी का सकल लाभ			
समायोजन के पहले (1 - 2)	**39782.57**	12,612.45	27,170.12
घटाया: आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	18362.43	1737.01	16,625.42
4. अवधि के लिए शुद्ध लाभ	21420.14	10,875.44	10,544.70
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(1,995.64)	(425.30)	(1,570.34)
5. वर्ष के लिए व्यापक आय	19424.50	10,450.14	8,974.36

आय का वर्गीकरण

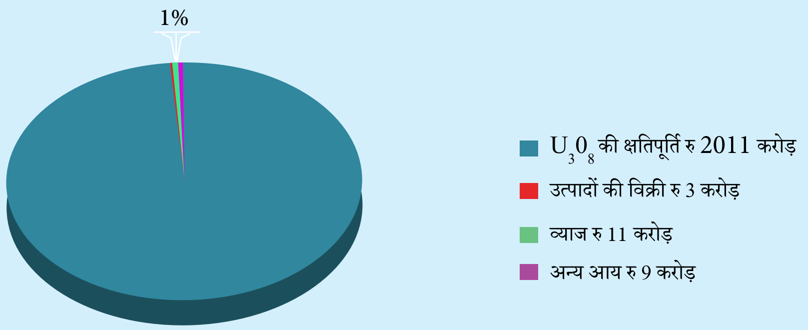

व्यय का विवरण

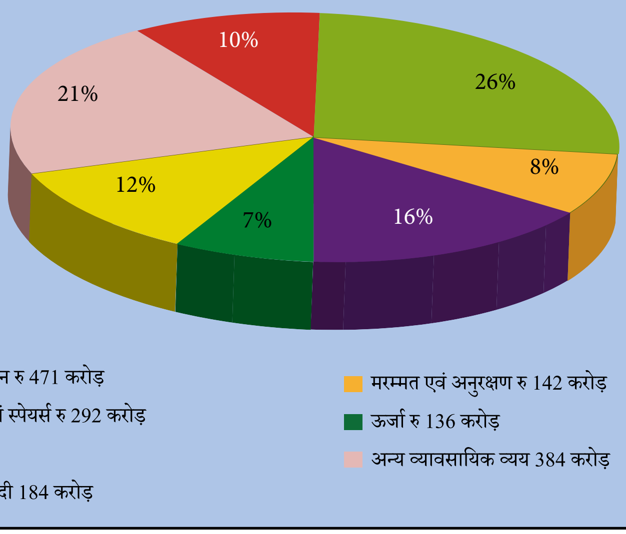

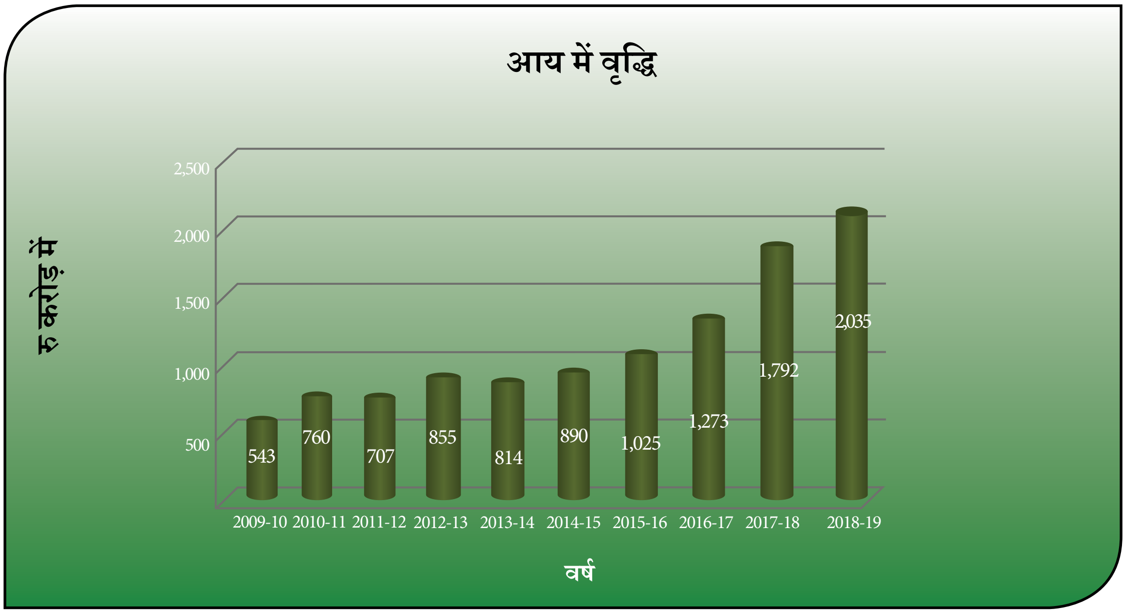
आय में वृद्धि
₹ करोड़ में
2,500
2,000
1,500
1,000
500
543
760
707
855
814
890
1,025
1,273
1,792
2,035
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
वर्ष

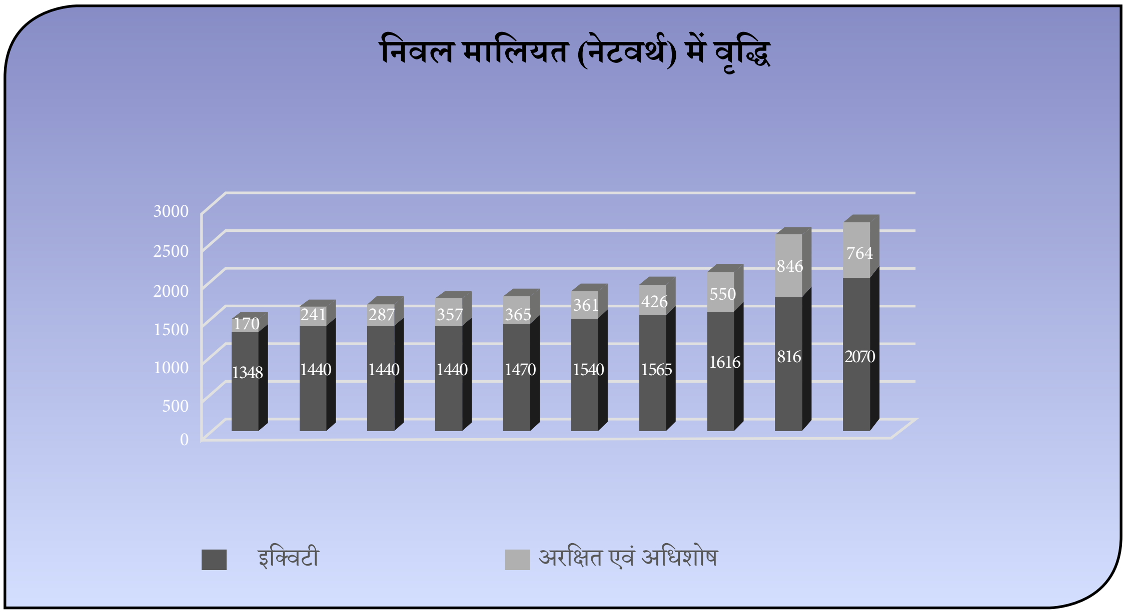
निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
170
241
287
357
365
361
426
550
846
764
1348
1440
1440
1440
1470
1540
1565
1616
816
2070
इक्विटी
अरक्षित एवं अधिशोष

सकल तथा शुद्ध परिसम्पति

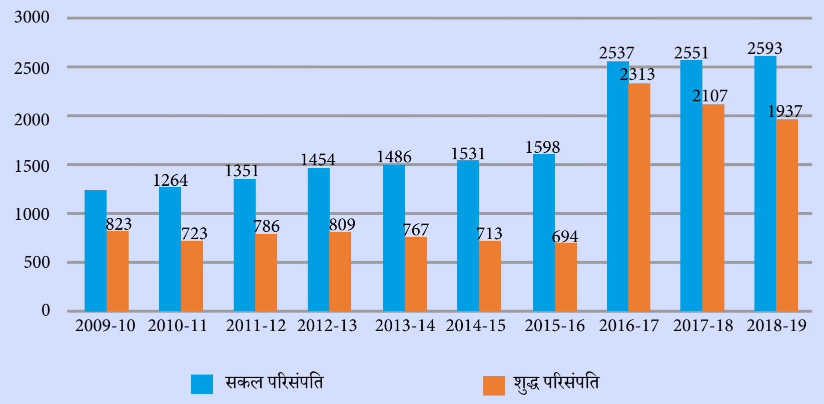

नियोजित पूँजी

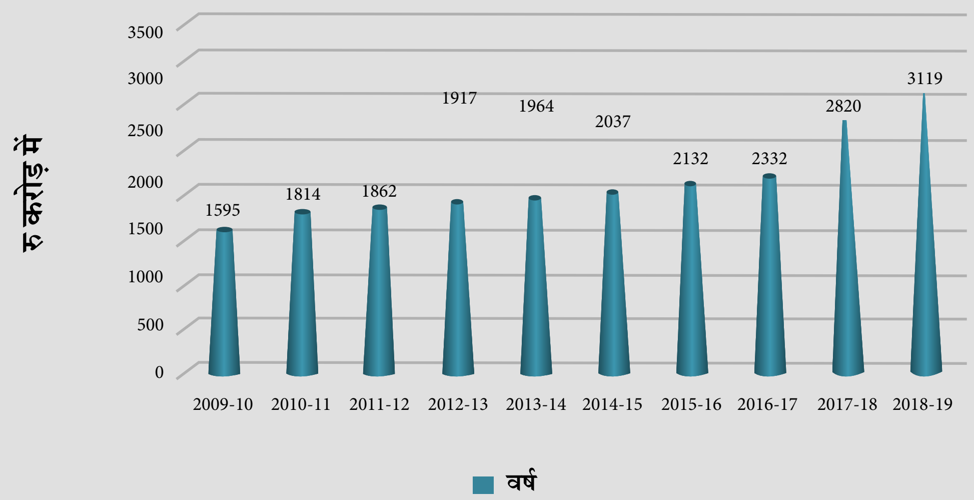

यूसीआईएल द्वारा सीएसआर पहल

गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना

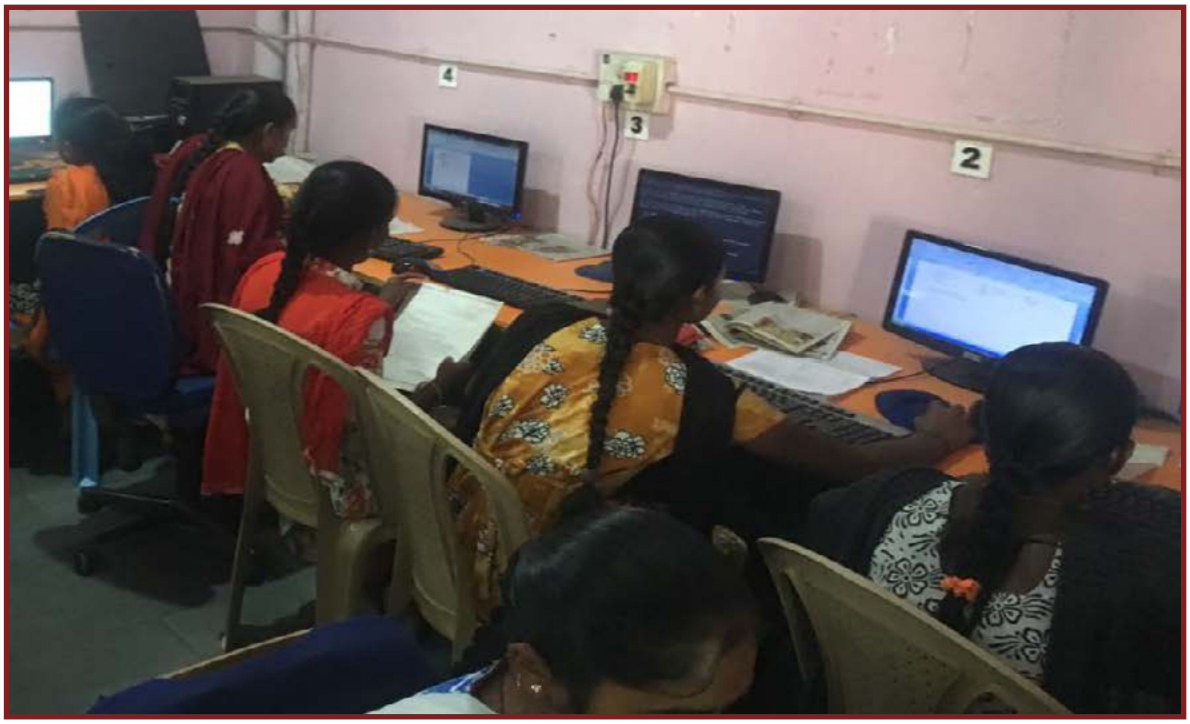

"कंप्यूटर साक्षरता" पर रोजगार कौशल सीखना

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

निम्नलिखित, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उनके लेखा परीक्षा एवं हमरी अनुवर्ती समीक्षा पर तात्कालिक टिपण्णी है और तदनुसार हम लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 16.08.2019 को संशोधित करते हैं।

राय

हमने यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है, जिसमे 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र, लाभ-हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह और वित्तीय लेखे पर के नोट, साथ में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

हमारी राय एवं बेहतर सूचनाओं तथा हमें दी गई व्याख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा आवशयक वांक्षित सूचनाएं देता है और 31 मार्च 2018 को कंपनी के मामलों की स्थिति सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के साथ सत्य एवं स्पस्ट दृश्य इसके लाभ/हानि और वर्षांत तक के लिए इसका नकद प्रवाह को दर्शाता है।

राय का आधार

उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी की तरफ से स्वतंत्र हैं और इन्स्टिच्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी अचार संहिता तथा साथ में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत तथा इसके अंतर्गत नियमों के अनुसार वित्तीय विवरण का लेखा परिक्षण करते हैं , और हमने उस अचार संहिता की आवश्यकता के अनुरूप दायित्व का निर्वाहन किया है। हमें यकीन है कि जो साक्ष्य हमें मिला है वह हमारे राय के आधार के लिए सही एवं पर्याप्त है।

वित्तीय विवरण एवं लेखा परिक्षण प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचना

वित्तीय विवरण एवं अन्य सूचना की तैयारी, कंपनी के निदेशक मण्डल की होती है। अन्य सूचना में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट एवं उनका संलग्नक शामिल है, किन्तु वित्तीय विवरण एवं हमारा लेखा परिक्षण रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए जो हमारी राय है उसमे अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसके लिए हम किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

दूसरी जानकारी को पढ़ना हमारी ज़िम्मेदारी है और ऐसा करते हुए, विचार करना कि अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस तथ्य की जानकारी देने के लिए हमें इस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। हमें इस

सम्बन्ध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

मामले की अवधारणा

हम बिना अपनी राय को सिमित किये निम्नलिखित मामले की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं:

क) दो कार्यों से कुल लागत के बागजाता माइंस के सम्बन्ध में प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य से सम्बंधित लेखे की टिपण्णी 4 (घ) में (i) डिजाइनिंग सिंकिंग लाइनिंग कार्य संयंत्र 375 मीटर गहरी, 5 मीटर डायमीटर वर्टिकल शाफ़्ट जिसका मूल्य 2059.22 लाख रुपये तथा (ii) यूसिल में उपलब्ध पुराने 560kw वाइन्डर और हेड फ्रेम को जिसमें डिज़ाइन, इरेक्शन और 1000 लाख की कुल विंडर सिस्टम की कमीशनिंग शामिल है, जो 2159 लाख रुपये का कुल मूल्य बना रही है, को कुल 4254 लाख की राशि में पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है। ठेकेदार को कार्य दिया गया और ठेकेदार कार्य को विस्तारित तिथि 31.12.2014 इस पूरा करने में असफल रहा। कंपनी ने 247.61 लाख की जो अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ईएमडी) बैंक गारंटी के रूप में लिया था जिसकी अवधि 14.01.2015 को समाप्त हो गई। लंबित कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2159.22 लाख रूपये का है जो कि किसी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकित कर नियमानुसार व्यवहार किया जायेगा। कंपनी ने क़ानूनी5 प्रक्रिया आरम्भ की है और मामला 3 वर्ष की समयावधि की समाप्ति के बाद मध्यस्थता की स्थिति में है।

ख) वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए प्रयोज्य दर पर यूरेनियम सांद्र की क्षतिपूर्ति के राजस्व की मान्यता से सम्बंधित लेखों की टिपण्णी संख्या 21 में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। वर्ष 2017-18 के लिए यूरेनियम सांद्र की क्षतिपूर्ति की दर को परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरक़ार द्वारा निश्चित की गई है कर इसे हाल के वर्ष में क्षतिपूर्ति के अंतर्गत दिखलाया गया है।

ग) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.2 से सम्बंधित नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ खनन पट्टे का कार्य लंबित है। 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए 290.45 हेक्टेयर जमीन केलेंग पेंडिंग सोहियोंग मावथावा में, 1337.62 एकड़ जमीन लाम्बापुर एवं गोगी में 39.13 हेक्टेयर जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है।

घ) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.3 सम्बंधित राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1517.59 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख रूपया है का हस्तांतरण विलेख लंबित है।

ड.) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.3 कंपनी मुसाबनी, झारखण्ड में 1986 से 3 एकड़ जमीन का उपभोग कर रही है। झारखण्ड सरकार द्वारा उठाये गए डिमांड नोट का भुगतान कर दिया गया है और झारखण्ड सरकार के साथ पट्टा हस्तांतरण का कार्य प्रगति पर है।

च) कंपनी की लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आतंरिक लेखा परीक्षा नियुक्ति पत्र के सुचना दायरों में वर्णित पैमाने के अनुसार आतंरिक लेखा परीक्षा नहीं की जाती है। लेखांकन एवं वित्तीय मामलों से सम्बंधित क्षेत्र बिना जाँच के/बिना लेखा परीक्षा के रह गए हैं।

छ) विविध लेनदार के शेष राशि का मिलान लम्बे समय से लंबित है। लेखा परिक्षण के दौरान हमने शेष राशि की पुष्टि करने के लिए छः पार्टियों से पुष्टिकरण माँगा, जिसमे से पाँच पार्टियों का मिलान नहीं हो सका जो 2-3 वर्षों से लंबित थे। विविध वित्तीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए यह उचित है कि विविध लेनदारों का 100 % मिलान करना चाहिए।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अभिशासन के साथ प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013 की धरा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जिससे कि वित्तीय विवरण की तैयारी जो कंपनी की वित्तीय स्थिति की सही एवं साफ तस्वीर पेश करती है तथा वित्तीय संपादन एवं कंपनी का नकद प्रवाह भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन पद्धति के अनुसार है जिसमे अधिनियम की धरा 133 के अंतर्गत लेखांकन सिद्धांत भी शामिल हैं। इस दायित्व में पर्याप्त लेखांकन आंकड़े अधिनियम के अनुसार हैं जो कंपनी की निधि की सुरक्षा तथा अन्य अनियमितताओं को प्रकट करने के लिए तथा सही लेखांकन नीति का चुनाव करने के लिए तथा सही एवं सटीक अनुमान तथा निर्णय के लिए तथा वित्तीय विवरण की तयारी एवं अनुपालन के लिए जो की वित्तीय विवरण की तयारी एवं वित्तीय विवरण में दर्शाये गए आंकड़े सही एवं स्पस्ट छवि पेश करें जो किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण त्रुटि से परे हो चाहे गलती से या गबन से हो।

वित्तीय विवरण की तयारी में प्रबंधन का दायित्व है की वह कंपनी की दक्षता का आकलन कर इसे चालू संस्था के आधार पर तथा चालू संस्था के लेखांकन के आधार पर करे, जब तक कि प्रबंधन की मंशा कंपनी का समापन या बंद करने का नहीं है तथा ऐसे किसी विकल्प के लिए नहीं है।
निदेशक मण्डल कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन को देखने तथा प्रक्रिया के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा , जब यह मौजूद रहे । गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर हमसे लिए गए आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं, हम भी:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं , चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखेबाज़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली एक से अधिक सामग्री के गलत होने का जोखिम न उठाना या त्रुटि के परिणामस्वरूप जो कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर , गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।

- ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालीऔर इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है ।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों और लेखा अनुमानों के तर्क और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों के मूल्यांकन का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालन , और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक परिपक्वता अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि वित्तीय विवरणों में इस तरह के खुलासे या, यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा

परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।

- खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम उन लोगों के साथ शासन के बारे में बातचीत करते हैं, जो ऑडिट के नियत दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और सुरक्षा उपाय से संबंधित जहां लागू हो।
शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में महत्वपूर्ण थे। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने के लिए उचित रूप से अपेक्षित है।

हम नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

<u>अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट</u>

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हम अनुलग्नक 1 में देते हैं, ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक बयान, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव।

2. जैसा कि कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2013 ("आदेश") के अनुसार आवश्यक है, कंपनियों के अधिनियम 143, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी, हम देते हैं 'अनुलग्नक II' आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान लागू सीमा तक लागू होता है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की, जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उचित पुस्तकों को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

ग) इस रिपोर्ट द्वारा दी गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की पुस्तकों के साथ हैं।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम, 2014 की धारा 133 के नियम 7 के साथ पठित के तहत आईएनडी एएस के साथ मिलान कर लिया गया है।

ड.) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2019 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2019 को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, जैसा कि अनुभाग के संदर्भ में अधिनियम का 164 (2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक III' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) इस संबंध में धारा197 (16) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को चालू वर्ष के दौरान दिया गया पारिश्रमिक बकाया है। अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार। किसी भी निदेशक को दिया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने धारा 197 (16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं, जिन पर हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

ज) कंपनी के ऑडिट नियम (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और उन्हें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

i. कंपनी ने लंबित मुकदमों और उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 को संदर्भित करें।

ii कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी।

iii कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

कृते अग्रवाल रमेश के. एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 0004614C

अजय कुमार गुप्ता
साथी
M.No. 503249
यूडीआईएन : 19503249AAAABT2711

दिनांक: 25.09.2019
स्थान: गुड़गांव

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध -1

(हमारी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

1) क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।

कंपनी के पास ओएलएफएएस लेखा पैकेज है और सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। आईटी प्रणाली के बाहर सभी लेखांकन लेनदेन विधिवत रूप से लेखांकन पैकेज में दर्ज किए जाते हैं और फिर सिस्टम से वाउचर उत्पन्न होते हैं और सहायक भौतिक दस्तावेजों के साथ दायर किए जाते हैं। ऑडिट परीक्षण जांचों पर आधारित था और हमारे ऑडिट के दौरान ऐसा कोई उदाहरण हमारे ध्यान में नहीं आया था जिसमें आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण में वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ा हो।

2) कृपया रिपोर्ट करें कि क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हो रहा है या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण / ऋण / ब्याज आदि की छूट / लिखावट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है

मौजूदा ऋण के किसी भी पुनर्गठन या छूट / ऋण / ऋण / ब्याज आदि को लिखने के मामले नहीं थे।

3) क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग / उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्त धनराशि का उसके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग / उपयोग किया गया था।

कृते अग्रवाल रमेश के. एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 0004614C

अजय कुमार गुप्ता
साथी
M.No. 503249
यूडीआईएन : 19503249AAAABT2711

दिनांक: 25.09.2019
स्थान: गुड़गांव

अनुलग्नक - II '

अनुबंध "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं" पर हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के रूप में स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारी तारीख की रिपोर्ट के अन्य 'कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित:

1) कंपनी के अचल संपत्ति के संबंध में:

(ए) कंपनी पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है जिसमें अचल संपत्तियों का विवरण और स्थिति शामिल है।

(बी) तीन साल की अवधि में सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए डिज़ाइन किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम में स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित की गई संपत्ति, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और प्रकृति के संबंध में उचित है इसकी संपत्ति।

(ग) वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 35.2 और 35.3 में बताए गए गुणों को छोड़कर, अचल संपत्तियों के शीर्षक कर्म कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

2) कंपनी की सूची के संबंध में:

(क) जैसा कि हमें समझाया गया है, सूची को उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा पीछा किए गए आविष्कारों की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी इन्वेंट्री के उचित रिकॉर्ड को बनाए रख रही है। सूची रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां भौतिक नहीं थीं और खातों की पुस्तकों के भीतर निपटा दी गई थीं।

3) कंपनी ने अधिनियमों की धारा 189 के तहत बनाए रखा रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

4) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5) कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 और 76 के प्रावधान या अधिनियम और कंपनी के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 जनता से स्वीकार किए गए जमा के संबंध में लागू नहीं हैं।

6) हमने कंपनी के उत्पादों के संबंध में कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों की व्यापक रूप से समीक्षा की है, जहां केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, लागत रिकॉर्ड का रखरखाव धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम की, और राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड

बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, हमने यह देखने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सही हैं या पूरी। वित्तीय वर्ष 2017 - 2018 से संबंधित लागत लेखा परीक्षा बाहर की गई है और कंपनी ने लागत लेखा परीक्षा के संबंध में वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

7) वैधानिक बकाया के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

क) कंपनी आम तौर पर निर्विवाद देय राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें प्रोविडेंट फंड, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर, जीएसटी के कर्तव्यों और उपयुक्त अधिकारियों के साथ लागू होने वाली अन्य सामग्री सांविधिक देयताएं शामिल हैं। हमें सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है।

ख) 31 मार्च, 2019 तक प्रोविडेंट फंड, इनकम-टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर, GST और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं थी। वे देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए। हमें सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हालांकि, टीडीएस अनुपालन चूक के मामले में देयता राशि रु। भुगतान के लिए लंबित 60 लाख आकस्मिक देयता में प्रकट किए गए हैं।

ग) आयकर के बकाए का विवरण जो विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है, नीचे दिए गए हैं:

नियम की प्रकृति	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	मंच जहां विवाद लंबित है	वह अवधि जिसके लिए राशियाँ संबंधित हैं
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	72.64	अपीलीय न्यायाधिकरण	2012-13

8) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों को देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्रति वर्ष 9.56% की दर से 100 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण लिया है। किताबों में 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा रहा है, लेकिन ऋण लेने के बाद से कोई भुगतान नहीं किया गया है।

9) प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या ऋण उपकरणों और टर्म ऋण सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन नहीं बढ़ाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

10) प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई है।

11) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है या कंपनी अधिनियम को अनुसूची V के साथ धारा 197 के प्रावधानों द्वारा पढ़े गए अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार प्रदान किया गया है;

12) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13) हमारी राय में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और 177 के अनुपालन में हैं और विवरण में वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक है।

14) प्रदर्शन की गई ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

15) प्रदर्शन की गई ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने किसी भी गैर-नकद लेनदेन में निदेशक या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

16) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए नहीं पर टिप्पणी की।

कृते अग्रवाल रमेश के. एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 0004614C

अजय कुमार गुप्ता
साथी
M.No. 503249
यूडीआईएन : 19503249AAAABT2711

दिनांक: 25.09.2019
स्थान: गुड़गांव

अनुलग्नक 'III'

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2019 तक मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है। ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट नोट में आवश्यक आंतरिक घटकों पर विचार करना। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट के इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे। धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय ऑडिट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट ("गाइडेंस नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मानकों और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है। , 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू और, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी दोनों। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों

के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो:

1. अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;
2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा
3. अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या कंपनी की संपत्ति के निपटान के समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी द्वारा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करना हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

कृते अग्रवाल रमेश के. एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 0004614C

अजय कुमार गुप्ता
साथी
M.No. 503249
यूडीआईएन : 19503249AAAABT2711

दिनांक: 25.09.2019
स्थान: गुड़गांव

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है, जिसमे 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र, लाभ-हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह और वित्तीय लेखे पर के नोट, साथ में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

हमारी राय एवं बेहतर सूचनाओं तथा हमें दी गई व्याख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा आवशयक वांक्षित सूचनाएं देता है और 31 मार्च 2018 को कंपनी के मामलों की स्थिति सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के साथ सत्य एवं स्पस्ट दृश्य इसके लाभ/हानि और वर्षांत तक के लिए इसका नकद प्रवाह को दर्शाता है।

राय का आधार

उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी की तरफ से स्वतंत्र हैं और इन्स्टिच्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी अचार संहिता तथा साथ में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत तथा इसके अंतर्गत नियमों के अनुसार वित्तीय विवरण का लेखा परिक्षण करते हैं , और हमने उस अचार संहिता की आवश्यकता के अनुरूप दायित्व का निर्वाहन किया है। हमें यकीन है कि जो साक्ष्य हमें मिला है वह हमारे राय के आधार के लिए सही एवं पर्याप्त है।

वित्तीय विवरण एवं लेखा परिक्षण प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचना

वित्तीय विवरण एवं अन्य सूचना की तैयारी, कंपनी के निदेशक मण्डल की होती है। अन्य सूचना में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट एवं उनका संलग्नक शामिल है, किन्तु वित्तीय विवरण एवं हमारा लेखा परिक्षण रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए जो हमारी राय है उसमे अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसके लिए हम किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

दूसरी जानकारी को पढ़ना हमारी ज़िम्मेदारी है और ऐसा करते हुए, विचार करना कि अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस तथ्य की जानकारी देने के लिए हमें इस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

मामले की अवधारणा

हम बिना अपनी राय को सिमित किये निम्नलिखित मामले की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं:

क) वित्तीय वर्ष 2017 - 18 के दौरान GST कानून 01.07.2017 से लागू हुआ और यूरेनियम कंसेंट्रेट शुरू में @ 5% कर योग्य था जिसे बाद में 10.11.2017 से

छूट दी गई। 01.07.2017 से 09.11.2017 की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा की गई यूरेनियम कंसेंट्रेट की आपूर्ति कर @ 5% थी। कंपनी ने समीक्षा अवधि के दौरान 26.81 करोड़ रुपये जीएसटी का भुगतान नहीं किया था । समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रबंधन ने 05 दिसंबर, 2017 को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को 01.07.2017 से छूट का अनुरोध करते हुए एक पत्र प्रदान किया था जो आज तक लंबित है क्योंकि इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा कोई अधिसूचना नहीं दी गई है।

ख) दो कार्यों से कुल लागत के बागजाता माइंस के सम्बन्ध में प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य से सम्बंधित लेखे की टिपण्णी 4 (घ) में (i) डिजाइनिंग सिंकिंग लाइनिंग कार्य संयंत्र 375 मीटर गहरी, 5 मीटर डायमीटर वर्टिकल शाफ़्ट जिसका मूल्य 2059.22 लाख रुपये तथा (ii) यूसिल में उपलब्ध पुराने 560kw वाइन्डर और हेड फ्रेम को जिसमें डिज़ाइन, इरेक्शन और 1000 लाख की कुल विंडर सिस्टम की कमीशनिंग शामिल है, जो 2159 लाख रुपये का कुल मूल्य बना रही है, को कुल 4254 लाख की राशि में पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है। ठेकेदार को कार्य दिया गया और ठेकेदार कार्य को विस्तारित तिथि 31.12.2014 इस पूरा करने में असफल रहा। कंपनी ने 247.61 लाख की जो अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ईएमडी) बैंक गारंटी के रूप में लिया था जिसकी अवधि 14.01.2015 को समाप्त हो गई। लंबित कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2159.22 लाख रूपये का है जो कि किसी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकित कर नियमानुसार व्यवहार किया जायेगा। कंपनी ने क़ानूनी5 प्रक्रिया आरम्भ की है और मामला 3 वर्ष की समयावधि की समाप्ति के बाद मध्यस्थता की स्थिति में है।

ग) वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए प्रयोज्य दर पर यूरेनियम सांद्र की क्षतिपूर्ति के राजस्व की मान्यता से सम्बंधित लेखों की टिपण्णी संख्या 21 में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। वर्ष 2017-18 के लिए यूरेनियम सांद्र की क्षतिपूर्ति की दर को परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरक़ार द्वारा निश्चित की गई है कर इसे हाल के वर्ष में क्षतिपूर्ति के अंतर्गत दिखलाया गया है।

घ) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.2 से सम्बंधित नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ खनन पट्टे का कार्य लंबित है। 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए 290.45 हेक्टेयर जमीन केलेंग पेंडिंग सोहियोंग मावथावा में, 1337.62 एकड़ जमीन लाम्बापुर एवं गोगी में 39.13 हेक्टेयर जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है।

ड.) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.3 सम्बंधित राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1517.59 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख रूपया है का हस्तांतरण विलेख लंबित है।

च) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 35.3 कंपनी मुसाबनी, झारखण्ड में 1986 से 3 एकड़ जमीन का उपभोग कर रही है। झारखण्ड सरकार द्वारा उठाये गए डिमांड नोट का भुगतान कर दिया गया है और झारखण्ड सरकार के साथ पट्टा हस्तांतरण का कार्य प्रगति पर है।

छ) कंपनी की लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आतंरिक लेखा परीक्षा नियुक्ति पत्र के सुचना दायरों में वर्णित पैमाने के अनुसार आतंरिक लेखा परीक्षा नहीं की जाती है। लेखांकन एवं वित्तीय मामलों से सम्बंधित क्षेत्र बिना जाँच के/बिना लेखा परीक्षा के रह गए हैं।

ज) विविध लेनदार के शेष राशि का मिलान लम्बे समय से लंबित है। लेखा परिक्षण के दौरान हमने शेष राशि की पुष्टि करने के लिए छः पार्टियों से पुष्टिकरण माँगा, जिसमे से पाँच पार्टियों का मिलान नहीं हो सका जो 2-3 वर्षो से लंबित थे। विविध वित्तीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए यह उचित है कि विविध लेनदारों का 100 % मिलान करना चाहिए।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अभिशासन के साथ प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013 की धरा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जिससे कि वित्तीय विवरण की तैयारी जो कंपनी की वित्तीय स्थिति की सही एवं साफ तस्वीर पेश करती है तथा वित्तीय संपादन एवं कंपनी का नकद प्रवाह भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन पद्धति के अनुसार है जिसमे अधिनियम की धरा 133 के अंतर्गत लेखांकन सिद्धांत भी शामिल हैं। इस दायित्व में पर्याप्त लेखांकन आंकड़े अधिनियम के अनुसार हैं जो कंपनी की निधि की सुरक्षा तथा अन्य अनियमितताओं को प्रकट करने के लिए तथा सही लेखांकन नीति का चुनाव करने के लिए तथा सही एवं सटीक अनुमान तथा निर्णय के लिए तथा वित्तीय

विवरण की तयारी एवं अनुपालन के लिए जो की वित्तीय विवरण की तयारी एवं वित्तीय विवरण में दर्शाये गए आंकड़े सही एवं स्पस्ट छवि पेश करें जो किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण त्रुटि से परे हो चाहे गलती से या गबन से हो।

वित्तीय विवरण की तयारी में प्रबंधन का दायित्व है की वह कंपनी की दक्षता का आकलन कर इसे चालू संस्था के आधार पर तथा चालू संस्था के लेखांकन के आधार पर करे, जब तक कि प्रबंधन की मंशा कंपनी का समापन या बंद करने का नहीं है तथा ऐसे किसी विकल्प के लिए नहीं है।
निदेशक मण्डल कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन को देखने तथा प्रक्रिया के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा , जब यह मौजूद रहे । गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर हमसे लिए गए आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं, हम भी:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं , चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखेबाज़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली एक से अधिक सामग्री के गलत होने का जोखिम न उठाना या त्रुटि के परिणामस्वरूप जो कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर , गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।

- ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालीऔर इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों और लेखा अनुमानों के तर्क और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों के मूल्यांकन का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालन , और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक परिपक्वता अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि वित्तीय विवरणों में इस तरह के खुलासे या, यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।

- खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम उन लोगों के साथ शासन के बारे में बातचीत करते हैं, जो ऑडिट के नियत दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और सुरक्षा उपाय से संबंधित जहां लागू हो।

शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में महत्वपूर्ण थे। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने के लिए उचित रूप से अपेक्षित है।

हम नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

<u>अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट</u>

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हम अनुलग्नक 1 में देते हैं, ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक बयान, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव।
2. जैसा कि कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2013 ("आदेश") के अनुसार आवश्यक है, कंपनियों के अधिनियम 143, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी, हम देते हैं 'अनुलग्नक II' आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान लागू सीमा तक लागू होता है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की, जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उचित पुस्तकों को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

ग) इस रिपोर्ट द्वारा दी गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की पुस्तकों के साथ हैं।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम, 2014 की धारा 133 के नियम 7 के साथ पठित के तहत मानक लेखांकन के साथ मिलान कर लिया गया है।

ड.) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2019 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2019 को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, जैसा कि अनुभाग के संदर्भ में अधिनियम का 164 (2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक III' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक III' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) इस संबंध में धारा197 (16) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को चालू वर्ष के दौरान दिया गया पारिश्रमिक बकाया है। अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार। किसी भी निदेशक को दिया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने धारा 197 (16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं, जिन पर हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

ज) कंपनी के ऑडिट नियम (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और उन्हें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

i. कंपनी ने लंबित मुकदमों और उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 को संदर्भित करें।

ii कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी।

iii कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

कृते अग्रवाल रमेश के. एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 0004614C

अजय कुमार गुप्ता
साथी
M.No. 503249
यूडीआईएन : 19503249AAAABT2711

दिनांक: 16.08.2019
स्थान: मुंबई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध -1

(हमारी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

1) क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीज़होल्ड के लिए क्रमशः स्पष्ट शीर्षक / पट्टे के कार्य हैं? यदि न हो तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख न करें, जिसके लिए शीर्षक / लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।

नोट नं 35.2 और 35.3 देखें:

35.2- कंपनी 1128.32 एकड़ भूमि पर नरवापहाड़ में अनुमति के अधिकार में है। तुरामडीह में 31.77 एकड़ की अतिरिक्त भूमि के संबंध में लीज, अभी तक केलेंग पेंडेंग सोहियोंग में 290.45 हेक्टेयर भूमि, लाम्बापुर में 1337.62 एकड़ और गोगी में 39.13 हेक्टेयर भूमि है।

35.3- कंपनी 1548.09 एकड़ ज़मीन (गत वर्ष 1548.09 एकड़) के अधिगृहीत कब्जे में है, जो राज्य सरकार / निजी पार्टियों से अधिग्रहित है, जिससे संबंधित पंजीकरण की औपचारिक विलेख लंबित है, जिसकी लागत रु. 1517.59 लाख (गत वर्ष . Rs.1517.59 लाख) संबंधित शीर्ष "लीजहोल्ड लैंड" और "फ्रीहोल्ड लैंड" के तहत कंपनी के अचल संपत्ति में शामिल है।

35.3 कंपनी झारखंड के मोसाबनी में 1986 से 3 (तीन) एकड़ जमीन का उपयोग कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए डिमांड नोट का भुगतान किया गया है और झारखंड सरकार के साथ लीज ट्रांसफर डीड की प्रक्रिया चल रही है।

2) कृपया रिपोर्ट करें कि क्या ऋण / ऋण / ब्याज आदि की छूट / लिखने-बंद होने के कोई मामले हैं, यदि हाँ, तो इसके कारणों और इसमें शामिल राशि।

कर्ज / ऋण / ब्याज आदि की छूट / लिखित छूट के कोई मामले नहीं हैं।

3) क्या सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त तृतीय पक्षों और परिसंपत्तियों के साथ पड़े आविष्कारों के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है।

प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तीसरे पक्षों के पास कोई आविष्कार नहीं है। जैसा कि हमें समझाया गया है, वर्ष के दौरान सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते **अग्रवाल रमेश के. एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 0004614C

अजय कुमार गुप्ता
साथी
M.No. 503,249
यूडीआईएन : 19503249AAAABT2711

दिनांक: 16.08.2019
स्थान: मुम्बई

अनुलग्नक - II

अनुबंध "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं" पर हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित किया गया है

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के रूप में स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारी तारीख की रिपोर्ट के अन्य 'कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित:

1) कंपनी के अचल संपत्ति के संबंध में:

(क) कंपनी पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है जिसमें अचल संपत्तियों का विवरण और स्थिति शामिल है।

(ख) तीन साल की अवधि में सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए डिज़ाइन किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम में स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित की गई संपत्ति, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और प्रकृति के संबंध में उचित है इसकी संपत्ति।

(ग) अचल संपत्तियों के शीर्षक कर्म कंपनी के नाम पर हैं।

2) कंपनी की सूची के संबंध में:

(क) जैसा कि हमें समझाया गया है, सूची को उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा पीछा किए गए आविष्कारों की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी इन्वेंट्री के उचित रिकॉर्ड को बनाए रख रही है। सूची रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां भौतिक नहीं थीं और खातों की पुस्तकों के भीतर निपटा दी गई थीं।

3) कंपनी ने अधिनियमों की धारा 189 के तहत बनाए रखा रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

4) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5) कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 और 76 के प्रावधान या अधिनियम और कंपनी के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 जनता से स्वीकार किए गए जमा के संबंध में लागू नहीं हैं।

6) हमने कंपनी के उत्पादों के संबंध में कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों की व्यापक रूप से समीक्षा की है, जहां केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, लागत रिकॉर्ड का रखरखाव धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम की, और राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, हमने यह देखने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सही हैं या पूरी। वित्तीय वर्ष 2017 - 2018 से संबंधित लागत लेखा परीक्षा बाहर की गई है और कंपनी ने लागत लेखा परीक्षा के संबंध में वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

7) वैधानिक बकाया के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

क) कंपनी आम तौर पर निर्विवाद देय राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें प्रोविडेंट फंड, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर, जीएसटी के कर्तव्यों और उपयुक्त अधिकारियों के साथ लागू होने वाली अन्य सामग्री सांविधिक देयताएं शामिल हैं। हमें सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है।

ख) 31 मार्च, 2019 तक प्रोविडेंट फंड, इनकम-टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर, GST और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं थी। वे देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए। हमें सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हालांकि, टीडीएस अनुपालन चूक के मामले में देयता राशि रु। भुगतान के लिए लंबित 60 लाख आकस्मिक देयता में प्रकट किए गए हैं।

ग) आयकर के बकाए का विवरण जो विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है, नीचे दिए गए हैं:

नियम की प्रकृति	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	मंच जहां विवाद लंबित है	मंच जहां विवाद लंबित है वह अवधि जिसके लिए राशियाँ संबंधित हैं
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	72.64	अपीलीय न्यायाधिकरण	2012-13

8) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों को देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्रति वर्ष 9.56% की दर से 100 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण लिया है। किताबों में 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा रहा है, लेकिन ऋण लेने के बाद से कोई भुगतान नहीं किया गया है।

9) प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या ऋण उपकरणों और टर्म ऋण सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन नहीं बढ़ाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

10) प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई है।

11) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है या कंपनी अधिनियम को अनुसूची V के साथ धारा 197 के प्रावधानों द्वारा पढ़े गए अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार प्रदान किया गया है;

12) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13) हमारी राय में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और 177 के अनुपालन में हैं और विवरण में वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक है।

14) प्रदर्शन की गई ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

15) प्रदर्शन की गई ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने किसी भी गैर-नकद लेनदेन में निदेशक या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

16) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए नहीं पर टिप्पणी की।

कृते **अग्रवाल रमेश के. एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 0004614C

अजय कुमार गुप्ता
भागीदार
M.No. 503,249
यूडीआईएन : 19503249AAAABT2711

दिनांक: 16.08.2019
स्थान: मुम्बई

अनुलग्नक - III

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2019 तक मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है। ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट नोट में आवश्यक आंतरिक घटकों पर विचार करना। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट के इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे। धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय ऑडिट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट ("गाइडेंस नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मानकों और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है। , 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू और, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी दोनों। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो:

1. अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;
2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा

3. अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या कंपनी की संपत्ति के निपटान के समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी द्वारा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करना हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

कृते **अग्रवाल रमेश के. एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 0004614C

अजय कुमार गुप्ता
भागीदार
M.No. 503,249
यूडीआईएन : 19503249AAAABT2711

दिनांक: 16.08.2019
स्थान: मुम्बई

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-Officio Member Audit Board-IV, New Delhi

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय
स.833-PDCA/MAB-IV/Company/A/cs-UCIL/19-20/4147
दिनांक:- 27.09.2019

सेवा में,
The Chairman & Managing Director,
Uranium Corporation of India Ltd.,
Jaduguda Mines, Singhbhum (East),
Jharkhand - 832 102

विषय: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(b) **के अंतर्गत Uranium Corporation of India Limited के** 31 **मार्च** 2019 **को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिपण्णियाँ**

महोदय,

इस पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(b) के अंतर्गत Uranium Corporation of India Limited के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Nil Comment प्रमाण पत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्न : यथोपरि

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाये गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड** की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण के बारे में सनदी लेखपाल संरक्षण के व्यवसायिक संसथान के निर्धारित मानक के तहत अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है। यह उनके संशोधित लेखा प्रतिवेदन दिनांक 25 सितम्बर 2019 के द्वारा किया गया है जो जो उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट में 16 अगस्त 2019 के स्थान पर है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा [परीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड** का अनुपूरक लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के अंतर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारंभिक पूछ-ताछ एवं कुछ चुने गए कागजातों एवं लेखा रेकॉर्डों के आधार पर किया गया है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधन (नों) को देखते हुए, पूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ ऑडिट अवलोकन के प्रभाव को देने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पेश करने या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक

स्थान : नई दिल्ली
दिनंक : 27.09.2019

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

तुलन-पत्र

₹ लाख में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
संपत्ति			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	**186412.48**	200,922.24
प्रगतिधीन कार्य पूंजी	4	**36953.85**	28,111.46
अमूर्त परिसंपत्तियां	5	**7283.91**	9,674.49
वित्तीय परिसंपत्तियां			
- ऋण	6	**836.23**	1,078.24
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	13	**856.97**	696.50
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	7	**172.98**	172.98
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		**232,516.42**	**240,655.91**
वर्तमान संपत्ति			
मालसूची (इन्वेंटरी)	**8**	**22,452.61**	**33,823.80**
वित्तीय परिसंपत्तियां			
- व्यापार प्राप्य	9	**101,918.03**	63,295.06
- नकद और नकद समतुल्य	10	**18,163.11**	2,744.25
- नकद और नकद समतुल्यों के अलावा बैंक शेष राशि	11	**5,204.65**	117.32
- ऋण	6	**2,637.42**	2,691.27
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	13	**920.06**	759.94
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	12	**-**	-
अन्य वर्ततमान परिसंपत्तियां	14	**2,821.10**	2,988.11
कुल वर्ततमान परिसंपत्तियां		**154,116.98**	106,419.75
कुल परिसंपत्तियां		**386,633.40**	**347,075.66**
इक्विटी और देनदारियां			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	15	**206,961.78**	181,561.78
अन्य इक्विटी	16	**76,431.68**	84,761.19
कुल इक्विटी		**283,393.46**	**266,322.97**
देयताएं			
गैर-वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
- अन्य वित्तीय देनदारियां	17(c)	**1,893.55**	1,035.56
प्रावधान	18	**8,672.48**	7,096.05
आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	19	**17,932.53**	7,764.01
कुल गैर-वर्तमान देनदारियां		**28,498.56**	15,895.62
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
- उधार	17(a)	**10,000.00**	10,000
- व्यापार देय			
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	17(b)	**43.06**	41.70
उपर्युक्त के अलावा	17(b)	**5,145.64**	6,361.07
- अन्य वित्तीय देनदारियां	17(c)	**45,915.79**	39,424.62
प्रावधान	18	**3,258.39**	4,806.52
वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	12	**6,067.53**	221.98
अन्य वर्तमान देनदारियां	20	**4,310.97**	4,001.18
कुल वर्तमान वर्तमान		**74,741.38**	64,857.07
कुल देनदारियां		**103,239.94**	**80,752.69**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**386,633.40**	**347,075.66**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1,2**		

संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल रमेश एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 004614C

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार गुप्ता
साझीदार
सदस्यता संख्या: 503249
स्थान: मुंबई
दिनांक: 16-08-2019
यूडीआईएन: 19503249AAAAAU2660

बी सी गुप्ता
कंपनी सचिव
एईआरपीजी9596सी

एस आर प्रणेश
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 08477517

देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07252959

सी के असनानी
अध्यक्षसह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03497356

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी

₹ लाख में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
आय			
परिचालन से राजस्व	21	**201,393.02**	178,273.98
अन्य आय	22	**2,086.26**	1,123.71
कुल आय		**203,479.28**	179,397.69
व्यय			
खपत सामग्री की लागत	23(क)	**17,984.42**	17,335.53
तैयार माल और जारी कार्य की सूची में परिवर्तन	23 (बी)	**11,483.34**	19,419.98
माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		**-**	3.07
कर्मचारी लाभ व्यय	24	**47,125.82**	40,739.45
वित्तीय लागत	25	**869.58**	3,871.49
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	**21,084.81**	21,962.66
अन्य व्यय	27	**65,148.74**	63,453.06
कुल व्यय		**163,696.71**	166,785.24
कर से पहले लाभ / (हानि)		**39,782.57**	12,612.45
कर व्यय			
(1) वर्तमान कर	28	**8,171.94**	2,945.11
(2) आस्थगित कर	28	**10,190.49**	(1,208.10)
कुल कर व्यय		**18,362.43**	1,737.01
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**21,420.14**	10,875.44
अन्य व्यापक आमदनी			
ऐसे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः माप		**(2,017.62)**	(427.19)
उपरोक्त वस्तुओं से संबंधित आयकर		**21.98**	1.89
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		**(1,995.64)**	(425.30)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**19,424.50**	10,450.14
प्रति शेयर आय			
बेसिक और डाइल्यूट	29	**104.83**	64.08

संलग्न टिपणियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल रमेश एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 004614C

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार गुप्ता
साझीदार
सदस्यता संख्या: 503249
स्थान: मुंबई
दिनांक: 16-08-2019
यूडीआईएन: 19503249AAAAAU2660

बी सी गुप्ता
कंपनी सचिव
एईआरपीजी9596सी

एस आर प्रणेश
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 08477517

देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07252959

सी के असनानी
अध्यक्षसह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03497356

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियां

(i) कॉर्पोरेट जानकारी

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ("कंपनी") एक सार्वजनिक कंपनी है जो शेयरों द्वारा सीमित है, कंपनी का गठन 4 अक्टूबर, 1967 को किया गया और भारत में अवस्थित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे अग्रणी है। दबाव वाले भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करते हुए, यूसीआईएल देश की परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसीआईएल एक ISO 9001: 2008, 14001: 2004 और IS 18001: 2007 कंपनी है और कंपनी ने अपनी खदानों एवं प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ अपनायी हैं।

(ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

2.1 तैयारी करने के लिए आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (Ind AS), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य लागू वैधानिक कानूनों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया जाता है।

2.2 माप का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित मामलों को छोड़कर व्यवसाय की निरंतरता की अवधारणा और उपार्जन/वृद्धि आधार तथा ऐतिहासिक लागत की परंपरा के तहत तैयार किए गए है:

क) मेडिकल स्टोर, खेल सामग्रियाँ तथा कैंटीन एवं अतिथि गृह के लिए प्रावधान नकद आधार पर किया जाता है अर्थात उन्हें खरीद के समय व्यय में शामिल किया जाता है,

ख) परिभाषित लाभ योजना - उचित मूल्य पर मापी गयी योजना परिसंपत्ति और

ग) उचित मूल्य पर मापे गये खदान बंदी दायित्व।

2.3 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान इस्तेमाल किये गए अनुमानों एवं निर्णयों का कंपनी द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य मान्यताओं तथा कारकों (भविष्य की घटनाओं की संभावनाओं सहित) पर आधारित हैं, जिन्हें कंपनी मौजूदा परिस्थितियों के तहत उचित समझती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम ज्ञात / प्रकट होते हैं।

उक्त अनुमान वैसे तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हैं, जो रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान थीं, या उस तिथि के बाद घटित हुई लेकिन रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान स्थितियों के बारे में अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध कराती हैं।

2.4 कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा अंतरण

क. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और उसके अधिकांश संचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपयों (₹) में है, जो उस आर्थिक परिवेश की मुख्य मुद्रा है, जिसमें कंपनी काम करती है, और इसे 'लाख रुपये' में दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है, यदि अन्यथा घोषित न किया गया हो।

ख. लेनदेन और शेष

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में वर्णित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का अंतरण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक सामग्रियों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।

मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों को, शुरुआती मान्यता के

दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में अंतरण करने की दर से भिन्न दर पर, अंतरित करने की वजह से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती ह, और पूंजीगत परसंपत्ति के मामले में उत्पन्न होने वाले अंतर को अचल परिसंपत्तियों / पूंजी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

2.5 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को, जब वे कंपनी के सामान्य संचालन चक्र, अर्थात बारह महीने, के भीतर देय होती हैं, वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6 संपति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टे की भूमि को ऐतिहासिक लागत पर अग्रेनीत किया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वैसे व्यय शामिल होते हैं जिनका संबंध भूमि अधिग्रहण से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च की गयी मुआवजा राशि इत्यादि।

नई खदान की स्थापना पर होने वाले व्यय को नयी खदान के ऐसे निर्माण के दौरान उत्पादित अयस्क से हुई आमदनी को घटाने के बाद पूँजीकृत किया जाता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर को संबंधित संपत्तियों के साथ पूँजीकृत किया जाता है।

अन्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों को ऐतिहासिक लागत घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। परियोजनाओं से संबंधित पूर्व-परिचालनात्मक व्यय, वैसे खर्च जो सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण या स्वतःनिर्माण से संबंधित हैं, और ऐरेक्शन / इंस्टॉलेशन पर किया गया व्यय तथा परिसंपत्तियों को उनके असली उद्देश्य के अनुसार काम करने की स्थिति में लाने पर हुए अन्य संबंधित खर्च को लागत में शामिल किया जाता है।

कंपनी द्वारा, उत्पादन, वस्तुओं की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुँच के लिए आवश्यक कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण /विकास पर किये गये पूंजीगत व्यय को, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षमकारी परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब भी किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण हिस्सों की उपयोगी आयु अलग-अलग होती है, तब उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पृथक सामग्रियों (अवयवों) के रूप में लेखांकित किया जाता है।

दैनिक सर्विसिंग पर आनेवाली लागत, जिसे मरम्मत और रखरखाव के रूप में वर्णित किया जाता है, को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में उसे खर्च किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पहले से ही पूँजीकृत मद पर होने वाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा मद के संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इसे भविष्य अपेक्षी रूप से अवमूल्यित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या उसे सेवा से हटाये जाने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

इन्श्योरेंस स्पेयर्स, जिनका इस्तेमाल केवल संपत्ति, संयंत्र या उपकरण एवं उनके उपयोग के किसी मद के सिलसिले में ही किया जा सकता है और जिनका उपयोग अनियमित रहने की संभावना होती है, को पूँजीकृत किया जाता है। आपातोपयोगी उपकरणों को संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि वे उत्पादन या माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति में इस्तेमाल के लिए रखे गये हों और यदि उन्हें एक से अधिक अवधियों के दौरान इस्तेमाल किये जाने की उम्मीद हो; अन्यथा ऐसी संपत्तियां माल-सूची (इन्वेंट्री) के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

2.7 पट्टे

ऐसे पट्टे को, जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को काफी हद तक स्थानांतरित कर देता है, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन पट्टों में स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टादाता द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, उन्हें संचालित पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टे को उसकी प्रारंभ तिथि को ही वित्त पट्टा या संचालित पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्त पट्टों को, प्रारंभ तिथि पर पट्टे की शुरुआत में, पट्टे पर दी गयी संपत्ति के उचित मूल्य के आधार पर पूँजीकृत किया जाता है। संचालित पट्टा भुगतानों को, पट्टा अवधि के दौरान, लाभ व हानि के विवरण में सीधी रेखा (स्ट्रेट लाइन) पर आधारित एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.8 अवमूल्यन

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण से संबंधित अवमूल्यन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर, सीधी रेखा विधि से, या कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों के तकनीकी अनुमानों के आधार पर प्रदान किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के लिए तकनीकी अनुमान पर अवमूल्यन प्रदान किया गया है वे नीचे उल्लिखित हैं;

- सड़क, पुल और पुलिया (कल्वर्टस): 30 वर्ष
- शाफ्ट और डिक्लाइन : 21 वर्ष
- विद्युतीय प्रतिस्थापन : 15 वर्ष
- संयंत्र और मशीनरी (मिल) : 8.5 - 9.5 वर्ष
- (ट्रिपल शिफ्ट के आधार पर)
- आवासीय भवन तुरामडीह : 45 वर्ष
- कंसर्टीना तार की बाड़ : 15 वर्ष
- चेन लिंक बाड़ : 10 वर्ष
- कांटेदार तार की बाड़ : 5 वर्ष

खुली खदान के विकास, ओवरबर्डन को हटाने और खदान के शुरू होने की तारीख तक माइनिंग बेंच को तैयार करने के लिए किये गये व्यय को खदान की पूरी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है।

एक वित्तीय वर्ष में टेलिंग डेम (स्लाइम डैम) को ऊँचा करने के काम के पूर्ण किये गये हिस्से को पूंजीकृत किया जाता है और तकनीकी आकलन के अनुसार इस ऊँचाई की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

संवर्धन या विस्तार का ऐसा काम जो मौजूदा परिसंपत्तियों का अभिन्न हिस्सा बन जाता है, उस परिसंपत्ति के शेष उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

सरकारी भूमि, निजी भूमि, और टेलिंग पोंड्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जानेवाली वन भूमि को टेलिंग पोंड्स की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

पट्टे पर अभिग्रहीत एवं अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा रही सरकारी भूमि को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में जो सबसे कम हो उतनी अवधि के दौरान अवमूल्यित किया जाता है, यदि इस बात की पर्याप्त निश्चितता न हो कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

इंश्योरेन्स स्पेयर्स को संबंधित परिसंपत्तियों की शेष उपयोगी आयु के दौरान उस दर पर अवमूल्यित किया जाता है जो वर्तमान परिसंपत्तियों पर लागू होती है, और मौजूदा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर इंश्योरेंस स्पेयर्स के अधिग्रहण की तारीख तक के अवमूल्यन राशि को अधिग्रहण के वर्ष में चार्ज-ऑफ किया जाता है।

परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजित कर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी/हटायी गयी परिसंपत्तियों को समानुपातिक आधार पर, अधिग्रहण/आरंभ होने के लिए महीने का पहला दिन और निपटान के लिए महीने का आखिरी दिन लेते हुए, अवमूल्यित किया जाता है।

2.9 अमूर्त संपति और परिशोधन

शुरुआती मान्यता में, अमूर्त संपत्तियों को लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। शुरुआती मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत घटाव किसी भी प्रकार का संचित धन एवं संचित क्षति हानि के साथ अग्रेनीत किया जाता।

पहले से ही ही पूँजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर होने वाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा परिसंपत्ति में निहित संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इसे भविष्य अपेक्षी रूप से परिशोधित किया जाता है।

आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है), जो भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ दे सकता है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब वह इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है।

पहचानने योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों, जैसे कि भूमि के उपयोग का अधिकार, के लिए भुगतान की गयी राशि को चुकायी गयी राशि के उपयुक्त मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है और इसे लागत घटाव संचित अवमूल्यन व क्षति मूल्य के रूप में दर्ज किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों (परिमित आयु वाली) को लागत मॉडल के अनुसार एक सीधी रेखा पद्धति के आधार

(स्ट्रेट लाइन बेसिस) पर उनके अपेक्षित उपयोगी आयु के दौरान परिशोघधित किया जाता है।

विकास गतिविधियों का मतलब है अनुप्रयोग के निष्कर्ष या व्यावसायिक उत्पादन या इस्तेमाल शुरू होने से पूर्व नयी या काफी हद तक सुधारी गयी सामग्रियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों की किसी योजना या डिजाइन का ज्ञान। लागत को पांच वर्षो के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाएगा।

2.10 प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य

प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य में शामिल हैं परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण के लिए व्यय, और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत, जो अब तक अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार नहीं है।

2.11 खदान बंदी, स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

डि-कमीशनिंग लागतें अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित लागत के वर्तमान मूल्य पर प्रदान की जाती है और इन्हें प्रासंगिक परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पहचाना जाता है। नकदी प्रवाह को मौजूदा कर-पूर्व दर से डिस्काउंट किया जाता है, जो पैसे के समय-मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। डिस्काउंट के मोचन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है। अनुमानित भविष्य की लागतों या लागू की गयी डिस्काउंड दर में हुए परिवर्तन को परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाता है। खदान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 के अनुसार खदान बंदी और पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूरा करने की देयता का तकनीकी तौर पर आकलन मैसर्स मेकॉन लिमिटेड द्वारा किया गया है।

2.12 गैर-वित्तीय परिसंपतियों की क्षति

परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी प्रकार की क्षति के संकेत हैं या नहीं। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो उस परिसंपत्ति से प्राप्त की जानेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। जहाँ कहीं भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली जाने वाली राशि से ज्यादा होती है इसे क्षतिकारी हानि माना जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य और उपयोग किये जा रहे मूल्य में से जो ज्यादा हो वही होती है। उपयोग किये जा रहे मूल्य का आकलन करने के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य तक डिस्काउंट किया जाता है।

वहन राशि को वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और इस कमी को लाभ और हानि के विवरण में क्षतिकारी हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। पहले से मान्यता प्राप्त क्षति-हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हालांकि, क्षतिकारी हानि को घटाकर वहन राशि से ज्यादा तक नहीं लाया जाता है, यह निर्धारित किया गया होगा (परिशोधन या अवमूल्यन का शुद्ध) पूर्व वर्ष में किसी क्षतिकारक हानि को मान्यता नहीं दी गई थी। क्षति के बाद, अवमूल्यन क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संशोधित वहन मूल्य पर उसकी शेष बची उपयोगी आयु के दौरान प्रदान किया जाता है।

2.13 वित्तीय प्रपत्र या साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है, जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य संस्था की वित्तीय देयता या इक्विटी उपकरण को जन्म देता है।

2.14 माल सूचियाँ

क. माल सूचियों की माप

माल-सूचियों के मूल्य को लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में जो सबसे कम हो उस पर निर्धारित किया जाता है।

माल सूचियों की अनुमानित बिक्री कीमत में से पूर्ण करने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाने पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य प्राप्त होता है।

ख. लागत फॉर्मूला

1	अयस्क या प्रगतिधीन कार्य	अवशोषण लागत विधि पर
2	प्रत्यक्ष सामान, स्टोर और पुर्जे	भारित औसत लागत पर
3	माल जो रास्ते में है और निरीक्षण के अंतर्गत है	अधिग्रहण लागत पर
4	गौण उत्पाद	परिवर्तन लागत पर
5	रद्दी माल	अनुमानित लागत पर

ग. स्टोर और पुर्जे

स्पेयर्स पुर्जे और अपातोपयागी (स्टैन्डबाई) उपकरणों को माल सूची के रूप में वर्गीकत किया जाता है यदि वे उत्पादन या माल की आपूर्ति में इस्तेमाल किया जाते हों। लूज़ टूल्स को जारी करने के वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

कैपिटल स्टोर्स एवं बीमा स्पेयर्स को छोड़कर, पांच साल तक अचलायमान स्टोर्स स्पेयर्स के लिए प्रावधान सृजित किया जाता है। अप्रचलित घोषित सामग्री को आवश्यक निपटान के लिए अलग किया जाता है और उसके बही मूल्य को बट्टे खाते में डाला जाता है। निपटान के बाद वसूले गये मूल्य को आय में जमा (क्रेडिट) कर दिया जाता है।

2.15 नकद प्रवाह विवरणी

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकद प्रवाह की सूचना दी जाती है जिससे विगत या भावी नकद प्राप्ति संचालन या भुगतान की भिन्नता या संग्रहण और विनियोजन का वित्तपोषित नकद प्रवाह सहित आय या व्यय की वस्तु की लिए कर पूर्व लाभ गैर नकद प्रकृति की लेनदेन के प्रवाह के लिए समायोजित किया जाता है नकदी प्रवाह संचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों में अलग हो जाते है।

2.16 नकद एवं नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी में प्रस्तुति के उद्देश्य के लिए नकद एवं नदक समतुल्य में नकदी, हाथ में नकदी, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यधिक तरल शामिल है जो अधिग्रहण की तारिख से आसानी से परिवर्तनीय हैं। नकदी की मात्रा और जो मूल्य में एक महत्वपूर्ण जोखिम परिवर्तन एवं बैंक ओवरड्राफ्ट के अधीन है। बैंक ओवरड्राफ्ट तुलन पत्र में मौजूदा देनदारियों में उधार के तहत दिखाये जाते हैं।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी की वित्तीय संपत्तियों में नकद और बैंक शेष, ऋण एवं कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां और प्रतिभूति जमा शामिल हैं।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

बिना नियत परिपक्वता अवधि के प्रतिभूति जमा को उस मूल्य पर आगे ले जाया जाता है जिसपर इसे अनुबंध समाप्त होने पर प्राप्त किया जाएगा और यही वह राशि है जो वास्तव में भुगतान की जाती है। वह समयावधि, जिस पर रकम प्राप्त की जाएगी, अनिर्णीत है क्योंकि वह रकम तब प्राप्त होगी जब अनुबंध समाप्त किया जा रहा होगा। डिस्काउंटिंग को हटा दिया जाता है, क्योंकि समयावधि निर्धारण योग्य नहीं होती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता-समाप्ति

एक वित्तीय संपत्ति की मान्यता को केवल तभी समाप्त समझा जाता है जब

- कपनी ने वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो, या
- उसने वित्तीय संपत्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आनुबंधिक अधिकारोंको बरकरार रखा हो, लेकिन एक या उससे अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए अनुबंध संबंधी दायित्व स्वीकार करती हो।

ख. वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियां ऐसी परिस्थिति में जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं, किसी अन्य इकाई को नकद या कोई और वित्तीय परिसंपत्ति देने या वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का उन इकाइयों के साथ

विनिमय करने का संविदात्मक दायित्व है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं इन्हें अपने लेनदेन मूल्य पर

मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियों की मान्यता-समाप्ति

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समयसीमा खत्म हो जाए। किसी वित्तीय दायित्व की आगे ले जानेवाली राशि, जिसे किसी अन्य पक्ष को शमित या स्थानांतरित किया गया हो, एवं भुगतान किये गये मूल्य, जिसमें स्थानांतरित गैर-नकदी परिसंपत्तियाँ एवं स्वीकार की गयी देनदारियाँ शामिल हैं, को लाभ व हानि के विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ समायोजित की जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है, यदि वर्तमान में मान्यताप्राप्त राशियों को समायोजित करने का साध्य कानूनी अधिकार हो और यदि शुद्ध आधार पर निपटारा

करने का इरादा हो, ताकि परिसंपत्तियों की सब और देनदारियों का निपटान एक साथ किया जा सके।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर के योग को निरूपित करता है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती हैए सिवाय उस स्थिति में जिसमें वह सीधे इक्विटी या अन्य विस्तृत आय से संबंधित हो।

क. वर्तमान आयकर

वर्तमान कर आयकर अधिनियमए 1961 के तहत वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है।

ख. आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की आगे ले जानेवाली राशियों एवं कर.

योग्य लाभ की गणना में इस्तेमाल किये गये संबंधित कर आधारों जंग के बीच के अस्थायी अंतर के आधार पर मान्य किया जाता है और इसका लेखांकन तुलन-पत्र देयता विधि से किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों जंग को आम तौर पर पर सभी घटाने.योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानि जंग एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट जंग के लिए मान्य किया जाता है, उस हद तक कि यह संभावना रहे कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो गए जिसके विरुद्ध ऐसे घटाने योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को की जाती है और यह इस हद तक घटायी जाती है कि यह संभावना ही न रहे कि पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध हो और उसके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

बकाया कर संपत्ति और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता हैए जिनकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती हैए जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की वसूली होती हैए और यह उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर किया जाता है जो बैलेंश शीट तिथि तक लागू लागू की गयी हों।

न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को आस्थगित कर संपत्ति जंग के रूप में मान्य किया जाता है, केवल तभी और उसी हद तकए जब इस बात का स्पष्ट प्रमाण हो कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। इस तरह की परिसंपत्ति की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है और परिसंपत्ति की आगे ले जानेवाली राशि घटा दी जाती है, उस हद तक जिसमें इस बात का ठोस सबूत न हो कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

2.18 आय को मान्य करना

कंपनी आय को मान्य तब करती है जब आय की राशि को भरोसेमंद रूप से मापा जा सकता हो, यह संभव है कि इकाई को भावी आथिक लाभ मिलेगा यानी, जब यूरेनियम सांद्र भारत सरकार को सौंपा जाएगा।

बाई.प्रोडक्ट्स की बिक्री से प्राप्त आय को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल (एक्साइज ड्यूटी समेत) रिटर्न और भत्तेए ट्रेड छूट और वॉल्यूम रिबेट्स के शुद्ध जोड़ पर मान्य किया जाता है।

2.19 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागतए जिसे सीधे तौर पर योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से जोड़ा जा सकता हैए को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जा सकता है (कोष को अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने से हुई शुद्ध आय), तब तक जब तक कि वे परिसंपत्तियाँ अपने इच्छित उद्देश्य से इस्तेमाल को तैयार न हों। योग्य परिसंपत्तियाँ वैसी परिसंपत्तियाँ हैं, जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से अच्छा-खासा समय लेती हैं।

अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जिसमें उन्हें वहन किया गया है।

2.20 कर्मचारी लाभ

क. अल्पावधि लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में मान्य किये जाते हैंए जिसमें उनसे संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ख. यात्रा अवकाश छूट लाभ

यात्रा अवकाश छूट को वर्ष के लाभ व हानि विवरण में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर शामिल किया जाता है।

ग. अवकाश नकदीकरण लाभ

अजित अवकाशएवं बीमारी के अवकाश की देयता का निपटान कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा दिये जाने की अवधि

की समाप्ति के 12 महीनों के अंदर किये जाने की आशा नहीं की जाती। इसलिए उन्हें भविष्य में होने वाले वैसे भावी भुगतानों के वर्तमान मान के रूप में मापा जाता है, जो कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए किये जाएँगे। लाभों को, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी प्रतिभूतियो, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती ह, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड का इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन की वजह से की जानेवाली पुनर्माप को अन्य विस्तृत आय में मान्य किया जाता है।

दायित्वों को तुलन-पत्र में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यदि इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 महीने बाद तक निपटान को आस्थगित करने का बेशर्त अधिकार न हो, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक निपटान कब होने की उम्मीद है।

घ. नियोजन पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

कंपनी निम्नलिखित सेवा-अवधि के बाद की योजनाओं को संचालित करती है:-

I) परिभाषित लाभ योजनाएं जैसे कि ग्रेच्युटी, नियोजन पश्चात चिकित्सा लाभ

क) ग्रैच्युटी दायित्व

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि से किया जाता है और बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किये जाते हैं।

परिभाषित लाभ ग्रैच्युइटी योजनाओं के संबंध में तुलन-पत्र में मान्य की गयी देयता या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य घटाव योजना की संपत्तियों के उचित मूल्य के बराबर होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी कैश आउटफ्लो को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी बौंड, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती हैं, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड के संदर्भ में डिस्काउंट किया जाता है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व एवं संपत्तियों के उचित मूल्य के शुद्ध शेष पर डिस्काउंट रेट को लागू करते हुए की जाती है। यह लागत लाभ व हानि विवरण के कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है।

बीमांकिक मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होती है, वह भी सीघे अन्य विस्तृत आय में। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है। योजना समायोजन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में हुए परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत ही पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

ख) सेवा अवधि के बाद के चिकित्सा लाभ

इन लाभों की अपेक्षित लागत कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान संचित होती है और इसके लिए उसी लेखांकन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है जिसका परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए किया जाता है। बीमांकिक मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को अन्य विस्तृत आय में चार्ज या क्रेडिट किया जाता है, उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

II) परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड

प्रोविडेंट फंड में कंपनी का योगदान बढ़ोतरी आधार पर लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सुपरएन्यूएशन फंड में योगदान कंपनी की नीतियों के मुताबिक किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित होता है और उस वर्ष में लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें योगदान (प्रीमियम) देय होता है।

2.21 अनुसंधान और विकास व्यय

पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित व्यय विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किये जाते हैं और इन्हें लागू दरों पर अवमूल्यित किया जाता है। रेवेन्यू व्ययको उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें वह खर्च किया जाता है।

2.22 पूर्व प्रदत्त व्यय

पूर्व प्रदत्त व्यय को केवल वहीं लेखांकित किया जाता है, जहाँ अव्यतीत अवधि से संबंधित राशियाँ प्रत्येक मामले में ₹ 50,000 से ज्यादा हों

2.23 स्ट्रिपिंग एक्टिविटी व्यय /समायोजन

खदान के विकास चरण के दौरान अयस्क निकाय के विकास पर हुए स्ट्रिपिंग व्ययका पूँजीकरण किया जाता है, जबकि उत्पादन चरण के दौरान इसे लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

2.24 दावारहित देयता

जॉब / अनुबंध पूरा करने के बाद, पाँच वर्षों से ज्यादा अवधि से बकाया दावारहित अनुबंध मूल्य, अग्रिम राशि सुरक्षा जमा कॉशन मनी को समीक्षा के बाद विविध आय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि दावा न किया गया क्रेडिट बैलेंस संविदा मूल्य की वजह से प्रोजेक्ट से संबंधित है, या अब कंपनी की देनदारियों के रूप में नहीं माना जाता, तो उसे पहचानी गयी प्रासंगिक संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। ऐसी मदका विवरण रखा जाएगा । बाद में, रिफंड के मामले में, समीक्षा के बाद रिफंड के वर्ष में, उसे विविध खर्च में डेबिट किया जाएगा।

2.25 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों से संभवत: कंपनी के आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है और राशि का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सकता है। समय या बहिर्वाह की राशि अब भी अनिश्चित हो सकती है। प्रावधानों को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए जरूरी अनुमानित व्यय पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय सबूतों पर आधारित होता है, और जिसमें मौजूदा दायित्वों को व्यवस्थित करने के लिए जोखिम और अनिश्चितताएँ भी शामिल होती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिक देयता

पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों को जाहिर किया जाता है, लेकिन उनका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की ऐसी घटनाओं के घटित या न घटित होने से पुष्ट होगा, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या जहां किसी भी मौजूदा दायित्व को संसाधनों के भविष्य के बहिर्वाह की शर्तों के अनुसार नहीं मापा जा सकता या जहां दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं तैयार किया जा सकता है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक संपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है, जो पिछली घटनाओं की वजह से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक ऐसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने से होती है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है।

आकस्मिक संपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है बल्कि जब आर्थिक लाभों का अंतर्प्रवाह संभावित होता है, तब उन्हें नोट्स टु द अकाउंट्स में जाहिर किया जाता है। जब एक अंतर्प्रवाह लगभग निश्चित होता ह, तब एक परिसंपत्ति को मान्य किया जाता है।

2.26 सहायता अनुदान

केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान, जहां अधिग्रहित संपत्ति का स्वामित्व सरकार में निहित होता है, अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

2.27 शेयर पूंजी

साधारणतया शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.28 प्रति शेयर आय

शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना, वर्ष के दौरान शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध लाभ एवं वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का इस्तेमाल करते हुए की जाती है, केवल वैसे मामलों को छोड़कर जो एंटी-डाइल्यूटिव हों।

2.29 पूर्व अवधि समायोजन

पिछले वर्षों से संबंधित प्रत्येक मामले में ` 50,000 /- से ऊपर के आय / व्यय के मद को, प्रस्तुत की गयी पूर्व की अवधियों, जिनमें त्रुटि हुई, की तुलनात्मक राशि को पुन: घोषित करके, भूतलक्षी तरीके से, या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गयी सबसे पहले की अवधि से भी पहले हुई हो तो आरंभिक तुलन-पत्र को फिर से घोषित करके सुधारा जाता है।

2.30 हालिया लेखांकन विकास: मानक निर्गत लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है

क. भारतीय लेखा मानक 116: पट्टे

भारतीय लेखा मानक 116 को 30 मार्च 2019 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह 1 अप्रैल 2019 को या इसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू है।

भारतीय लेखा मानक 116 मुख्य रूप से पट्टों द्वारा लेखांकन को प्रभावित करेगा और परिणामस्वरूप तुलन-पत्र पर लगभग सभी पट्टों की मान्यता निर्धारित होगी। यह मानक परिचालन और वित्त पट्टों के बीच मौजूदा अंतर को दूर करता है और लगभग सभी पट्टे अनुबंधों के लिए किराए का भुगतान करने के लिए एक परिसंपत्ति (पट्टे की वस्तु के उपयोग का अधिकार) और एक वित्तीय देयता की मान्यता की आवश्यकता होती है। अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए एक वैकल्पिक छूट मौजूद है।

ख. परिशिष्ट C, ' आयकर संव्यवहार पर अनिश्चितता', भारतीय लेखा मानक 12 के लिए , 'आयकर'

इस परिशिष्ट को 30 मार्च 2019 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू है। परिशिष्ट बताता है कि जहां आयकर संव्यवहार में अनिश्चितता है, वहां आस्थगित एवं वर्तमान आयकर संपत्तियों और देनदारियों को कैसे पहचाना तथा मापा जाए। विशेष रूप से, यह मानक बताता है कि:

(i) लेखा की उपयुक्त इकाई का निर्धारण कैसे करें, और कि प्रत्येक अनिश्चित कर संव्यवहार पर पृथक रूप से विचार किया जाना चाहिए या;

(ii) एक साथ एक समूह के रूप है, इस दृष्टिकोण से अनिश्चितता का निर्धारण बेहतर तरीके से किया जाता है;

(iii) इकाई को एक कर प्राधिकरण मान लेना चाहिए जिससे अनिश्चित कर संव्यवहार की जांच होगी और समस्त संबंधित जानकारी का पूरा ज्ञान होगा, यानी कि पता लगाए गए जोखिम को नजरअंदाज किया जाना चाहिए,

(iv) जब इसकी संभावना न हो कि कर प्राधिकरण कर संव्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा तो इकाई को अपने आयकर लेखांकन में अनिश्चितता के प्रभाव को प्रतिबिंबित करना चाहिए;

(v) अनिश्चितता के प्रभाव को या तो सबसे अधिक संभावना राशि या अपेक्षित मूल्य पद्धति का उपयोग करके मापा जाना चाहिए, जो इस पद्धति के आधार पर अनिश्चितता के समाधान की बेहतर भविष्यवाणी करता हो; और

(vi) जब भी परिस्थितियाँ बदलीं या निर्णय को प्रभावित करने वाली नई जानकारी हो, तब लिए गए निर्णयों और अनुमानों का पुन: मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

वर्तमान में, कंपनी इस प्रभाव के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है कि इस परिशिष्ट के अनुप्रयोग का उसके वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ने की क्या उम्मीद है। प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि पर मान्यता प्राप्त परिशिष्ट को आरंभिक रूप से लागू करके प्रतिधारित आय के आरंभिक शेष समायोजन (या उपयुक्त के रूप में इक्विटी के अन्य घटक) के रूप में संचयी प्रभाव के साथ कंपनी इस परिशिष्ट को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का इरादा रखती है।

2.31 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, पूर्व धारणा और निर्णय

कंपनी भविष्य के बारे में अनुमान और धारणाएँ तय करती है। परिणामस्वरूप लेखा अनुमान, परिभाषा के अनुसार, शायद ही कभी संबंधित वास्तविक परिणामों के बराबर होंगे। अनुमानों और पूर्व धारणाओं, जिनकी वजह से, अगले एक वित्तीय वर्ष के अंदर, संपत्ति और देनदारियों की वहन राशियों में ठोस समायोजन होने का खासा जोखिम हो, के बारे में निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

अनुमान और अंतर्निहित पूर्वधारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों में संशोधन को उस संशोधन होने वाली अवधि में और प्रभावित होने वाली किसी भावी अवधि में मान्य किया जाता है।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नुकसान

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि संभव है कि संपत्ति का वहन मूल्य वसूली योग्य न हो, तो कंपनी संभावित हानि के आकलन के लिए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यांकन करती है। एक नुकसान हानि को मान्य किया जाता है, यदि किसी संपत्ति का वहन मूल्य उसके उचित मूल्य के उच्चतम मान में बिक्री लागत व उपयोग किये जा रहे मूल्य को घटाने पर मिलने वाली राशि से ज्यादा हो।

परिसंपत्ति को कितना नुकसान हुआ है इसका निर्धारण अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन के अनुमान से जुड़ा होता है। हालांकि, नुकसान की समीक्षा और गणना उन पूर्व धारणाओं पर आधारित होती हैं, जो कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं और दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के अनुरूप होती हैं।

ख) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त सम्पत्तियों की उपयोगी आयु

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु कई कारकों पर आधारित होती है, जिनमें अप्रचलन, परिसंपत्ति का उपयोग और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव शामिल हैं।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अंत में और अमूर्त सम्पत्तियों की उपयोगी आयु की समीक्षा करती है।

ग) खदान पुनरुद्धार दायित्व

आकलन केवल तभी तैयार किया जाता है, जब कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो, और यह संभावित हो कि भविष्य की तारीख में पुनर्वास/ पुनर्स्थापना लागत का खर्च उठाना पड़ेगा। किसी दायित्व का अस्तित्व तब होता है, जब पुनर्वास/ पुनर्स्थापना करने के सिवाय और कोई वास्तविक विकल्प न हो या जब इकाई पर्यावरण को पहुँचे नुकसान में सुधार करने या पर्यावरण को पुनर्बहाल करने हेतु कानूनी या रचनात्मक रूप से बाध्य हो।

घ) आयकर

आयकरों के प्रावधान का निर्धारण करने के लिए एक अच्छी निर्णय प्रक्रिया जरूरी होती है। कई ऐसे लेन-देन और गणनाएं हैं, जिनके लिए सामान्य व्यवसाय के दौरान अंतिम रूप से कर का निर्धारण अनिश्चित होता है। कंपनी अनुमानित कर से संबंधित मामलों की देयताओं को, अतिरिक्त कर देय होंगे या नहीं इस पर आधारित अनुमान पर मान्य करती है। जहां इन मामलों का अंतिम कर परिणाम शुरू में दर्ज की गई राशि से अलग होता है, उनमें ऐसे अंतर का आयकर और आस्थगित कर प्रावधानों पर उस अवधि में प्रभाव पड़ता है, जिसमें इसका निर्धारण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, संचित हानि पर आस्थगित कर की विश्वसनीयता की संभावना, न्यूनतम वैकल्पिक कर और अस्थायी अंतरों का मूल्यांकन, रिपोर्टिंग तिथि तक उपलब्ध विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है। उन कारकों में किसी भी प्रकार का बदलाव आयकर और स्थगित कर प्रावधानों को उस अवधि में प्रभावित करेगा जिसमें ऐसा निर्धारण किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

₹ लाख में

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टे वाली भूमि	कारखाने की इमारत	प्रशासनिक एवं अन्य भवन	संयंत्र और मशीनरी (स्वामित्व)	विद्युत संस्थापन	खुली खदान	फर्नीचर और स्थावर	उपकरण	वाहन	योग
सकल ब्लॉक											
1 अप्रैल 2017	5,429.94	246.54	32,034.84	8,013.64	163,704.79	19,731.85	8,415.19	290.86	569.81	261.60	238,699.06
परिवर्धन	-	13.90	301.31	0.19	3,077.26	178.27	-	14.38	4.65	-	3,589.96
31 मार्च 2018	5,429.94	260.44	32,336.15	8,013.83	166,782.05	19,910.12	8,415.19	305.24	574.46	261.60	242,289.02
परिवर्धन	-	3.48	819.59	146.79	2,971.40	189.05	-	24.94	10.00	17.74	4,182.99
31 मार्च 2019	**5,429.94**	**263.92**	**33,155.74**	**8,160.62**	**169,753.45**	**20,099.17**	**8,415.19**	**330.18**	**584.46**	**279.34**	**246,472.01**
संचित मूल्यह्रास और हानि											
1 अप्रैल 2017	3.36	63.13	1,890.68	399.59	15,391.13	2,298.89	1,216.66	99.63	164.78	120.02	21,647.87
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	13.44	17.77	1,393.61	206.29	15,552.16	1,724.13	608.33	44.32	110.23	48.67	19,718.95
31 मार्च 2018	16.80	80.90	3,284.29	605.88	30,943.29	4,023.02	1,824.99	143.95	275.01	168.69	41,366.82
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	13.44	18.70	1,435.93	208.26	14,513.59	1,709.88	608.33	38.24	105.32	41.02	18,692.71
31 मार्च 2019	**30.24**	**99.60**	**4,720.22**	**814.14**	**45,456.88**	**5,732.89**	**2,433.32**	**182.19**	**380.32**	**209.71**	**60,059.53**
शुद्ध बही मूल्य											
31 मार्च 2019	**5,399.70**	**164.32**	**28,435.52**	**7,346.48**	**124,296.57**	**14,366.27**	**5,981.87**	**147.99**	**204.13**	**69.62**	**186,412.48**
31 मार्च 2018	5,413.14	179.54	29,051.87	7,407.95	135,838.77	15,887.11	6,590.21	161.29	299.46	92.91	200,922.24

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

₹ लाख में

विवरण	राशि (₹ में)
रुपये के इक्विटी शेयर। 1,000 प्रत्येक जारी किए गए, सदस्यता लिया और पूरी तरह से भुगतान किया गया	
1 अप्रैल 2017 को	161,561.78
शेयर पूंजी जारी करना	20,000.00
31 मार्च 2018 को	181,561.78
शेयर पूंजी जारी करना	25,400.00
31 मार्च 2019 को	206,961.78

ख. अन्य इक्विटी

₹ लाख में

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2017	-	14,336.03	40,695.51	55,031.54
वर्ष के लिए लाभ	-	-	10,875.42	10,875.42
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(425.30)	(425.30)
प्राप्त राशि	43,900.00			43,900.00
शेयर निर्गमन	(20000.00)	-		(20,000.00)
प्रदत्त लाभांश	-	-	(3,839.00)	(3,839.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(781.52)	(781.52)
31 मार्च 2018	**23,900.00**	**14,336.03**	**46,525.11**	**84,761.14**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	21,420.14	21,420.14
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(1995.64)	(1995.64)
प्राप्त राशि	1,500.00	-	-	1,500.00
शेयर निर्गमन	(25400.00)	-	-	(25400.00)
प्रदत्त लाभांश	-	-	(3202.00)	(3202.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(651.96)	(651.96)
31 मार्च 2019	**-**	**14,336.03**	**62,095.65**	**76,431.68**

सामान्य आरक्षित: -

आरक्षित को इक्विटी के एक घटक से विनियोजन द्वारा बनाया गया था, अर्थात अन्य के लिए प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय के एक मद के रूप में नहीं है।

संलग्न टिपण्णियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।
संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल रमेश एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 004614C

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार गुप्ता
साझीदार
सदस्यता संख्या: 503249
स्थान: मुंबई
दिनांक: 16-08-2019
यूडीआईएन: 19503249AAAAAU2660

बी सी गुप्ता
कंपनी सचिव
AERPG9596C

एस आर प्रणेश
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 08477517

देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07252959

सी के असनानी
अध्यक्षसह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03497356

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

4. प्रगतिधीन कार्य पूंजी

₹ लाख में

विवरण	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परिचालन इकाई)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (चालू परियोजना)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परियोजना पूर्व व्यय)	स्थापन हेतु लंबित स्टॉक में पूंजी परिसंपत्ति	कुल
1 अप्रैल 2017	6,916.20	14,911.63	2,055.95	339.33	24,223.11
परिवर्धन	4,318.74	1,137.77	147.71	-	5,604.22
स्थानांतरण	(1,529.37)	-	-	(186.50)	(1,715.87)
31 मार्च 2018	9,705.57	16,049.40	2,203.66	152.83	28,111.46
परिवर्धन	3,551.29	8,745.69	153.63	-	12,450.61
स्थानांतरण	(3,485.71)	-	-	(122.52)	(3,608.23)
31 मार्च 2019	9,771.15	24,795.09	2,357.29	30.31	36,953.84

परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परिचालन इकाइयाँ:		
क. जादुगोड़ा माइंस एंड मिल	1,377.62	75.79
ख. तुरामडीह खदान	206.69	187.19
ग. बागजाता खदान	4,221.39	4,254.39
घ. तुरामडीह मिल	831.94	1,404.73
ङ. बंदुहुरांग खदान	-	17.37
च. मोहुलडीह खदान	852.99	977.69
छ. तुम्मलापल्ली माइंस एंड मिल्स	2,280.52	2,788.41
	9,771.15	9,705.57
चालू परियोजनाएं :		
क. तुरामडीह मिल विस्तार परियोजना	4,614.65	4,602.86
ख. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	2,380.76	2,142.24
ग. तुरमडीह पेरोक्साइड संयंत्र परियोजना	1,268.49	1,268.49
घ. जादुगोड़ा में चतुर्थ चरण की टेलिंग तालाब परियोजना	13,388.82	5,792.72
ङ. तुरमडीह में द्वितीय चरण की टेलिंग तालाब परियोजना	30.05	45.51
च. संचालन की डीबॉटलनेकिंग	875.66	319.20
छ. भाटिन खदान आधुनिकीकरण परियोजना	2,236.67	1,878.37
	24,795.10	16,049.39
परियोजना पूर्व व्यय:		
क. लांबापुर परियोजना	827.22	809.71
ख. केपीएम परियोजना	1,004.76	965.69
ग. तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना	83.40	83.40
घ. गोगी परियोजना	309.59	243.25
ङ. रोहिल प्रोजेक्ट	20.08	5.70
च. यूरेनियम रिकवरी संयंत्र (मुसाबनी)	112.24	95.90
	2,357.29	2,203.66
पारगमन सहित स्थापना / उपयोग के लिए लंबित स्टॉक में पूंजी परिसंपत्ति - शून्य (31.03.2018: रुपये 12.72 लाख)	30.31	152.83
कुल	**36,953.85**	28,111.46

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

5. अमूर्त संपत्ति

₹ लाख में

विवरण	उत्पाद विकास गतिविधि	वन भूमि के उपयोग का अधिकार	कुल
सकल ब्लॉक			
01 अप्रैल 2017	14,016.35	988.01	15,004.36
परिवर्धन / समायोजन	(2,491.63)	270.96	(2,220.67)
31 मार्च 2018	11,524.72	1,258.97	12,783.69
परिवर्धन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019	11,524.72	1,258.97	12,783.69
ऋण परिशोधन और क्षति			
01 अप्रैल 2017	700.82	143.30	844.12
ऋण परिशोधन	2,180.36	84.72	2,265.08
31 मार्च 2018	2,881.18	228.02	3,109.20
ऋण परिशोधन	2,304.94	85.64	2,390.58
31 मार्च 2019	5,186.12	313.66	5,499.78
शुद्ध बही मूल्य			
31 मार्च 2019	6,338.60	945.31	7,283.91
31 मार्च 2018	8,643.54	1,030.95	9,674.49

वन भूमि के उपयोग का अधिकार: विशिष्ट उपयोग और स्वामित्व के लिए झारखंड सरकार से प्राप्त की गई 553.24 एकड़ (31.03.2018: 553.24 एकड़) की वन भूमि झारखंड सरकार के पास ही के पास पड़ी है। 33.743 हेक्टेयर की वन भूमि कंपनी के कब्जे में है, हालांकि वन भूमि का व्यपवर्तन प्रतीक्षित है।

6. ऋण

₹ लाख में

Particulars	31 March 2019	31 March 2018
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए		
- कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम	718.68	767.87
- अनुबंध नौकरियों के लिए अग्रिम	-	193.03
प्रतिभूति-रहित, जो वसूली योग्य समझे गए है		
- कर्मचारियों को अग्रिम	117.55	117.34
	836.23	1,078.24
वर्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए		
- कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम	181.40	182.23
प्रतिभूति-रहित, जो वसूली योग्य समझे गए		
- कर्मचारियों को अग्रिम	318.65	327.47
- कर्मचारियों से अन्य प्राप्तियां	12.06	59.85
- अन्य प्राप्तियां	2,125.31	2,121.71
	2,637.42	2,691.26

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ

7. अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
पूंजी अग्रिम (प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए)	7.40	7.40
पूर्वभुगतान	165.58	165.58
	172.98	172.98

8. मालसूची (इन्वेंटरी)

₹ लाख में

विवरण		31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कच्चा माल		1,598.27	943.81
कार्य प्रगति पर		8,390.51	7,503.41
तैयार माल			
अयस्क		7,493.31	19,957.12
गौण उत्पाद	13.60		
घटाएं: प्रावधान	3.25	10.35	11.39
रद्दी माल		395.99	301.58
स्टोर और पुर्जे		4,682.48	
घटाएं: अप्रचलित के लिए प्रावधान		(430.95)	4,508.36
		4,251.53	4,508.36
स्टोर और पुर्जे - पारगमन में		312.65	598.13
		22,452.61	33,823.80

9. कोराबार प्राप्तियां

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कारोबार प्राप्तियां (सुरक्षित युक्त, जिन्हें वसूली योग्य समझा गया)	101,918.03	63,295.06
	101,918.03	63,295.06

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ

10. नकद और नकद समतुल्य

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
हाथ में नकदी (अग्रदाय नकदी और स्टांप सहित)	7.51	9.68
बैंकों में जमा शेष:		
- चालू खातों में	53.92	184.57
- तीन महीने से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	18,101.68	2,550.00
	18,163.11	2,744.25

11. नकद और नकद समतुल्यों के अलावा बैंक जमा शेष

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	5,036.07	117.32
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के साथ) *	168.58	-
	5,204.65	117.32

12. वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कराधान के लिए अग्रिम	3,181.86	2,205.78
घटाएं: कराधान का प्रावधान	(9,249.39)	(2,427.76)
वर्तमान कर परिसंपत्तियां / (देनदारियां)	(6,067.53)	(221.98)

13. अन्य वित्तीय परसंपत्तियां

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति जमा	856.97	696.50
	856.97	696.50
वर्तमान		
उपार्जित ब्याज		
- बैंकों से	137.89	8.83
- कर्मचारियों से	781.40	750.34
- अन्य से	0.77	0.77
	920.06	759.94

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

14. अन्य वर्तमान परसंपत्तियां

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
पूर्वदत्त व्यय	27.82	28.64
अग्रिम (प्रतिभूति-रहित):		
- ठेकेदारों, सरकारी विभाग आदि को अग्रिम	2,167.97	2,187.58
- आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
क) वसूली योग्य समझे गए	625.31	771.89
ख) संदिग्ध माने गए	2.33	2.33
	627.64	774.22
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	2.33	2.33
	625.31	771.89
	2,821.10	2,988.11

टिप्पणी:
ठेकेदारों, सरकारी विभागों आदि को दिए गए अग्रिम में, विवादित मांग के खिलाफ जिला खनन कार्यालय, झारखंड सरकार के प्रतिवाद के तहत वर्ष 2007-08 में मैग्नेटाइट पर रॉयल्टी के लिए जमा किए गए ₹ 665.63 लाख शामिल हैं, मामला कानूनी न्यायालय में विचाराधीन

15. शेयर पूंजी

क) अधिकृत शेयर पूंजी

₹ लाख में

विवरण	इक्विटी शेयर	
	संख्या	राशि
अधिकृत शेयर पूंजी		
1 अप्रैल 2017	350.00	350,000.00
शेयर पूंजी में वृद्धि / (कमी)		-
31 मार्च 2018	350.00	350,000.00
शेयर पूंजी में वृद्धि / (कमी)	-	-
31 मार्च 2019	350.00	350,000.00

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

ख) इक्विटी पूंजी निर्गम

₹ लाख में

विवरण	संख्या	राशि
I. ₹ 1000 /- प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 581/- तक का भुगतान नकद के अलावा में तथा ₹ 419/- प्रत्येक का भुगतान नकद में)		
1 अप्रैल 2017	1	1,000
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2018	1	1,000
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2019	**1**	**1,000**
II. ₹ 1000 /- प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद के अलावा अन्य के रूप में मान्य करने हेतु पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित किए गए हैं		
1 अप्रैल 2017	0.02	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2018	0.02	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2019	**0.02**	**18.53**
III. ₹ 1000 /- प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद पूर्णतः नकद में भुगतान		
1 अप्रैल 2017	160.54	160,543.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	20.00	20,000.00
31 मार्च 2018	180.54	180,543.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	**25.40**	**25,400.00**
31 मार्च 2019	205.94	205,943.25
31 मार्च 2019	206.96	206,961.78
31 मार्च 2018	181.56	181,561.78

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका प्रति शेयर 1000 / - का सममूल्य मूल्य है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आमसभा में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 6426.00 लाख (गत वर्ष ₹ 3202.00 लाख) के इक्विटी लाभांश की सिफारिश की है। यह इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित लाभांश पर आयकर ₹ 1308.14 लाख होता है।

घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

20696178 शेयर (31.03.2018: 18156178), भारत के राष्ट्रपति 100 % इक्विटी शेयरों के धारक हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ

16. अन्य इक्विटी

₹ लाख में

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2017		14,336.03	40,695.51	55,031.54
वर्ष के लिए लाभ		-	10,875.42	10,875.42
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		-	(425.30)	(425.30)
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	43,900.00	-		43,900.00
शेयर निर्गमन	(20,000.00)	-		(20,000.00)
प्रदत्त लाभांश		-	(3,839.00)	(3,839.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)		-	(781.52)	(781.52)
31 मार्च 2018	23,900.00	14,336.03	46,525.11	84,761.14
वर्ष के लिए लाभ	-	-	21,420.14	21,420
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(1995.64)	(1995.64)
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	1,500.00	-	-	1,500.00
शेयर निर्गमन	(25400.00)	-	-	(25400.00)
प्रदत्त लाभांश	-	-	(3,202.00)	(3,202.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(651.96)	(651.96)
31 मार्च 2019		14,336.03	62,095.65	76,431.68

सामान्य आरक्षित: -

आरक्षित को इक्विटी के एक घटक से विनियोजन द्वारा बनाया गया था, अर्थात अन्य के लिए प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय के एक मद के रूप में नहीं है।

17. वित्तीय देनदारियां

(क) वर्तमान उधारियां

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
प्रतिभूति-रहित		
अन्य संस्था से ऋण	10,000	10,000
	10,000	**10,000**

* प्रतिभूति-रहित उधारियों का विवरण

बैंकों / संस्थानों का नाम	ऋण सीमा	लिए गए ऋण 31.03.2019 को	ब्याज की दर
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10000.00	10,000	8.00%

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ

(ख) व्यापार देय

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
विविध लेनदार		
- एमएसएमई	43.06	41.70
- अन्य	5,145.64	6,361.07
कुल	5,188.70	6,402.77

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के अंत में बकाया मूल राशि	41.38	40.30
वर्ष के अंत में बकाया ब्याज राशि	1.68	1.40
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई मूल राशि	163.48	212.14
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा भुगतान की गई ब्याज राशि	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत भुगतान की गई ब्याज राशि	1.14	3.09
पहले से किए गए भुगतानों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को बकाया और देय ब्याज	1.40	1.40
पहले के वर्षों के लिए अन्य बकाया एवं देय ब्याज	1.68	-

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से उपलब्ध जानकारी तक सीमित है।

(ग) अन्य वित्तीय देनदारियां

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
गैर-वर्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	1,893.55	1,035.56
	1,893.55	1,035.56
वर्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	25,642.09	24,438.24
कर्मचारी और एसीईएस के लिए देयता	9,462.60	4,936.97
सरकारी संस्थाओं के लिए को देयता (देखें टिप्पणी (i) और (ii))	10,484.32	9,797.64
अन्य खर्चों के लिए देयता	326.78	251.77
लेखाबही ओवरड्राफ्ट	-	-
	45,915.79	39,424.62

टिप्पणी:

वर्ष 1996 में कंपनी ने बंद तुरामडीह परियोजना की परिसंपत्तियों को ₹ 2322 लाख की विचार राशि पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को हस्तांतरित कर दिया था। तुरामडीह खदान के फिर से चालू होने पर परिसंपत्ति वापस ले ली गई है। सीआरपीएफ द्वारा ₹ 3467 लाख के कुल दावे के मुकाबले ₹ 2500 लाख का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और शेष ₹ 967 लाख राशि का प्रावधान अंतिम निपटान के लिए लंबित खातों में किए गया है।

कंपनी बंद तुरामडीह खदान की ₹ 1110.60 लाख (31.03.2018: ₹ 1110.60 लाख) मूल्य की भूमि एव अन्य परिसंपत्तियों का उपयोग कर रही है, जो भारत सरकार से संबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा सूचित मूल्य के आधार पर ₹ 1110.60 लाख (31.03.2018: ₹ 1110.60 लाख) का प्रावधान लेखा में किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

18. प्रावधान

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019		31 March 2018	
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
- ग्रेच्युटी	-	2,852.14	-	4,464.26
- अवकाश नकदीकरण	7,182.88	275.76	5,695.52	236.22
- सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	589.76	12.79	528.34	11.28
- छुट्टी यात्रा रियायत	139.25	96.30	166.71	73.36
	7,911.89	3,236.99	6,390.57	4,785.12
अन्य के लिए प्रावधान				
- खादान बंदी दायित्व	760.59	-	705.50	-
- बिक्री कर और उत्पाद शुल्क	-	-	-	-
- सीआईएसएफ बकाया	-	16.21	-	16.21
- अन्य	-	5.19	-	5.19
	760.59	21.40	705.50	21.40
कुल प्रावधान	8,672.48	3,258.39	7,096.07	4806.52

19. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित	22,082.08	16425.72
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
पूर्वदत्त व्यय	2.53	2.50
अप्रचलित स्टोर के लिए प्रावधान	150.59	125.21
अवकाश नकदीकरण के लिए देयता	2,594.84	2048.41
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	209.23	183.54
खदान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	265.78	244.16
एलटीसी के लिए प्रावधान	82.31	83.08
	3,305.28	2686.91
मैट क्रेडिट	844.27	5,974.80
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	17,932.53	7,764.01

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ

20. अन्य वर्तमान देयताएं

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
केपीएम परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान (टिप्पणी i और ii देखें)	754.45	754.45
गोगी और रोहिल परियोजना के लिए एएमडी से प्राप्त धन (टिप्पणी iii और iv देखें)	1,703.35	1,773.49
सरकारी संस्थानों के लिए देयता	214.94	215.03
कर्मचारी एवं एसीईएस के लिए देयता	1,227.30	613.25
वैधानिक बकाया	410.93	644.96
	4,310.97	4,001.18

टिप्पणी:

केलेंग पेंडेंग सोहियोंग माउथाबा खनन और मिलिंग परियोजना मेघालय में कार्यान्वयन की सुगमता हेतु बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार से ₹ 4000 लाख (31.03.2018: ₹ 4000 लाख) की अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई। ₹ 4000 लाख की कुल राशि में से ₹ 3322.03 लाख (31.03.2018: 3322.03 लाख रुपये) की राशि 31.03.2019 तक केएचएडीसी को जारी कर दी गयी थी।

अनुदान सहायता की बाकी राशि में उस पर अर्जित संचयी ब्याज की ₹ 76.49 लाख राशि (31.03.2018: ₹ 76.49 लाख) शामिल है।

राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है।रोहिल में खोजपूर्ण खनन कार्य के लिए एएमडी ने यूसीआईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूसीआईएल एजेंट के रूप में काम करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त निधि को किए गए कार्य और शेष के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसा कोई शेष लेखा बही में देयता के रूप में दिखाया गया हो।

कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में गोगी परियोजना के लिए खोजपूर्ण खनन द्वारा पूर्वेक्षण संचालन कार्य हेतु परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के बीच दिनांक 06.03.2007 को एक समझौता ज्ञापन किया गया था, जिसके लिए एएमडी द्वारा धन उपलब्ध कराया गया था। यूसीआईएल एजेंट के रूप में काम करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त निधि को किए गए कार्य और शेष के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसा कोई शेष लेखा बही में देयता के रूप में दिखाया गया हो।

21. परिचालन से राजस्व

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजा		
क) चालू वर्ष के लिए	177,335.24	157,796.34
ख) पिछले वर्ष के लिए	23,769.05	22,760.87
	201,104.29	180,557.21
घटाएं: आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित तुम्मलापल्ली परियोजना से संबंधित राशि	-	(2,565.57)
	201,104.29	177,991.64
अन्य परिचालन राजस्व		
गौण-उत्पादों की बिक्री	288.73	282.34
	201,393.02	178,273.98

वर्ष 2017-18 के लिए सांद्र यूरेनियम के लिए मुआवजे की दर की सिफारिश मुख व्यय विभाग (एम् ओ ऍफ़) द्वारा की गये हैं और प.ऊ.वि. को सुचना के साथ बोर्ड के संकल्प के अनुसार माना जाता है। हालांकि वर्ष 2017 -18 के लिए प्रयोज्य दर वर्ष 2018-19 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा सांद्र यूरेनियम के लंबित मुआवजे की दर को परिचालन से राजस्व का निर्धारण करने के लिए माना गया है। परिचालन से राजस्वा का निर्धारण करने के लिए माना गया है. कोई अंतर होने पर दर के अंतिम रूप में इसकी गणना की जायेगी।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

22. अन्य आय

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	1,043.22	13.15
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	198.77
अन्य पर ब्याज	99.42	95.07
कबाड़ सामग्री की बिक्री	89.64	146.34
उपकरणों और वाहनों का किराया शुल्क	2.23	2.69
आपूर्तिकर्ताओं से पैकिंग संशोधन भाड़ा दंड आदि से संबंधित वसूली	217.75	61.51
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	5.93	13.42
देयताएं और प्रावधान जो अब अनावश्यक हो चुके हैं	135.11	144.44
टाउनशिप रसीदें	378.33	328.22
विविध रसीदें	114.63	120.09
	2,086.26	1,123.70

23(क). खपत सामग्री की लागत

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कच्चे माल का आरंभिक भंडार	943.81	138.89
जोड़ें: खरीद	18,638.88	18,140.45
घटाएं: कच्चे माल का अंतिम भंडार	1,598.27	943.81
कच्चे माल की खपत	17,984.42	17,335.53

23(ख). तैयार माल और प्रगतिधीन कार्य की सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के आरंभमें मालसूची (इन्वेंटरी)		
- अयस्क	19,957.12	39,599.81
- गौण-उत्पाद	14.64	16.85
- प्रगतिधीन कार्य	7,503.41	7,295.37
- रद्दी माल	301.58	284.69
	27,776.75	47,196.72
कम: वर्ष के अंत में मालसूची		
- अयस्क	7,493.31	19,957.12
- गौण-उत्पाद	13.60	14.64
- प्रगतिधीन कार्य	8,390.51	7,503.41
- रद्दी माल	395.99	301.58
	16,293.41	27,776.75
मालसूची में कुल (वृद्धि) / कमी	11,483.34	19,419.97

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ

24. कर्मचारी लाभ व्यय

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वेतन मजदूरी और भत्ते	40,124.30	31,061.35
भविष्य निधि में योगदान	3,622.49	3,715.79
ग्रेच्युटी निधि में योगदान	869.51	3,699.32
कल्याण कोष में योगदान	3.52	1.13
सेवानिवृत्ति निधि में योगदान	190.41	95.99
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	61.99	91.40
एलटीसी व्यय	112.93	76.53
कर्मचारी कल्याण व्यय	462.70	369.56
चिकित्सा व्यय	1,677.96	1,628.38
	47,125.82	40,739.45

वेतन और मजदूरी सहित अन्य लाभ 582.62 लाख रुपये (2017-18: रु 615.58 लाख) पानी की लागत से संबंधित हैं, जिसमें वेतन और मजदूरी और अन्य लाभ शामिल नहीं हैं।

25. वित्त लागत

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
अन्य संस्था से ऋण पर ब्याज	800.00	800.00
बैंक ब्याज	14.46	3,020.46
खदान बंदी दायित्व के लिए छूट का मोचन	55.12	51.03
	869.58	3,871.49

26. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (टिप्पणी 3)	18692.71	19718.94
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (टिप्पणी 5)	2390.58	2265.08
घटाएं: परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय	(1.52)	(21.36)
	21,084.81	21,962.66

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

27. अन्य व्यय

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
संविदात्मक खान विकास व्यय	4,387.96	3,470.74
तुम्मालपल्ली संविदात्मक खनन व्यय	5,053.47	12,301.53
स्टोर और पुर्जों का उपभोग	11,224.62	6,704.53
बिजली और ईंधन	13,619.45	13,348.98
जल प्रभार	1,030.93	1,140.87
रॉयल्टी	5,161.11	4,798.79
परिवहन व्यय	860.40	897.68
मरम्मत और रखरखाव: (टिप्पणी ‘क’ देखें)		
- संयंत्र एवं मशीनें	8,818.56	8,768.90
- इमारतें	4,392.87	3,054.68
- अन्य	1,034.77	870.62
माल ढुलाई और अग्रेषण शुल्क	95.31	71.79
अप्रचलित स्टोर प्रावधान	69.15	14.88
दरें और कर	99.43	80.84
सुरक्षा खर्च	4,431.46	4,498.62
बीमा	45.89	43.73
विज्ञापन और बिक्री प्रचार	337.55	1,122.88
यात्रा और वाहन	223.37	212.96
वाहन किराया शुल्क	964.37	715.00
संचार लागत	98.26	87.09
छपाई और लेखन सामग्री	90.27	58.77
परामर्श शुल्क	254.70	234.75
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (टिप्पणी ‘ख’ देखें)	4.17	4.83
विधिक और पेशेवर शुल्क	17.30	23.58
सीएसआर व्यय (नोट ‘ग’ देखें)	328.58	191.53
जीएसटी व्यय	42.29	-
टाउनशिप और सामाजिक सुविधाओं का व्यय	128.32	194.88
विविध व्यय	2,334.16	539.61
	65,148.74	63,453.06

टिप्पणी:

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
क) मरम्मत और रखरखाव में शामिल हैं :-		
- स्टोर/भंडारण का उपभोग	2,744.77	2,671.51
- पुर्जों का उपभोग	5,943.47	5,961.21

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
ख) लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण		
- लेखा परीक्षा शुल्क	3.19	3.19
- कर लेखा परीक्षा	0.87	0.69
- अन्य सेवाओं के लिए	0.11	0.95
	4.17	4.83

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ

₹ लाख में

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
ग) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाली व्यय राशि और वित्तीय विवरण इस प्रकार है : -		
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों का कुल शुद्ध लाभ	49,050.23	37,571.02
शुद्ध लाभ का औसत	16,350.08	12,523.67
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रतिशत	2%	2%
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की जाने वाली राशि	327.00	250.47
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वास्तविक व्यय राशि	328.58	191.53
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण - नकद रूप में	37.02	19.34
- अभी नकद में भुगतान किया जाना है	37.90	69.84
	74.92	89.18
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा - नकद रूप में	183.65	50.98
- अभी नकद में भुगतान किया जाना है	70.01	51.37
	253.66	102.35
	328.58	191.53

28. आयकर व्यय

लाभ और हानि के विवरण में मान्य कर व्यय

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए कर योग्य आय पर कर	8,128.71	2,548.20
पहले के वर्षों से संबंधित कर	43.23	396.91
	8,171.94	2,945.11
आस्थगित कर		
आस्थगित कर प्रभार / (क्रेडिट)	5,059.97	1,340.10
मैट क्रेडिट (लिया गया) / उपयोग किया गया	5,130.52	(2,548.20)
कुल आस्थगित आयकर व्यय / (लाभ)	10,190.49	(1,208.10)
कुल आयकर व्यय	18,362.43	1,737.01

आय कर से पहले लाभ पर वैधानिक आयकर दर को लागू करके गणना की गई राशि के लिए आयकर व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

28. आयकर व्यय (जारी...)

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कंपनी पर लागू भारत में आयकर की अधिनियमित दर	34.94%	34.61%
कर से पूर्व लाभ	39,782.57	12,409.86
भारत में लागू आयकर दर के अनुसार कर से पूर्व लाभ पर वर्तमान कर व्यय	13,901.62	4,295.05
भुगतान के आधार पर अनुमति दिए गए आइटम	4,345.41	(2,954.96)
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य / (कर योग्य) नहीं हैं	115.41	
पहले के वर्षों से संबंधित कर	-	396.91
कुल आयकर व्यय / (क्रेडिट)	18,362.43	1,737.00

वर्ष 2018-19 के लिए लागू कर की दर 34.94% (2017-18: 34.61%) है। प्रभावी कर की दर 46.16% (2017-18: 14.00%) है।

आस्थगित कर (देयता) / परिसंपत्तियों में संचलन

₹ लाख में

विवरण	पीपीई	कर्मचारी लाभ	अप्रचलित स्टोर	अन्य वस्तुएं	मैट क्रेडिट	कुल
01 अप्रैल 2017	(14,780.17)	2,034.32	120.34	224.92	3,426.60	(8,973.99)
प्रभारित / (क्रेडिट) :						
- लाभ या हानि	(1,645.55)	278.82	4.87	21.74	2,548.20	1,208.09
- अन्य व्यापक आय	-	1.89	-	-	-	1.89
31 मार्च 2018	(16,425.72)	2,315.03	125.21	246.66	5,974.80	(7,764.01)
प्रभारित / (क्रेडिट) :						
- लाभ या हानि	(5,656.36)	549.37	25.38	21.65	(5,130.52)	(10,190.49)
- अन्य व्यापक आय	-	21.98	-	-	-	21.98
31 मार्च 2019	(22,082.08)	2,886.38	150.59	268.31	844.28	(17,932.53)

29. प्रति शेयर आय

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	21,420.14	10875.44
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	204.34	170
प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड आय (₹) (प्रति शेयर ₹ 1000 का अंकित मूल्य)	104.83	64.08

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

क) परिभाषित अंशदायी योजना

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान	3,622.49	3,715.79
सेनानिवृत्ति निधि में योगदान	190.41	95.99

ख) परिभाषित लाभ योजनाएं

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018	
	वर्तमान	गैर वर्तमान	वर्तमान	गैर वर्तमान
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	12.79	589.76	11.28	528.34
ग्रेच्युटी	708.41	-	4,239.30	-
अवकाश नकदीकरण	275.76	7,182.88	236.22	5,695.22

I. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी अपने सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पश्चात स्वास्थ्य देखभाल का लाभ प्रदान करती है। इन लाभों के लिए पात्रता की शर्त आमतौर पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहना और न्यूनतम सेवा अवधि का पूरा करना होती है । इन लाभों की अपेक्षित लागतों को नियोजन की अवधि में उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके उपार्जित किया जाता है जैसा कि परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापित लाभों और हानियों तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में उसी अवधि में प्रभारित या क्रेडिट किया जाता है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	602.55	539.62
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	602.55	539.62

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
1 अप्रैल को	539.62	505.44
वर्तमान सेवा लागत	23.33	23.39
शुद्ध ब्याज	38.66	36.26
	61.99	59.65
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि		
- वित्तीय मान्यताएं	-	(20.26)
- अनुभव समायोजन	62.90	25.73
	62.90	5.47
भुगतान किए गए लाभ	(61.96)	(30.94)
31 मार्च तक	602.55	539.62

30. कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

ग. लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्य की गयी राशि

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्तमान सेवा लागत	23.33	23.39
शुद्ध ब्याज	38.66	36.26
	61.99	59.65
कर से पहले लाभ / हानि पर शुद्ध प्रभाव	61.99	59.65
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनर्मापन	-	-
मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	62.90	5.47
कर से पहले अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध (लाभ) / हानि	62.90	5.47

घ. मान्यताएं

तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ:

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
छूट की दर (%)	7.60%	7.60%
पेंशन वृद्धि की दर	6.00%	6.00%

ङ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च 2019			31 मार्च 2018		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(95.93)	125.69	1.00%	(86.60)	113.49
चिकित्सा वृद्धि दर	1.00%	123.55	(95.94)	1.00%	111.58	(86.62)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

च. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व निम्नलिखित रूप में परिपक्व होंगे:

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
2019	-	11.70
2020	13.27	13.04
2021	16.00	15.75
2022	18.02	17.74
2023	20.48	314.25
2024 और इसके बाद	190.52	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 11 वर्ष है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

30. कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

II. अवकाश नकदीकरण

अवकाश नकदीकरण के लिए देयताएं जिस अवधि में कर्मचारियों ने सेवा प्रदान की है उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर पूर्णतः से निपटान होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन के एक परिणाम के रूप में पुनर्मापन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तनों को लाभ और हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	7,458.64	5,931.74
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	7,458.64	5,931.74

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
01 अप्रैल को	5,931.74	5,536.91
वर्तमान सेवा लागत	971.10	947.40
शुद्ध ब्याज	397.29	350.78
(लाभ) / हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	1,567.12	689.90
कर से पहले लाभ / हानि पर शुद्ध प्रभाव	2,935.51	1,988.08
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि		
- वित्तीय मान्यताएं		(114.54)
- अनुभव समायोजन	1,567.12	804.44
(लाभ) / हानि की तत्काल मान्यता - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजना	(1,567.12)	(689.90)
अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध लाभ	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(1,408.61)	(1,593.25)
31 मार्च तक	**7,458.64**	**5,931.74**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

30. कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

ग. मान्यताएं

तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ:

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
छूट की दर (%)	7.60%	7.60%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%

घ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च 2019			31 मार्च 2018		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(648.05)	757.74	1.00%	(522.41)	611.10
वेतन वृद्धि दर	1.00%	770.34	(668.91)	1.00%	621.27	(539.22)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

ङ. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व निम्नलिखित रूप में परिपक्व होंगे:

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
2019	-	245.03
2020	286.05	386.54
2021	599.44	559.67
2022	578.87	546.79
2023	748.69	6407.26
2024 और उसके बाद	7650.21	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 11 वर्ष है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

30. कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

III. ग्रेच्युटी

कंपनी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान करती है। 5 साल की अवधि तक निरंतर सेवा में रहने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। सेवानिवृत्ति / समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि की गणना कर्मचारियों द्वारा अंतिम माह में आहरित मूल वेतन के आधार पर आनुपातिक रुप से सेवा के कुल वर्षों की संख्या में 15 दिनों के वेतन से गुणा करके की जाती है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्त पोषित योजना है और कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त फंडों में योगदान करती है।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वित्त पोषित योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	21,116.62	17,428.38
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	20,408.21	15,332.81
शुद्ध देयता / (संपत्ति)	708.41	2,095.57

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

विवरण	31 मार्च 2019			31 मार्च 2018		
	योजना देयताएं	योजना परिसंपत्तियां	शुद्ध (देयता-परिसंपत्तियों)	योजना देयताएं	योजना परिसंपत्तियां	शुद्ध (देयता-परिसंपत्तियों)
1 अप्रैल को	17,428.38	15,332.81	2,095.57	13,551.83	14,114.20	(562.37)
वर्तमान सेवा लागत	899.25	-	899.25	419.07	-	419.07
ब्याज व्यय / आय	1,281.65	1,283.48	(1.83)	975.47	1,075.60	(100.13)
	2,180.90	1,283.48	897.42	1,394.54	1,075.60	318.94
विगत सेवा लागत - योजना में संशोधन	-	-	-	3,498.64	-	3,498.64
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	-	681.81	(681.81)	-	(698.77)	698.77
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि						
- वित्तीय मान्यताएं	-	-	-	(295.90)	-	(295.90)
- अनुभव समायोजन	2,636.53	-	2,636.53	18.85	-	18.85
	2,636.53	681.81	1,954.72	(277.05)	(698.77)	421.72
भुगतान किए गए लाभ	(1,129.19)	(1,129.19)	-	(739.58)	(739.58)	-
नियोक्ता का योगदान	-	4,239.30	(4,239.30)	-	1,581.36	(1,581.36)
31 मार्च तक	21,116.62	20,408.21	708.41	17,428.38	15,332.81	2,095.57

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

30. कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

III. ग्रेच्युटी (जारी ...)

ग. कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्तमान सेवा लागत	899.25	419.07
विगत सेवा लागत	-	3,498.64
शुद्ध ब्याज	-	(100.13)
कर से पहले लाभ / हानि पर शुद्ध प्रभाव	897.42	3,817.58
पुन - शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की माप		
एक्ट्युरियल (लाभ) / मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न हानि	1,954.72	421.72
कर से पहले अन्य व्यापक आय में शुद्ध (लाभ) / हानि को मान्यता दी गई	1,954.72	421.72

घ. योजना परिसंपत्तियों के निवेश का विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
i. भारत सरकार की प्रतिभूति	0.00%	0.00%
ii. कॉरपोरेट बॉन्ड	0.00%	0.00%
iii.विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
iv. अन्य (भारतीय जीवन निगम)	100.00%	100.00%
	100.00%	100.00%

ङ. मान्यताएं

तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ:

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
छूट की दर (%)	7.60%	7.60%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%

च. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित हैं:

विवरण	31 मार्च 2019			31 मार्च 2018		
	धारणा में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	धारणा में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(1,595.58)	1,824.44	1.00%	(1,366.00)	1,565.00
वेतन वृद्धि दर	1.00%	1,630.43	(1,570.62)	1.00%	1,534.00	(1,381.00)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

30. कर्मचारी लाभ दायित्व (जारी...)

III. ग्रेच्युटी (जारी ...)

छ. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्वों के रूप में परिपक्व होगा:

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
2019	-	737.52
2020	788.13	961.10
2021	1,568.10	1,400.78
2022	1,574.31	1,384.67
2023	1,921.67	14,031.13
2024 और उसके बाद	16,501.29	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 11 वर्ष है।

IV. अवकाश यात्रा रियायत

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
छूट की दर (%)	7.60%	7.60%
प्रति व्यक्ति यात्रा दावे की औसत लागत (भारतीय रुपये में)	3000.00	3000.00
शुद्ध अवकाश यात्रा रियायत व्यय	(4.52)	(54.02)
लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित राशि	(4.52)	(54.02)

31. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
क. ऋण के रूप में न स्वीकार किया गया दावा		
- झारखंड बिजली बोर्ड द्वारा ईंधन अधिभार का दावा	10913.00	19329.91
- इसकी कटौती और कर देयता के लिए आयकर	60.00	731.74
- खरकई नदी से पानी की आपूर्ति के लिए खरकई नहर डिवीजन आदित्यपुर द्वारा जल प्रभाप का दावा	256.86	235.25
- अन्य	0.59	0.59
ख. अनपेक्षित शाख-पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट)	197.74	100.90
ग. पूँजी खाते (अग्रिमों का शुद्ध) पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	16,502.76	9744.42

विभिन्न अदालतों में सेवा मामलों सहित अन्य मामले लंबित हैं जिनके मुकाबले लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है / आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इस स्तर पर वे मात्रात्मक मापम योग्य नहीं है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपणियाँ

32. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

1. सभी संबंधित पक्ष प्रकटीकरण दिए जाना आवश्यकता है भले ही किसी भी प्रकार का लेन-देन हुआ हो या नहां हुआ हो।

I. कार्यकारी निदेशक उनके रिश्तेदारों और उनके उद्यम, जिन पर वे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम हैं

श्री सुधीर त्रिपाठी, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार
श्री एम ए इनबरासू - संयुक्त सचिव (आई एंड एम), परमाणु ऊर्जा विभाग
श्री एम बी वर्मा, निदेशक (एएमडी)
डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी (27.02.2018 से प्रभावी)
श्री आर बी चक्रवर्ती - पूर्व उप खान सुरक्षा महानिदेशक
डॉ. के उमामहेश्वर राव - निदेशक, एनआईटी के. सूरतकल

II. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	संबंध
श्री सी के असनानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री देबाशीष घोष	निदेशक (वित्त)
श्री प्राणेश एस. आर	निदेशक (तकनीकी)
श्री बी सी गुप्ता	कंपनी सचिव

2. व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली में ऊपर 1 में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन

कंपनी की अनुषंगी इकाइयां — शून्य
संबंधित पक्ष लेनदेन — शून्य
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक नीचे दिया गया है:

विवरण	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
सेवाओं की प्राप्ति - पारिश्रमिक	श्री सीके असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	48.21	29.92
	श्री डी घोष, निदेशक (वित्त)	49.48	32.40
	श्री बीसी गुप्ता, कंपनी सचिव	21.36	14.38

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का मुआवजा

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	29.10	49.48
नियोजन पश्चात लाभ	18.01	10.95
कुल मुआवज़ा	47.12	60.43

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

33. उचित मूल्य मापन

श्रेणी के अनुसार वित्तीय प्रपत्र / साधन

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वित्तीय परिसंपत्तियां		
लाभ / (हानि) के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन		
- व्यापार प्राप्य	1,01,918.03	63,295.06
- नकद और बैंक शेष	23,367.76	2,861.57
- ऋण	3,473.65	3,769.91
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,777.03	1,456.44
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	1,30,536.47	71,382.98
वित्तीय देयताएं		
लाभ / (हानि) के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन		
- उधारियां	10,000.00	10,000.00
- व्यापार देय	5,188.70	6,402.77
- अन्य	47,809.34	40,460.18
कुल वित्तीय देयताएं	62,998.04	56,862.95

उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें 31 मार्च 2019 तक परिशोधित लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियां				
- व्यापार प्राप्य	-	-	1,01,918.03	1,01,918.03
- नकद और बैंक शेष	-	-	23,367.76	23,367.76
- ऋण	-	-	3,473.65	3,473.65
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	-	-	1,777.03	1,777.03
	-	-	1,30,536.47	1,30,536.47
देयताएं				
- उधारियां	-	-	10,000.00	10,000.00
- व्यापार देयताएं	-	-	5,188.70	5,188.70
- अन्य	-	-	47,809.34	47,809.34
	-	-	62,998.04	62,998.04

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिपण्णियाँ

33. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें 31 मार्च 2018 तक परिशोधित लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियां				
- व्यापार प्राप्य	-	-	63,295.06	63,295.06
- नकद और बैंक शेष	-	-	2,861.57	2,861.57
- ऋण	-	-	3,769.91	3,769.91
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	-	-	1,456.44	1,456.44
	-	-	71,382.98	71,382.98
देयताएं				
- उधारियां	-	-	10,000.00	10,000.00
- व्यापार देयताएं	-	-	6,402.77	6,402.77
- अन्य	-	-	40,460.18	40,460.18
	-	-	56,862.95	56,862.95

व्यापार प्राप्तियाँ, नकद एवं नकदतुल्यों, व्यापार देय, बैंक जमा उपार्जित ब्याज तथा उस समय की वर्त्तमान उधारियों की मात्रा उनकी अल्प कालिक प्रवृति के कारण अपने उचित मूल्य के बराबर होती है। दिए गए ऋणों के लिए उचित मूल्य की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। अप्रमाणित इनपुट शामिल किए जाने के कारण उन्हें स्तर 3 उचित मूल्य पदानुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

34. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन अपनी व्यावसायिक रणनीतियों की योजना बनाने और निष्पादित करने का एक अभिन्न अंग है। कंपनी की गतिविधियो को तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के लिए उजागर किया जाता है।

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला जोखिर	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य व्यापार प्राप्य बैंक जमा	आयुवृद्धि विश्लेषण	जमा क्रेडिट सीमा का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता।

पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी का लक्ष्य अपनी पूंजी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना है ताकि कि एक निरंतर कारोबार को जारी रखने की कंपनी की क्षमता और शेयरधारकों के समुचित प्रतिफल (रिटर्न) को सुरक्षित किया जा सके। कंपनी की नीति कुल इक्विटी पर ध्यान देने के साथ एक स्थिर और मजबूत पूंजी संरचना बनाए रखना है ताकि भविष्य के विकास और अपने व्यवसाय के विकास को बनाए रखने के लिए निवेशक और लेनदारों का विश्वास बनाए रखा जा सके। कंपनी अपनी पूंजी संरचना को बनाए रखने या आवश्यक समायोजन करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 35

लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां

31 मार्च, 2019 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए

35.1 परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 18 के तहत जारी परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69-Min, दिनांक 7 अगस्त,1973 और आदेश संख्या 7/6/69-Min (PSU) दिनांक 3 जुलाई, 1974 के माध्यम से कंपनी को टर्नओवर, कच्चे माल की खपत से संबंधित मात्रात्मक जानकारी तथा उत्पादित माल के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक, खरीदी की गई या अधिग्रहित कच्ची सामग्री, लाइसेंस प्राप्त क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन से संबंधित जानकारी को प्रकाशित करने या उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित किया गया है।

हालांकि, वर्ष 2003-04 से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत उच्च स्तर पर नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों को गोपनीयता समझौते के साथ कंपनी के खातों के सार्थक अंकेक्षण के उद्देश्य से दिनांक 9 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 10,/8 (12),/ 2004- पीएसयू/448 के माध्यम से कंपनी के संचालन से संबंधित समस्त जानकारी हासिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यह जानकारी किसी भी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत नहीं की जाएगा और ना ही विशेष रूप से किसी अंकेक्षण रिपोर्ट में इन आंकड़ों का उल्लेख किया जाएगा

35.2 कपनी ने तुम्मललापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813.412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष : 557.18 एकड़) भूमि, बंदुहुरांग में 686.86 एकड़ (गत वर्ष: 686.86 एकड़) भूमि, बागजाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष : 303.14 एकड़) भूमि, जादूगोड़ा में भाटिन समेत 1312.62 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष : 1312.62 एकड़) भूमि, और मोहुलडीह में 288.20 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष: 288.20 एकड) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त किया है। 1128.32 एकड़ भूमि के नरवापहाड़ खनन पट्टे क्षेत्र का विस्तार 27.01.2013 से पूर्वव्यापी रूप से संपूर्ण निक्षेप समाप्त होने तक, तुरमडीह में अतिरिक्त 31.77 एकड़ (गत वर्ष 31.77 एकड़) भूमि के लिए, क्योलेंग प्योंगसेंगहिओंग मावथाबा में 290.45 (गत वर्ष 290.45 हेक्टेयर) हेक्टेयर भूमि के लिए, लांबापुर में 1,337.62 एकड़ (गत वर्ष 1,337.62 एकड़) भूमि के लिए, और गोगी में गोगी में 39.13 हेक्टेयर (गत वर्ष 39.13 हेक्टेयर) भूमि के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।।

35.3 कंपनी राज्य सरकार / निजी पार्टियों से अधिग्रहण की गई 1548.09 एकड़ (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि की अनुमति प्राप्त करके अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया में है, जिससे संबंधित पंजीकरण का औपचारिक विलेख लंबित है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रुपये (गत वर्ष 1517.59 लाख रु.) को संबंधित मद 'पट्टाधृत भूमि" तथा "पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि' के तहत कंपनी की अचल संपत्ति में शामिल किया गया है।

कंपनी 1986 से, मोसाबनी, झारखंड में 3 (तीन) एकड़ जमीन का इस्तेमाल कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए मांग-पत्र (डिमांड नोट) का भुगतान कर दिया गया है और झारखंड सरकार के साथ लीज हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

35.4 परियोजना पूर्व/चालू परियोजना पर व्यय :-

परियोजना पूर्व व्यय :-

क) लांबापुर परियोजना ₹ 827.22 लाख :

लांबापुर, तेलंगाना (पहले आंध्र प्रदेश में) परियोजना के लिए डीपीआर, 2003 में तैयार किया गया था और 2003 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। 2005 में खदानों तथा 2007 में संयंत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई। हालांकि, परियोजना के निर्माण के लिए सरकार की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। खनन पट्टे के अनुमति राज्य सरकार के पास लंबित है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'स्थापना के लिए सहमति' भी लंबित है। खनन पट्टे और सीएफई प्राप्त नहीं होने के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है।

ख) <u>केपीएम परियोजना ₹ 1004.76 लाख:</u>

कंपनी ने ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट आदि की तैयारी शुरू कर दी है और मेघालय में क्येंलेंग पैंडेंगस्योंग, मावथाब खनन एवं मिलिंग परियोजना के लिए खनन पट्टे हेतु वर्ष 2001 में आवेदन किया था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2004 में तैयार की गयी थी कंपनी द्वारा मार्च, 2007 में तीस वर्षों के लिए पट्टा भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय से 2007 में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से मंजूरी - स्थापना के लिए सहमति, भूमि और खनन पट्टे आदि के हस्तांतरण लंबित हैं। जुलाई 2016 में, यूसीआईएल द्वारा व्यापक अनुबंध के लिए, सार्वजनिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंबित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने तथा संबंधित ढांचागत विकास, खदान निर्माण, भूमि ग्रेडिंग आदि के लिए परामर्श को शामिल करते हुए संसाधन एजेंसियों को आमंत्रित करने के लिए रुचि-प्रकटन (ईओआई) प्रकाशित की गई थी। यूसीआईएल द्वारा इस ईओआई के प्रकाशन से यूसीआईएल के खिलाफ मेघालय राज्य में एंटी-यूरेनियम एनजीओ और अन्य लोगों द्वारा एक मजबूत विरोध प्रदर्शन किया गया है। मेघालय सरकार ने दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स में खनन पूर्व गतिविधियों को करने के लिए यूसीआईएल को अनुमति देने के अपने पहले के कैबिनेट निर्णय (24 अगस्त, 200 9) को रद्द कर दिया है।

ग) <u>तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना ₹ 83.40 लाख :</u>

यूसीआईएल ने तुम्मलापल्ले परियोजना की उत्पादन क्षमता को मौजूदा सुविधा 3000 टीडीपी से 4500 टीडीपी बढ़ाने के लिए तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना, आंध्र प्रदेश की पहल की है। परियोजना के लिए डीपीआर 2010 में तैयार की गयी थी। ईआईए / ईएमपी अध्ययन किया गया और राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया गया। जन सुनवाई का आयोजन समय पर नहीं किए जाने के कारण संदर्भ शर्तों की वैधता समाप्त हो गई। नई टीओआर प्राप्त की गयी हैं और ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट की तैयारी चल रही है। तुम्मालपल्ले और पास के कन्नमपल्ले निक्षेप के गहरे स्तर पर खनन का कार्य शुरू किया गया है। चालू तुम्मल्लापल्ली परियोजना की प्रक्रियाओं में संशोधन के मद्देनजर डीपीआर पर पुन: विचार किया जा रहा है।

घ) <u>गोगी परियोजना ₹ 309.59 लाख:</u>

कर्नाटक के यादगीर जिले में गोगी यूरेनियम माइनिंग एवं मिलिंग परियोजना के लिए डीपीआर 2010 में तैयार किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग ने भी 2010 में परियोजना को मंजूरी दे दी थी। नवम्बर 2010 में आयोजित जन सुनवाई को पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। विचारणीय विषय की वैधता समाप्त हो गई। नए ईआईए/ ईएमपी अध्ययन के लिए गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई। बेसलाइन डेटा के संग्रह और ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी है। डीजीपीएस सर्वे पूरा हो गया है। भूमि के विवरण को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अंतिम मसौदा पीएफआर तैयार किया गया है और पुनरीक्षण के लिए परामर्शदाता को भेजा गया है। हाल ही में, गोगी से 5 किलोमीटर दूर कंचनाकायी में एएमडी द्वारा एक नये निक्षेप का पता लगाया गया है जो अन्वेषण के उन्नत चरण में है। यूसीआईएल ने इस साइट पर एएमडी द्वारा खोजपूर्ण खनन के साथ परियोजना-पूर्व गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाई है।

ङ) <u>रोहिल अन्वेशी खनन परियोजना ₹ 20.70 लाख:</u>

राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप का अन्वेषण परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) द्वारा किया जा रहा है। यूसीआईएल द्वारा एएमडी की ओर से अन्वेशी खनन गतिविधियों की शुरूआत की गई है। यूसीआईएल और एएमडी के बीच अन्वेशी खनन कार्य के विस्तार के लिए शाफ्ट सिंकिंग संचालन कार्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साइट एवं डेक्लाइन प्लेटफार्म पर आरसीसी एप्रोच रोड का निर्माण पूरा हो चुका है। डिक्लाइन के लिए लगभग 6000 घनमीटर भू-कार्य किया जा चुका है। परियोजना के लिए पानी की उपलब्धता के लिए नगर निगम, सीकर (राजस्थान) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रोहिल यूरेनियम डिपॉजिट के अयस्क निकाय का 3डी मॉडल तैयार किया गया है। परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी पूरी कर ली गई है।

च) <u>यूरेनियम प्राप्ति संयंत्र (मोसाबनी) : ₹ 112.24 लाख :</u>

यूसीआईएल ने एचसीएल के राखा और सुरदा माइंस के कॉपर टेलिंग से यूरेनियम की प्राप्ति के लिए दो यूरेनियम रिकवरी संयंत्र बनाने का प्रस्ताव किया है। कॉपर टेलिंग में यूरेनियम सामग्री को भौतिक लाभ (टेबलिंग) द्वारा उन्नत किया जाएगा और सांद्र करने की प्रक्रिया जादुगुड़ा में संयंत्र में की जाएगी। इसके लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद द्वारा दिया गया है। प्रत्येक प्रस्तावित संयंत्र 4,.05,000 टन प्रति वर्ष कॉपर टेलिंग्स को प्रोसेस करेगा। पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की दिशा में संगठित गतिविधियां जारी हैं और 13 अप्रैल 2018 को सार्वजनिक सुनवाई सफलतापूर्वक आयोजित

की गई है। पानी एवं बिजली तथा जलापूर्ति के लिए सहमति प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण और पानी के लिए जमशेदपुर जिला आयुक्त को आवेदन दिए गए हैं । परियोजना के अनुमोदन का इंतजार है।

चालू परियोजना :

क) **तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट ₹ 2380.76 लाख :**

तुरामडीह और बंदुहुरांग के यूरेनियम अयस्क में मैग्नेटाइट खनिज की मात्रा काफी कम होती है। यह मैग्नेटाइट प्रस्तावित संयंत्र में बाय-प्रोडक्ट (उप-उत्पाद) के रूप में रिकवर किया जाएगा। इस प्रकार निर्मित चुंबकीय पदार्थ और सटीकता के मामले में बहुत उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट का उत्पादन होगा और इसका उपयोग कोयला वॉशरियों में किया जायेगा। जादुगोड़ा में यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र में ऐसा कार्य किया जा रहा है। परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। मिल नींव और मैग्नेटाइट स्टोरेज पिट समेत प्रमुख सिविल गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। मैग्नेटाइट बॉल मिल की स्थापना पूरी हो गई है । मैग्नेटाइट स्पष्टीकरण प्रणाली के लिए निर्माण कार्य और ईओटी क्रेन के लिए मैग्नेटाइट स्टील संरचना का निर्माण पूरा हो चुका है। मिल प्लेटफार्म के लिए मैग्नेटाइट थिकनर ओवरफ्लो टैंक और स्टील संरचना का निर्माण, परीक्षण पूरा हो चुका है। एईआरबी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है । मैग्नेटाइट बॉल मिल का प्रदर्शन कार्य प्रगति पर है।

ख) **जादुगोडा में चतुर्थ चरण टेलिंग पौंड परियोजना ₹ 13388.82 लाख:**

जादूगोडा कारखाने के अपशिष्ट को अब जादूगोड़ा प्लांट के सटे हुए इसी उद्देश्य से बनाए गए तृतीय चरण के टेलिंग पॉण्ड में जमा किया जाएगा । प्रथम चरण और द्वितीय चरण टेलिंग पॉन्ड्स पूरी तरह से भरे हुए हैं और तृतीय चरण के 1 वर्ष के भीतर भर जाने की संभावना है जिसके लिए अतिरिक्त संग्रहण (बाड़े) की सुविधा का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इससे अवशेषों को जमा करने के लिए पर्याप्त स्थान बनाएगा। परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। साइट गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। ड्रिलिंग एवं ग्राउटिंग और प्राकृतिक जल प्रवाह को मोड़ने से संबंधित कार्य पूरा हो गया है। क्षैतिज फिल्टर (पूर्व की ओर) (बांध उठान का हिस्सा) को लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। आरएल 133 मी. से आरएल 135 मी. (बांध उठान का हिस्सा) के लिए प्रथम चरण के टेलिंग बांध के दूसरे स्तर का निर्माण पूरा हो गया है। क्षैतिज फिल्टर (पूर्व की ओर) (बांध उठान का हिस्सा) को लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जाहिरा के आसपास सैडल बांध और रखरखाव दीवार का निर्माण प्रगति पर है। स्पिलवे का निर्माण प्रगति पर है। नाले की मोड़ और रखरखाव दीवार व नाली के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। अंतिम स्तर 143 मी. तक की बचे हुये कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ग) **तुरामडीह पेरॉक्साइड संयंत्र परियोजना ₹ 1268.49 लाख :**

यह सुविधा मैग्नीशियम डी-यूरेनेट के स्थान पर यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन करेगी । यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन मैग्नीशियम डी-ययूरेनेट (एमडीयू) के उत्पादन में कुछ पर्यावरणीय कमियों को दूर करने में मदद करेगा। अधिकांश भौतिक कार्य पूरा हो चुका है। कोई लोड ट्रायल रन प्रगति पर नहीं है। एईआरबी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी प्रतीक्षित है ।

घ) **तुरामडीह में द्वितीय चरण टेलिंग डैम परियाजना ₹ 30.04 लाख :**

तुरामडीह मिल के अपशिस्ट को तालसा गांव में इसी उद्देश्य से बनाए गए प्रथम चरण टेलिंग पॉण्ड में जमा किया जाता हैं । इस तालाब के 1-2 साल के भीतर भर जाने की उम्मीद है जिसके लिए इम्पाउंडमेंट यानी अतिरिक्त जमा सुविधा का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस अवधि के दौरान, अतिरिक्त 10 वर्षो के लिए इम्पाउंडमेंट का निर्माण करते हुए टेलिंग डैम का द्वितीय चरण पूरा कर लिया गया है ।

ङ) **तुरामडीह मिल विस्तारीकरण ₹ 4614.65 लाख :**

झारखण्ड के तुरामडीह में कुल 343.26 करोड़ की लागत से 3000 टीपीडी क्षमता के यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी गयी थी । यूरेनियम की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, यूसीआईएल ने मूल रूप से निर्धारित निर्माण कार्य के साथ 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी तक के संयंत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव किया था । यह परियोजना पूरी हो चुकी है। एईआरबी की मंजूरी मिल चुकी है और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अंतिम पर्यावरणीय मंजूरी प्रतीक्षित है।

च) **भाटिन खान आधुनिकीकरण परियोजना ₹ 2236.66 लाख :**

यूसीआईएल ने 12 वीं योजना की अवधि के अंतर्गत 'भाटिन खान के आधुनिकीकरण' शीर्षक के तहत एक नई योजना बनाई है। परियोजना की डीपीआर दिसंबर 2013 में तैयार की गयी थी। परियोजना को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दे दी है। यह परियोजना मौजूदा भाटिन खदान की उत्पादन क्षमता को 140 टीपीडी से 400 टीपीडी तक बढ़ाएगी, जिससे जादूगोड़ा संयंत्र में अयस्क प्रसंस्करण के वर्तमान स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी, जबकि जादूगोड़ा खान से अयस्क उपलब्धता धीरे-धीरे कम हो रही है। इस परियोजना के लिए सभी अनुमोदन प्राप्त किए जा चुके हैं। प्रमुख कार्य के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया जा चुका है। चाहरदीवारी (प्रथम चरण) और औद्योगिक पानी की टंकी का निर्माण पूरा हो चुका है। सतह पर सिविल रखरखाव का काम और सतह पर अयस्क बिन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 6.6 केवी क्षमता के सेकेंड सर्किट हाई टेंशन ओवरहेड लाइन के संशोधन का कार्य पूरा हो गया है। वन मंजूरी के इंतजार के कारण भूमिगत खनन गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

छ) **सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में डिबॉटलनेकिंग परियोजना ₹ 875.66 लाख:**

यूसीआईएल ने सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की हैं, जो 'सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में संचालन के डि-बॉटलनेकिंग'' के तहत समूहीकृत हैं, जो स्थायी तरीके से वर्तमान प्रदर्शन स्तर को बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रशासनिक अनुमोदन जुलाई 2016 में प्राप्त हो चुका है। प्रमुख अनुबंधों की निविदाएं और साइट गतिविधियां प्रगति पर हैं। समस्त गतिविधियों को अपने नियत समय 2019-20 में पूरा कर लिया जायेगा।

35.5 लेनदारों, देनदारों की शेष राशि और ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं का अग्रिम, समाधान, पुष्टीकरण और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो तो।

35.6 आंतरिक और बाहरी कारकों के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों के मिलान के लिए किसी भी तुलनात्मक प्रावधान का विचार आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य परिसंपत्तियों की वहन लागत से अधिक है।

35.7 कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ईपीएफ एक्ट) के अंतर्गत नहीं आती है, परंतु कंपनी 1967 से एक न्यास के माध्यम से भविष्य निधि का प्रबंधन करती है, जिसके अपने स्वयं के नियम हैं और इसे क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड आयुक्त (आरपीएफसी), पटना एवं आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है। तथापि, आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपनी सूचना दिनांक 01.01.1997 द्वारा दावा किया है कि कंपनी ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत आती है और कंपनी को 1967 से बकाया पीएफ तथा 1997 से परिवार पेंशन अंशदान जमा करने के लिए कहा है। कंपनी ने दावे पर आपत्ति जताई है और इस पर अपील दायर की है जो वर्तमान में इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (ईपीएटी), नई दिल्ली के पास लंबित है। चूंकि कंपनी ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत प्रदत्त अंशदान के बराबर ट्रस्ट के लिए पीएफ का भुगतान करती है, अतः कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ईपीटी के समक्ष अपील लंबित होने का कारण नहीं बनता है।

35.8 तुलन-पत्र तिथि पर कार्य दायित्व अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार दी गई है। अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार बिलों के लंबित अंतिम निपटान का उपयोग करने के लिए लगाई गई संपत्ति के मामले में पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया जाता है।

35.9 कार्यशील पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्पकालिक उधार का लाभ उठाया गया है और वर्ष के लिए इस तरह के ऋण पर ब्याज का भुगतान/ बकाया को लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में लिया जाता है। उधार की तिथि से एनपीसीआईएल को कोई ब्याज नहीं दिया गया है

35.10 वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी को आयकर से रिफंड प्राप्त हुआ है जिसमें रिफंड पर ब्याज शामिल है। प्राप्त हुई पूरी राशि को अनजाने में 199.00 लाख रुपये (लगभग) की ब्याज राशि द्वारा लाभ और हानि के विवरण में जमा करने के बजाय अग्रिम कर से घटा दिया गया था। अब वित्त वर्ष 2017-18 के अन्य आय मद के तहत लाभ और हानि के विवरण में यह ब्याज राशि जमा कर दी गई है। इसके अलावा, तुम्मलापल्ले के अग्रिम संग्रहण पर ब्याज से संबंधित रु 3.80 लाख (लगभग) की राशि को अनजाने में कम दर्शाया गया था। अब वित्त वर्ष 2017-18 के लाभ और हानि के विवरण में यह राशि जमा की गई है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2018-19 में पूर्व अवधि परिवर्तन की कुल राशि 202.80 लाख रुपये (लगभग) [पिछले वर्ष- रु. 145 लाख (लगभग)] है।

35.11 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत/ पुनर्व्यवस्थित कर दिया गया है जहां भी उन्हें वर्तमान वर्ष के साथ तलना करने की आवश्यक हुई है।

टिप्पणी '1' से '35' तक हस्ताक्षर

कृते एवं बोर्ड की ओर से

बी सी गुप्ता	**एस आर प्रणेश**	**देबाशीष घोष**	**सी के असनानी**
कंपनी सचिव	*निदेशक (तकनीकी)*	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*
AERPG9596C	DIN 08477517	DIN 07252959	DIN 03497356

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित
कृते अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेषन संख्या-004614C

रमेश कुमार अग्रवाल
साझीदार
सदस्यता संख्या-072918

स्थान - मुम्बई
तिथि - 10.08.2018
यूडीआईएन : 19503249AAAAAU2660

नकदी प्रवाह विवरणी

₹ लाख में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़			
कर से पहले लाभ / (हानि)		39,782.57	12,612.45
के लिए समायोजन:			
- मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	21,083.29	21,984.02
- बैंकों के पास जमा पर ब्याज	22	(1,043.22)	(13.15)
- ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	22	(99.42)	(95.07)
- वित्तीय खर्च	25	869.58	3,871.49
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		60,592.80	38,359.74
कार्यशील पूंजी समायोजन:			
- (वृद्धि) / व्यापार प्राप्य में कमी	9	(38,622.97)	(14,197.18)
- (वृद्धि) / ऋण और अग्रिमों में कमी	6	295.85	63.34
- (बढ़ाएँ) / आविष्कारों में कमी	8	11,371.19	17,798.61
- (बढ़ाएँ) / अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी	14	167.01	9.96
- (वृद्धि) / अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी	13	(320.59)	(134.12)
- व्यापार के भुगतान में वृद्धि / (कमी)	17(b)	(1,214.07)	980.99
- प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	18	(2,044.44)	3,850.78
- अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	17(c)	7,349.16	(17,240.26)
- अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	20	309.79	(354.69)
संचालन से नकदी उत्पन्न हुई		37,883.73	29,137.17
आयकर चुकाया		(2,326.39)	(4,873.45)
ऑपरेटिंग गतिविधियों (/ में) से (उपयोग में) शुद्ध नकदी प्रवाह		35,557.34	24,263.72
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	3	(4,182.99)	(3,589.97)
(खरीद) / अमूर्त संपत्ति की बिक्री	5	-	2,220.67
(वृद्धि) / कैपिटल WIP में कमी	4	(8,842.38)	(3,888.34)
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	7	-	(165.58)
ऋण और अग्रिम पर ब्याज (वित्त आय)	22	99.42	95.07
बैंकों के पास जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	22	1,043.22	13.15
नकद / नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष में वृद्धि / कमी (कमी)	11	(5,087.33)	11.39
नेट कैश फ्लो / (इस्तेमाल में) निवेश गतिविधियों (बी) से		(16,970.06)	(5,303.62)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर पूंजी के मुद्दे से कार्यवाही (लंबित आवंटन सहित)	b	1,500.00	43,900.00
उधार से आगे बढ़ता है	17(a)	-	-
उधार का भुगतान	17(a)	-	(54,022.18)
सूद अदा किया	b	(3,202.00)	(3,839.00)
लाभांश वितरण कर	b	(651.96)	(781.52)
ब्याज भुगतान	25	(814.46)	(3,820.46)
वित्तीय गतिविधियों (/ में) से (उपयोग में) शुद्ध नकदी प्रवाह		(3,168.42)	(18,563.16)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (A + B + C)		15,418.86	396.95
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	10	2,744.25	2,347.30
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	10	18,163.11	2,744.25

साथ दिए गए नोट्स इन वित्तीय वक्तव्यों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृषि RAMESH K. & CO के लिए।
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण नंबर: 004614C

निदेशक मंडल की ओर से

अजय कुमार गुप्ता
सदस्यता संख्या: 503249
जगह: मुंबई
दिनांक: 16-08-2019
यूडीआईएन:19503249AAAAAU2660

बीसी गुप्ता
कंपनी सचिव
AERPG9596C

एसआर प्राणेश
निदेशक (तकनीकी)
DIN 08477517

देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)
दीन 07252959

सीके असनानी
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
दीन 03497356

पच्चीस वर्ष का सार-संग्रह

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पच्चीस वर्ष का सार-संग्रह

₹ लाख में

वर्ष	आय	सामग्री	वेतन मजदूरी और अन्य लाभ	मूल्यह्रास	अन्य व्यय और ओवरहेड्स	कर से पहले लाभ हानि
1994-95	5730.1	1082.3	1530.6	353.4	2396.1	349.1
1995-96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	2187.7	31.1
1996-97	8601.0	1037.0	3141.5	1404.8	3693.6	(-) 676.0
1997-98	11140.5	1107.0	3429.6	1067.3	5019.9	516.7
1998-99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	6495.0	177.5
1999-00	14533.0	1461.9	4522.2	1685.2	5361.4	1307.9
2000-01	14797.0	1612.7	4768.8	1842.9	6167.4	405.2
2001-02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	6399.3	872.0
2002-03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	7500.0	2772.4
2003-04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	9389.7	1925.7
2004-05	25497.0	2590.01	5945.24	2443.43	9896.72	4621.6
2005-06	28156	3121	7309	2468	10332	4926
2006-07	29781	4138	8817	2592	9856	4378
2007-08	30436	4786	9929	2518	11061	2142
2008-09	41462	6143	12728	2755	13832	6004
2009-10	54306	7494	14539	6661	17827	7785
2010-11	76025	10072	19815	8245	21836	16057
2011-12	70728	10469	18572	7184	25526	8626
2012-13	85512	12882	21988	7795	28447	14417
2013-14	81430	13106	24806	7793	33979	1633
2014-15	89024	14138	27869	8186	37693	1133
2015-16	102463	12694	29566	8581	35816	15806
2016-17	127270	8874	30167	13663	53582	20984
2017-18	179195	17335	40739	21963	86747	12410
2018-19	**203479**	**17984**	**47126**	**21085**	**77501**	**39783**

कर के बाद लाभ / हानि	पूंजी	आरक्षित और अधिशेष	सकल ब्लॉक	कुल मूल्यह्रास	शुद्ध ब्लॉक	31 मार्च तक कर्मचारियों की संख्या
801.9	30517.3	3708.4	11277.1	4396.1	6888.0	4024
78.6	5422.3	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
(-)854.0	36922.3	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	1523.0	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	1808.0	34057.7	10039.8	24018.0	4385
1151.1	41982.3	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	4398.8	43443.2	18062.2	25381.0	4147
978.7	49839.3	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	13684	1171 01	33914	83187	4643
4626	134793	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	24146	126383	49131	77251	4696
6484	143962	28742	135090	56446	78644	4624
9078	143962	35697	145358	64418	80940	4613
1069	146962	36516	148617	71878	76739	4642
818	153962	36116	153054	81715	71339	4685
10212	156462	42641	159762	90401	69362	4757
12618	161562	55173	253703	22446	231257	4834
10673	181562	84559	255073	44477	210596	4781
21420	**206962**	**76432**	**259256**	**65559**	**193693**	**4629**

श्री सी के असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल, दिनांक 09. 03 . 2019 को नरवापहाड़ प्रेक्षागृह में 'परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर वार्ता' समारोह के अवसर पर डॉ. ए. के. भादुरी, निदेशक आई. जी. सी. ए. आर का स्वागत करते हुए

दिनांक 09. 03 . 2019 को नरवापहाड़ प्रेक्षागृह में आयोजित 'परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर वार्ता' के अवसर पर अतिथि एवं यूसिल के अधिकारीगण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल, द्वारा दिनांक 16.09.2019 को हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर यूसिल के अधिकारियों को सम्बोधन

हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर आमंत्रित मुख अतिथि श्री एन.जी.गुप्ता, आई जी, सी आई एस एफ़, डी. ए. ई एंड डी.ओ.एस, एच क्यू आर, नई दिल्ली द्वारा यूसिल के अधिकारियों के सम्बोधन

यूसिल जादुगोड़ा में स्वतंत्रता दिवस 15.08.2019 के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सम्बोधन

स्वतंत्रता दिवस समारोह 2019

स्वतंत्रता दिवस2019 पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सम्बोधन झंडोत्तोलन

स्वतंत्रता दिवस 15.08.2019 पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा पुरस्कार वितरण

यूसिल द्वारा सीएसआरपहल

यूसिल द्वारा बायो टॉयलेट का निर्माण

यूसिल द्वारा सीएसआरपहल

तुरामडीह में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र

परमाणु ऊर्जा विभाग में डॉ. के. एन. व्यास, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग और डॉ. मर्विन एस.एलेक्जेंडर, संयुक्त सचिव (आई. एंड ए. एम.) तथा श्री ए. आर. सुले, संयुक्त सचिव (आर एंड डी)/आई. एफ. ए. के साथ विचार विमर्श करते हुए श्री डी. घोष, निदेशक (वित्त), श्री प्रणेश एस. आर., निदेशक (तकनीकी) के साथ श्री सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल

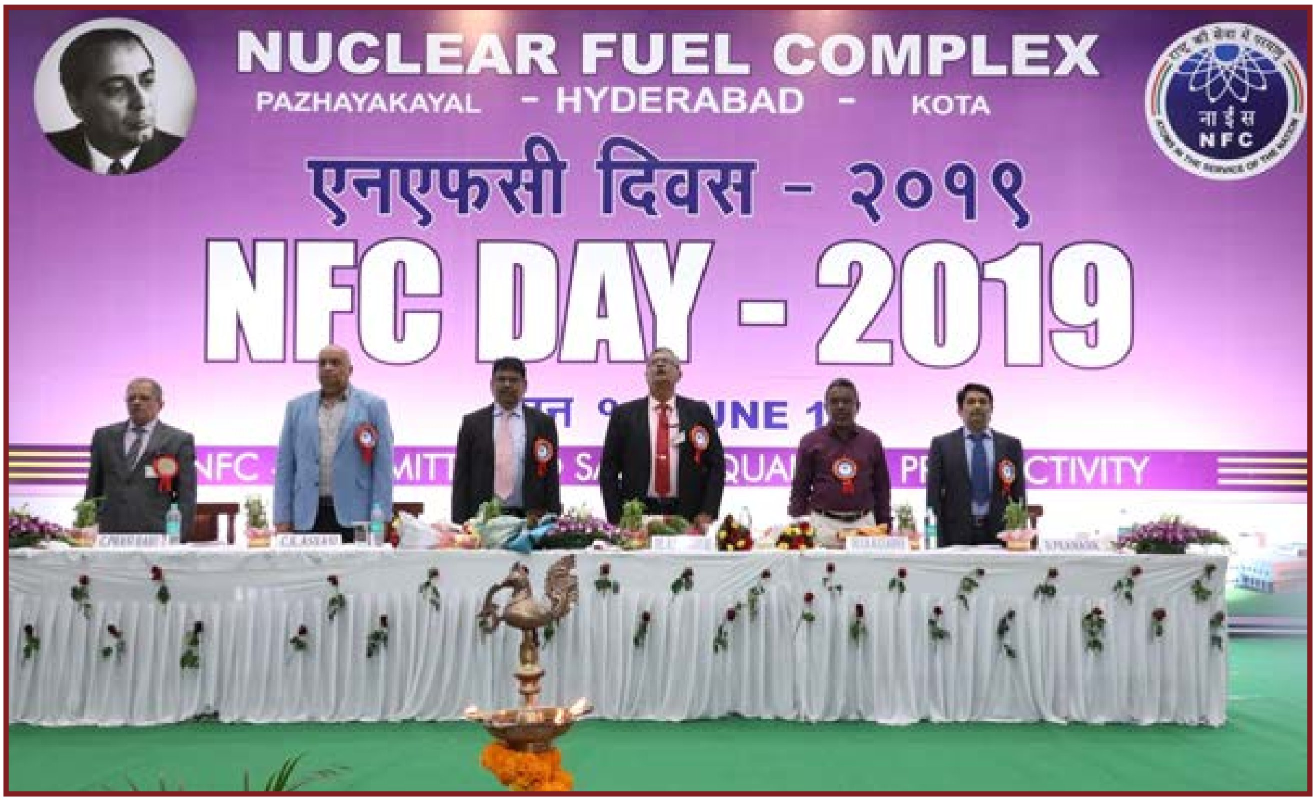

1ली जून, 2019 को परमाणु ईंधन सम्मिश्र-"एन.एफ. सी. दिवस" के दौरान सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल

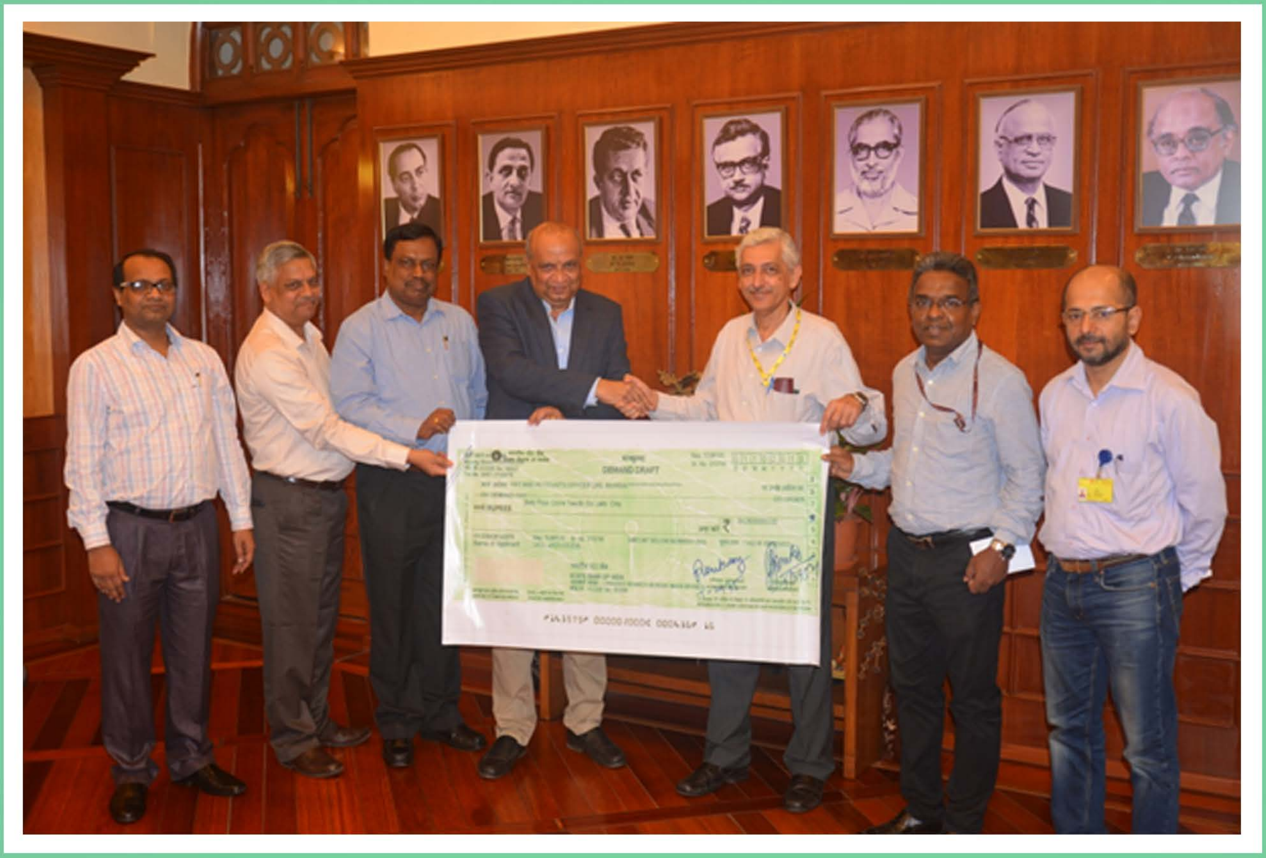

श्री सी.के.असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसिल द्वारा डॉ. के. एन. व्यास, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रु. 6426 लाख के लाभांश की राशि सौपते हुए

ISO 9001:2015, 14001:2015 एवं IS 18001 : 2007 कम्पनी

An ISO 9001:2015, 14001:2015 & IS 18001:2007 Company